राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

गुरुवार,

दिनांक 14 अगस्त, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, जन स्वास्थ्य, भेड़ व ऊन, नियुक्ति, गृह, सहकारिता, स्वायत्त शासन, जन सम्पर्क, सार्वजनिक निर्माण, सामान्य प्रशासन व उपनिवेशन विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। -

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : प्रश्न संख्या 57।

जिला जालौर में भू-संरक्षण कार्य

57. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :** क्या कृषि मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में इस वर्ष अकाल होने पर भी भू-संरक्षण कार्य अकाल राहत कार्यों के रूप में ज्यादा संख्या में नहीं लिये गए ? अगर हां, तो क्या भू-संरक्षण कार्यों के लिए ज्यादा स्कोप इस जिले में नहीं था ? अगर यहां पर ऐसे कार्यों का ज्यादा स्कोप था तो ज्यादा कार्य अकाल राहत कार्यों के रूप में शुरू क्यों नहीं कराये गए ?

(2) क्या सरकार अब जिला जालौर में भू-संरक्षण कार्य शुरू करवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या क्या कार्य कहां कहां पर कब तक शुरू करवा दिए जावेंगे ?

(3) भू-संरक्षण कार्यों का ज्यादा स्कोप किस किस तहसील में है ? क्या इस सम्बन्ध में जिले का पूरा सर्वेक्षण हो चुका है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करना है। सूचना प्राप्त हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री शंकरलाल जाट।

वाटर वर्क्स बड़ी सादड़ी

58. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ में वाटर वर्क्स का शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था ?

(2) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

(3) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में उक्त योजना पर कुछ राशि रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी और किस किस कार्य के लिये रखी गई है ?

राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां।

(2) अब तक कुल ......

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सुनाई नहीं देता है।

श्रीमती सुमित्रा : (1) जी हां।

श्री दौलतराम सारण : आप माइक बदल लीजिये। सुनाई नहीं दे रहा है माइक खराब है।

श्रीमती सुमित्रा : (2) अब तक कुल 95,262 रु० व्यय किये जा चुके हैं तथा पाइप्स आदि सामग्री प्राप्त कर ली गई है। धन राशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर योजना का कार्य लगभग 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण किये जाने की संभावना है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 1969-70 में रु० 1½ लाख का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य किये जायेंगे :

(क) मौजूदा कुंड से सर्विस रिजरवायर तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य।

(ख) मशीनरी सर्विस रिजरवायर के निर्माण का कार्य।

(ग) एक एच टाइप क्वार्टर के निर्माण का कार्य।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

ऊन वर्गीकरण केन्द्रों पर अधिकारियों की नियुक्तियां

59. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं): क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने ऊन वर्गीकरण केन्द्र चल रहे हैं और उनमें ऊन वर्गीकरण अधिकारी किन किन को कब कब से लगा रखे हैं ?

(2) ऊन वर्गीकरण अधिकारी के पद की नियुक्ति के लिये क्या क्या योग्यतायें होनी चाहिये और मौजूदा ऊन वर्गीकरण अधिकारियों की क्या क्या योग्यतायें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि मौजूदा ऊन वर्गीकरण अधिकारियों की नियुक्ति अनियमित रूप से की गई जिसके फलस्वरूप विभाग के इस पद के उपयुक्त अधिकारियों ने विभाग के संचालक के पास प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी ने कब कब तथा अपने प्रतिवेदनों में क्या क्या मांगे की गई और उस पर सरकार ने क्या

(श्री हरजीराम बुरड़क)
कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) यदि उपरोक्त पदों में से किसी पद को प्रमोशन द्वारा भरा गया हो, तो प्रमोशन किस आधार पर किया गया और वरिष्ठता सूची का इसमें कहां तक ख्याल रखा गया ?

भेड़ व ऊन उपमन्त्री (श्री हरिसिंह) : (1) वर्तमान समय में भेड़ व ऊन विभाग के अन्तर्गत 3 ऊन वर्गीकरण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। उनमें कार्य कर रहे अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रस्तावित नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम योग्यता मैट्रिक तथा ऊन वर्गीकरण में एक वर्ष का विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है। यह शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। मौजूदा ऊन वर्गीकरण अधिकारियों की योग्यता सम्बन्धी जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) श्री नारायणसिंह के विरुद्ध सर्व श्री सी. बी. एल. माथुर, सहायक जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, अजमेर तथा बद्री-प्रसाद पारीक, पर्यवेक्षक, भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, रतनगढ़ ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिनकी प्रति मय विवरण के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) ऊन वर्गीकरण अधिकारी, जोधपुर का पद प्रस्तावित भेड़ व ऊन विभाग सेवा नियमों के आधार पर पदोन्नति द्वारा मेरिट कम सिनियोरिटी के आधार पर भरा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : जिन नियमों का आपने हवाला दिया है कौन कौन से पद हैं जिनका प्रमोशन करके ग्रेडिंग अफसर बनायेंगे ?

श्री हरिसिंह : इसके लिये नियम हैं उनका ध्यान रखते हुए इन्टर सीनियोरिटी और मेरिट का भी ध्यान रखा जाता है। जो इन्स्पेक्टर्स हैं उनको उसका अनुभव हो जाना चाहिये और प्रशिक्षण भी होना चाहिये। विभागीय नियमों में प्रावधान है, अभी व्यवस्था की गई है वह इसी प्रकार की गई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : किन पोस्ट्स का प्रमोशन करके ग्रेडिंग अफसर बनायेंगे ?

श्री हरिसिंह : इन्स्पेक्टर लिये गये हैं। 170 से 240 जिनकी ग्रेड है। उनको वूल ग्रेडर्स नियुक्त किया गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उत्तर स्पष्ट नहीं दिया गया। केवल ग्रेडर्स से ही ग्रेडिंग अफसर का प्रमोशन दिया जावेगा ?

श्री हरिसिंह : मेरिट और सीनियोरिटी दोनों के आधार पर।

श्री हरजीराम बुरड़क : किस पोस्ट्स से करेंगे ? नियमों के अन्तर्गत कौन कौन सी पोस्ट्स हैं ?

श्री हरिसिंह : नियमों में यह भी प्रावधान है कि असिस्टेन्ट ग्रेडिंग अफसर बनायेंगे और फिर ग्रेडिंग अफसर बनायेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : विभागीय नियम गवर्नमैन्ट के विचाराधीन थे फाइनल हो गए।

श्री हरिसिंह : विभागीय नियम गवर्नमैन्ट के विचाराधीन थे फाइनल नहीं हुए। आप पूछना चाहते हैं कि वूल ग्रेडर की नियुक्ति हुई है वह किस आधार पर हुई? नियम फाइनेलाइज नहीं हो जाते तब तक एडहॉक बेसिस पर वूल ग्रेड इन्सपेक्टर से किया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप कहते हैं कि नियम विचाराधीन हैं। उत्तर दिया है वह उन नियमों के हवाले से दिया है।

श्री हरिसिंह : वैसे अगर अनियमितता बरती गई है और उल्लेख किया गया है उसका अलग से तो सहर्ष जांच के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए। सीनियोरिटी और अब विभागीय नियमों का कहां तक पालन किया गया जांच कर ली गई।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : प्रश्न आने के बाद मालूम किया कि अनियमितता हुई है?

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया कि मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि जो नियम होने चाहिए उनका पालन पूरी तरह से नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकतानुसार समय से पहले नियम नहीं बनाने के क्या कारण हैं?

श्री हरिसिंह : डिपार्टमैन्टल नियम बने हुए हैं और अपॉइन्टमेन्ट्स डिपार्टमैन्ट में दिए हुए हैं। फाइनेलाइज नहीं हुए। यह अलग से प्रश्न रहा कि उनको जल्दी से फाइनेलाइज कराया जाय। और अनियमिततायें हुई हैं उनकी जांच करवा कर ठीक करदी जाय।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि अभी विभाग में प्रशिक्षित ऊन वर्गीकर्ता बेकार हैं?

श्री हरिसिंह : इस प्रश्न में कहीं सूचना नहीं चाही है कि कितने इस प्रकार के बेकार हैं कितने ऊन शिक्षण प्राप्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : जांच करके कार्यवाही कब तक कर देंगे?

श्री हरिसिंह : शीघ्र ही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो मुख्य मन्त्री हाजिर हैं और न उस चेयर पर कोई है।

उप-मन्त्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : मैं उत्तर दूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सूची कहाँ है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिए पहले।

जयपुर में आइ. ए. एस. अधिकारियों के बंगले

60. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कुछ आई. ए.एस. ऑफिसर प्रारम्भ से जयपुर में ही हैं? यदि हां, तो वे कौन कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजयसिंह)

(2) ऐसे कितने आई. ए. एस. ऑफिसर हैं जिन्होंने जयपुर में रहने से अपने निजी बंगले बना लिये हैं ?

उप-मंत्री नियुक्ति (श्री प्रद्युम्नसिंह) (1) जी नहीं, ऐसा कोई आई. ए. एस. अधिकारी नहीं है जो आई. ए. एस. में नियुक्ति की तिथि से जयपुर में ही लगातार पदस्थापित रहा है।

(2) 45 आई. ए. एस. अधिकारियों ने समय समय पर जयपुर में पदस्थापित होने पर अपने निजी बंगले बनाये हैं।

श्री विजयसिंह : इन आई. ए. एस. अधिकारियों को क्या तनख्वाह मिलती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करूं कि इनका क्या ग्रेड है वह तो नहीं मालूम, लेकिन माननीय सदस्य के प्रश्न का अभिप्राय मैं समझ गया हूं और वह यह है कि इनकी तनख्वाह कम होने के बावजूद इन्होंने बंगले कैसे बनवाये। उसके बारे में मैं निवेदन करदूं कि भारत सरकार एडहॉक लोन देती है जिसमें से आई. ए. एस. अधिकारी कर्ज ले सकते हैं और मकान आदि बनाते हैं।

श्री विजयसिंह : किस किस अधिकारी ने बंगला बनाया है उसकी सूची देने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने सूची भिजवा दी है, दूसरी और दे देता हूं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार ने जानकारी की है कि जिन जिन आई. ए. एस. अधिकारियों ने निजी मकान बनाये हैं, राज्य सरकार से कर्जा लेकर अथवा अपने निजी पैसे से, उनकी सर्विस कितनी है और जो कर्ज लिया है और जितनी रकम का बंगला बनवाया है उनका क्या अनुपात है और वह कहां तक उपयुक्त है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : राज्य सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आई. ए. एस. अधिकारियों को 50 हजार तक कर्ज मिल सकता है और भारत सरकार वह रुपया देती है जिससे वे अपना मकान बनवा सकते हैं, अपने पास का भी पैसा लगा सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार ने इसकी जानकारी की है कि कई सीनियर आई. ए. एस. अधिकारियों ने राज्य सरकार से कर्ज लेकर बनाये हुए बंगले सरकारी विभागों को किराये पर दे रखें हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : राज्य का कर्ज लेकर बंगले बनवाते हैं, रिश्वत का पैसा उस पर लगाते हैं। बंगला पांच लाख का है और 50 हजार रुपये का कर्ज लेना दिखा देते हैं। कई अधिकारियों ने अपने मकान किराये पर दे रखे हैं और चाहे जैसा असेसमेन्ट कर देते हैं। इस तरह से ये ऑफिसर्स लूट रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत आरोप है। अगर किसी आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ आप लगायें तो उस पर्टीक्युलर

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
केस की जांच हो सकती हैं, पर जो आदमी यहां मौजूद नहीं हैं उनके खिलाफ इस तरह से आरोप लगाना मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : प्रश्न पूछने की मन्शा साफ है कि किन किन आई. ए. एस. अधिकारियों ने बंगले बनवाये हैं, अगर प्रश्न की भावना उपमंत्री जी नहीं समझें तो बहुत खेद की बात है। कर्ज लेकर मकान बनवाये, अपने रहने के लिये बनवाये या किराये पर देने के लिये बनवाये ? कितना कर्ज लिया और कितने का मकान बनवाया, यह तो मालूम करिये। यह आपका काम था, और आपको पूरा जवाब देना चाहिये लेकिन आप उस स्थिति में नहीं है और आप कहते हैं…………

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री विजयसिंह : मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूरा जवाब मिल गया और आपकी मन्शा कुछ और थी तो आपको उस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए था।

श्री विजयसिंह : जयपुर में रह कर बंगले बनवाये, उसके लिये पैसा कहां से लाये इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके प्रश्न में नहीं हैं।

श्री विजयसिंह : क्या सरकार इन आई. ए. एस. अधिकारियों की जांच का मामला सतर्कता आयोग को देने के लिए तैयार है ताकि पता लगा सकें कि इनके पास पैसा कहां से आया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न के दायरे के बाहर की बात कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का प्रश्न है और भ्रष्टाचार का प्रश्न है। अगर समय पर जांच हो जायेगी तो भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा कष्ट करते और अच्छी तरह से प्रश्न पूछ लेते।

श्री विजयसिंह : तो किस तरह से पूछते ?

श्री नत्थीसिंह : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि ये जो 45 बंगले आई. ए. एस. अधिकारियों ने बनाये हैं उन पर लागत क्या क्या है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कितने अधिकारियों ने बंगले बनवाये उसकी सूची मैंने दे दी।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि जिन आई. ए. एस. अधिकारियों ने बंगले बनवाये हैं। उनकी असेसमैन्ट करके और वेल्युएशन करके जांच करवायें कि कितनी उनकी लागत है और कितनी उनकी सर्विस है और वे पैसा कहां से लाये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। यदि किसी आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ शिकायत आयेगी तो जरूर जांच करायेंगे। सभी की जांच करवाना मुनासिब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

श्री विजयसिंह : राज्य सरकार ने इन आई. ए. एस. अधिकारियों को कुल कितना लोन दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री मूलचन्द डागा।

कृषि उपज मण्डी समिति, पाली

61. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पाली में उन व्यापारियों को कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्स लेने के लिये बाध्य किया जाता है जो पाली जिले के किसानों द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तु को नहीं बेचते ?

(2) क्या यह सत्य है कि कृषि उपज मण्डी की स्थापना का लक्ष्य यही था कि काश्तकारों को अपनी उत्पन्न की हुई वस्तु की कम कीमत मार्केट में नहीं मिले ? यदि हां, तो फिर उन चीजों पर कृषि उपज मण्डी समिति, पाली अपना कन्ट्रोल क्यों रखना चाहती है जो काश्तकार उत्पन्न ही नहीं करते और न मार्केट में लाकर उनको बेचते हैं।

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न कृषि उपज का व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को उस मण्डी में कार्य करने के लिये मण्डी समिति के लाइसैन्स लेना अनिवार्य है। इसमें जिले के किसानों द्वारा उत्पन्न अथवा बाहर की उपज का कोई भेद नहीं है। एक व्यापारी द्वारा लाये गये माल को दूसरे व्यापारी द्वारा खरीदने पर भी उसे आज्ञापत्र लेना अनिवार्य है।

(2) जी हां। मण्डी समिति को उन वस्तुओं के क्रय विक्रय के व्यापार को सही ढंग से नियन्त्रित करना है जो सरकार द्वारा इस मण्डी समिति की विज्ञप्ति में घोषित की गई है।

श्री मूलचन्द डागा : कृषि उपज मण्डी का आदेश किन किन वस्तुओं पर लागू है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह नियमों में लिखा हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह जानना चाहता हूं कि मण्डी से एक मार्केट एक मील की दूरी पर है और एक छोटा दुकानदार अगर गुड़िया शक्कर लाकर बेचता है तो उसके लिये लाइसेन्स लेना क्यों जरूरी है ?

श्री हरिसिंह : कृषि उपज विपणन अधिनियम के अन्तरर्गत जो भी कृषि के अन्दर क्रय विक्रय किया जाता है उसके लिये लाइसेन्स लेना जरूरी है, यह इसी उद्देश्य से किया गया है कि किसान को लाभ मिले और वहां जो भी कार्य करता है उसको समान रूप से लाभ मिले। बाहर से कोई ऐसी चीज लाता है जो वहां पर उत्पन्न होती है अथवा नहीं होती है, इसमें कोई भेद भाव नहीं है। अगर वहां पर उत्पन्न

(श्री हरिसिंह)

हुई वस्तुओं का नाम अलग करें तो जो बाहर से माल आता है उसमें कई प्रकार से ऐडमिक्सचर कर सकते हैं, और इससे जिस उद्देश्य से अधिनियम बनाया गया है वह सारा पर्पज-फस्ट्रेट होता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो यह चाहते हैं कि जो किसान अपनी खेती में पैदा करता हैं वह मार्केट में ले आये और उसको उचित मूल्य मिले, लेकिन जो व्यापारी कपास या गुड़िया शक्कर बाहर से लाता है, जिसकी उपज वहां का किसान करता ही नहीं, और जो मार्केट एरिया से बाहर बेचता है, तो उस पर आप क्यों नियन्त्रण करना चाहते हैं? इससे किसान को तो कोई नुकसान या लाभ होता नहीं है पर उस व्यापारी को बिना वजह नुकसान होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नुकसान होने दो।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : मण्डी एरिया के अन्दर किसी भी प्रकार की दुकान होगी उस पर यह कानून लागू होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा चाहे किसान का माल हो या व्यापारी का माल हो। अगर व्यापारी को इस कानून से निकाल देते हैं तो किसान भी अपना माल बाहर रखेगा और मण्डी का उद्देश्य समाप्त हो जावेगा। अगर ऐसी कोई कमोडिटीज हैं जिनको इस एक्ट की रव्यू से बाहर रखना चाहिए तो उसको अलग से निकाल कर हम शेड्यूल में दुरूस्ती कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ट्रेडर और ट्रेडर के बीच भी अगर कोई ट्रांसेक्शन होता है और उसको भी अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की जुरिसडिक्शन से बाहर रखते हैं तो हमारा मक्सद खत्म हो जाता है। जहां तक इन कमोडिटीज के लिये माननीय सदस्य ने बताया है उसके लिये देख रेख कर सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न आया था कि मार्केटिंग कमेटी दूसरी जगह पर यार्ड बनाना चाहती है, उसके लिये जल्दी से जल्दी एक्विजीशन प्रोसीडिंग्स करके जो मैदान हमको मिला है उसके लिये फैसला करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : पाली पंचायत समिति और रोहट पंचायत समिति का सारा क्षेत्र है वह क्या सारा मंडी एरिया है। इस 9 माइल के एरिये में पंचायत समिति रोहट के सारे गांव मार्केट यार्ड बन गये?

श्री शोभाराम : मंडी एरिया में और मार्केट यार्ड में फर्क है। मण्डी एरिया में तीन तीन चार चार पंचायत समितियों के एरियाज को शामिल कर लिया जाता है। जहां एक्चुअल ट्रान्जेक्शन होता है वह मार्केट यार्ड है। वहीं पर स्टाक का स्क्रिनिंग व ग्रेडिंग होगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मार्केट यार्ड में चीजें बेचता है क्या केवल किसान जो प्राड्यूसर होता है वही बेचता है या अन्य भी?

श्री शोभाराम : मार्केट यार्ड में क्रय विक्रय का काम होगा और मंडी एरिया में जो क्षेत्र घोषित किया गया है वहां का किसान अपनी उपज को मंडी एरिया में क्रय विक्रय के लिये लाता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : जो चीजें मंडी कमेटी द्वारा अपनी सूची में दर्ज की गई हैं उनके अलावा चीजों का ट्रान्जेक्शन करते हैं तो क्या लाइसेन्स लेना जरूरी है? इनके अलावा

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)
चीजों को डील करने वाले जो व्यापारी हैं क्या उनको इस बात के लिये बाध्य किया जा रहा है कि वे लाइसेन्स लें ?

दूसरी बात क्या पाली कृषि मंडी उपज समिति ने कोई एक छोटी सी राशि छोड़ी या नहीं यानी एक क्विन्टल तक भी कोई माल मंडी एरिया में लाये तो मार्केट यार्ड में और मंडी एरिया में कोई फर्क नहीं रहेगा ?

श्री शोभाराम : ऐसी कॉमोडिटीज जो शिड्यूल में दर्ज है और एक ऐसा व्यापारी जो किसी भी कॉमोडिटी में डील नहीं करता उसको लाइसेन्स लेना लाजिमी नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि रिटेलर्स और होल-सेलर्स का सवाल है । एक दफा जो ट्रान्जेक्शन हो गया चाहे होल सेल कमीशन एजेन्ट द्वारा, चाहे परमानेन्ट बेसिस पर लेते हैं तो पहले ट्रान्जेक्शन में मंडी कमेटी का कानून लागू हो जाता है अगर वह रिटेलर्स को बेचता है तो हम एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान करने की सोच रहे हैं । उनके साथ डिफ्रेन्ट फुटिंग पर ट्रीट करना चाहते हैं । यह मामला केबीनेट के सामने है रिटेलर्स और होल सेलर्स में किस प्रकार से फर्क किया जाय उनके साथ किस प्रकार से डील किया जाय यह सरकार के सामने विचाराधीन है ।

श्री मूलचन्द डागा : कृषि मंडी उपज कमेटी का निर्माण ही इसलिये हुआ कि बिचोलिये लाभ नहीं उठा सकें । सारा लाभ किसान को मिले । पाली कृषि उपज मंडी में माल नीलाम हुआ है ?

श्री शोभाराम : मैं आपसे अर्ज करूं हाई कोर्ट से कुछ ने स्टे ऑर्डर्स ले रखे हैं । कुछ जगहों पर किसानों से धर्मादे के नाम पर, शागिर्दगी के नाम पर, स्क्रीनिंग के नाम पर, तुलाई के नाम पर जिस तरीके से किसानों से पैसा वसूल किया जाता है उससे किसानों को बहुत बड़ी हानि होती है । इस संबन्धी कुछ रूल्स बने हैं जिनके अनुसार इससे ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं होगा, धर्मादा, शागिर्दगी का कमिशन समाप्त हो गया है, और डेढ़ रुपये सैंकड़े से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकेंगे, इस प्रकार का प्रतिबन्ध है । अमानत पर माल रखते हैं उसके लिये भी छीजत के नॉर्म्स मुकर्रर कर दिये हैं । उसके लिये भी दरें तय करदी गई हैं । जो पहले प्रेक्टिस चल रही थी वह किसानों के अनुकूल नहीं पड़ रही थी । उसमें उनकी लुटाई होती है उसको मिनीमाइज करने के लिये मार्केटिंग एक्ट बनाया है ।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) **:** जो कृषि उत्पादन की वस्तु नहीं है जैसे गुड़, कपासिये उन पर पहले टैक्स नहीं लगता था उन पर भी टैक्स लगाया जाता है यह कहां तक उचित है ?

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं मंडी कानून के अन्तर्गत एक बार व्यापारी कोई चीज ले लेता है, केवल एक चीज भी तो उसको भी लाइसेन्स लेने के लिये बाध्य किया जाता है । परचूनी व्यापारी जो किसी मंडी से माल लाता है क्या उस पर भी टैक्स लिया जाता है और जो कृषि उत्पादन की चीज नहीं है उसके लिये उनसे किस प्रकार से लाइसेन्स लेने को कहा जाता है ?

श्री शोभाराम : रिटेलर्स को क्या रिले-क्सेशन देना चाहिये, क्या प्रतिबन्ध उन पर

(श्री शोभाराम)
रहने चाहिये, इस बारे में ये प्रश्न मंत्रि-मंडल के विचाराधीन हैं। चाहे व्यापारी माल लाता है या किसान लाता है कोई भी माल लाये उस पर मंडी कमेटी का कानून लागू होगा। हमने छीजत के बारे में, धर्मादे के बारे में, शागिर्दगी के बारे में प्रतिबन्ध लगाये हैं क्योंकि उनसे किसानों को काफी हानि होती थी। किसान का माल मंडी के क्षेत्र के बाहर यदि खरीदा जावेगा तो उससे किसान को बहुत हानि होगी। हमने हिन्दुस्तान के दूसरे सूबे के कानूनों को देखा है ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स पर और एग्रीकलचर प्रोड्यूस पर मंडी कमेटी नियम लागू होते हैं।

श्री गोरधन सोनी : जो चीजें किसान पैदा नहीं करता उस पर टैक्स लेने का क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : कृषि उपज मंडी एक्ट के अन्तर्गत किसान के माल की नीलामी सरकारी दलाल करते हैं और यहां राजस्थान के अन्दर आज भी कच्चे आढ़तिये नीलाम करते हैं। इसके लिये सरकारी दलाल होने चाहिये क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है ?

जिस यार्ड को कृषि उपज मंडी में सम्मिलित किया गया है क्या उस भूमि को कलेक्टर द्वारा या परगना अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत को बेचा जा सकता है ?

श्री शोभाराम : आपने जो इस प्रकार का प्रश्न उठाया है उसके बारे में कोई उदाहरण सामने लायेंगे किसी ने इस प्रकार की गड़बड़ी की है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा। मेरे नोटिस में डिटेल्स लायेंगे तो उसकी इन्क्वायरी करवाऊंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गैर सरकारी दलाल क्या नीलामी करवा सकते हैं ?

श्री शोभाराम : माल की नीलामी आदि का काम मार्केटिंग कमेटी ऑफिसर की निगरानी में होता है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : एक प्रश्न······

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह······

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिड्यूल के अंदर कृषि उपज को इन्क्लूड करने की जो व्यवस्था है जैसे शक्कर, गुड़, बिनौला तो उसको एड करने के लिये कोई नॉर्म्स बना रखे हैं या अपनी मर्जी से ही इनको इन्क्लूड कर देते हैं ?

श्री शोभाराम : हरेक प्रकार की कमोडिटीज के लिये अलग अलग प्रकार के डाइरेक्शन दिये हुए हैं। जिस प्रकार की कमोडिटी होती है, उसके अलग अलग नार्म्स किये हैं। उसी के मुताबिक नियन्त्रण किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न। इस प्रश्न पर समय काफी हो गया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : नाहर कमेटी के आधार पर कब तक आप कानून में संशोधन लाना चाहते हैं ? कोई तारीख तय है ?

श्री उपाध्यक्ष : एक ही प्रश्न पर समय काफी हो गया है, माननीय सदस्य..........

श्री शोभाराम : नाहर कमेटी के आधार पर क्या संशोधन हो यह मन्त्रिमण्डल के सामने विचाराधीन है। जल्दी से जल्दी मन्त्रिमण्डल फैसला करेगा और जो कुछ फैसला होगा, कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रेमसिंह सिंघवी।

छबड़ा व छींपा बड़ोद तहसील क्षेत्रों में डकैतियों के मामले

62. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि कोटा जिले के छबड़ा व छींपा बड़ोद तहसील क्षेत्र में धन्ना नामक डाकू सक्रिय तौर पर डकैतियां डाल रहा है ? यदि हां, तो उसे पकड़ने के लिये क्या कदम उठाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इसी धन्ना नामक डाकू ने झालावाड़ में भी डकैतियां की हैं ? यदि की हैं, तो कहां कहां पर ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां। डाकू धन्ना छबड़ा क्षेत्र में सक्रिय है। इसको बन्दी बनाने हेतु पुलिस द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं व इसे पकड़ने के लिये 750) रु० का इनाम भी घोषित किया गया है।

(2) जी नहीं। एक अभियोग डकैती का आरक्षी केन्द्र मनोहरथाना पर सन् 1969 में पंजीबद्ध हुआ है जिसमें 82) का माल लूटा गया है। यह सन्देह किया जाता है कि यह डाका श्री धन्ना डाकू द्वारा डाला गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कोटा जिले के छबड़ा व छींपा बड़ोद तहसील क्षेत्र में धन्ना नामक डाकू सक्रिय तौर पर डकैतियां डाल रहा है। मन्त्री महोदय ने कहा है, जी हां। तो मन्त्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि धन्ना नामक डाकू से सब-इन्स्पेक्टर की मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुलिस विफल हुई। क्या यह भी सही है कि धन्ना नामक डाकू से छबड़ा क्षेत्र में पुलिस की इन दिनों में मुठभेड़ हुई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : छबड़ा क्षेत्र में 9 डकैती और 9 नकबजनी के केस पुलिस में दर्ज हुए हैं। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उसको गिरफ्तार करने के लिये प्रयास किया जा रहा है और उसके लिये सरकार ने इनाम भी निकाला है। उसके साथ मुठभेड़ होने की कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई मुठभेड़ हुई हो ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या धन्ना नामक डाकू से एस० एच० ओ छबड़ा की मुठभेड़ हुई है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उक्त कोटा जिले की छबड़ा व छींपा बड़ोद तहसील में किस किस गांव में पिछले तीन, चार महीनों में डकैती डाली गयी है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसी से सम्बन्धित है कि किन किन गांवों में डकैतियां डाली गई हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपका प्रश्न यह था, क्या सरकार को विदित है कि कोटा जिले के छबड़ा व छीपा बड़ोद तहसील क्षेत्र में धन्ना नामक डाकू सक्रिय तौर पर डकैतियां डाल रहा है ? यदि हां, तो उसके पकड़ने के लिये क्या कदम उठाया गया है ? और अब आप पूछ रहे हैं कि कोटा जिले के किन किन गांवों में डकैतियां पिछले तीन महीनों में पड़ी हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने छबड़ा तहसील के बारे में पूछा है ।

श्री उपाध्यक्ष : डकैतियों के प्रश्न की सूचना अलग से देनी चाहिये थी । अगर नहीं दी है, तो इस सवाल के लिये मन्त्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकते ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.) : क्या मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिल कर डाकुओं को समाप्त करने की कोई योजना बना रही हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण दें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग से पूछिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप पड़ौसी सरकार की मदद लेकर डाकुओं को सदा के लिये समाप्त कर दें । मैंने स्वयं सरकारी कमेटी के दौरे के समय यह देखा है कि शाहबाद क्षेत्र में लोग 5 बजते बजते घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : सिर्फ धन्ना नामक डाकू के बारे में प्रश्न पूछा है । इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये मैं उसका उत्तर दे दूंगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : धन्ना नामक डाकू की खोज के नाम से जो पुलिस कैम्प लग रहा है, उसमें आये दिन लोगों को पुलिस वाले बुलाते हैं और उन पर डाउट किया जाता है ? क्या पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि धन्ना नामक डाकू को उस क्षेत्र में कौन कौन व्यक्ति सहायता पहुंचाते हैं ? फिर मर्जी आये उस व्यक्ति को बुलाकर धमकाने का क्या मतलब है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरों के लिये जो पूछा है, उसके लिए आप प्रश्न पूछ लीजिये, मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इससे संबंधित है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य········

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि कोटा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है कि उस क्षेत्र के भूतपूर्व थानेदार का इस डाकू को सहायता पहुंचाने में हाथ है ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न । श्री जुझारसिंह ।

सामूहिक कृषि सहकारी समिति ग्राम हरीगढ़

63. **श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी)**: क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम हरीगढ़ तहसील खानपुर में सामूहिक कृषि सहकारी समिति रजिस्टर्ड है ? यदि हां, तो कब से और इसके कितने व कौन कौन सदस्य हैं ? नाम बताने का कष्ट करें ।

(श्री जुझारसिंह)

(2) उपरोक्त सहकारी समिति के पास कितनी जमीन है और कहां कहां पर स्थित है ?

(3) उपरोक्त समिति को सहकारी विभाग से अब तक कितना कितना ऋण किस मद में प्राप्त हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि समिति के सेक्रेटरी को सरकार से पिछले तीन साल से वेतन मिल रहा है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

(5) सामूहिक कृषि सहकारी समिति बनाने के पीछे सरकार की क्या नीति है और उपरोक्त समिति इसे कहां तक पूरा करती है ?

उपमन्त्री सहकारी (श्री रामदेव सिंह): इसका जवाब नहीं है। इसको पोस्टपोन कर दिया जाये।

श्री जुझारसिंह : इसमें निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह प्रश्न गत एक वर्ष से पूछा जा रहा है और अबकी बार लिस्ट पर आया है। इस प्रश्न में साफ है कि एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव सोसायटी की कांग्रेस नेताओं ने मेम्बरशिप ले ली है और इन मेम्बर्स के पास एक बीघा जमीन भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगले सप्ताह तक के लिये स्थगित किया जाता है। अगले सप्ताह इसका उत्तर दे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

सर पर रखकर मैला ढोने का कार्य

64. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) राज्य में कितनी नगरपालिकाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन नगरपालिकाओं में मेहतरों के सिर पर मैला ढोने की पुरानी प्रथा बन्द कर नई प्रथा ठेलों एवं ढोलों द्वारा मैला उठाने की व्यवस्था की है और किन किन नगरपालिकाओं में अभी तक वही पुरानी प्रथा चल रही है ?

(3) किन किन नगरपालिकाओं ने सार्वजनिक टट्टियों को फ्लश की बना दी है या फ्लश में परिणित की है और किन किन नगरपालिकाओं ने अभी तक पुरानी पृथा अपना रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार सिर पर मैला ढोने को बन्द करने के लिये क्या योजनाबद्ध कदम उठा रही है, विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

स्वायत शासन मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (1) राज्य में 144 नगरपालिकाएं एवं एक नोटिफाइड एरिया कमेटी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्रायः अभी तक सब ही नगरपालिकाओं में जहां मेहतर लोग निजी तौर से निजी मकानों का मैला उठाने का कार्य करते हैं, पुरानी प्रथा चल रही है।

(श्री भीखाभाई)

(3) लगभग सभी नगरपालिकाओं में अभी पुरानी प्रथा चालू है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं।

(4) प्राइवेट तौर पर निजी मकानों का मैला उठाने सम्बन्धित कार्य करने वाले मेहतरों के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। नगरपालिकाओं की सेवाओं में कार्य कर रहे मेहतरों को मैला ढोने के लिये हाथ गाड़ियों, खुरपे इत्यादि दिये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या यह सही है कि अभी तक नगरपालिकाओं की सेवा में कार्यरत मेहतर मैला ढोते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह सुनाई नहीं दिया है। इसलिये निवेदन है कि दुबारा स्पष्ट शब्दों में उत्तर देने को कहें।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने दुबारा पढ़ दिया है।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंटरी होने का सवाल नहीं है। सवाल का जवाब दे दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सदन के सभी सदस्यों को सुनाई नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, वे आपके आदेश के बावजूद बोल नहीं रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि सर पर मैला ढोने के कार्य करने वालों को राज्य सरकार ने नगरपालिका के जरिये गत वर्ष और इस वर्ष क्या आर्थिक सहायता दी है।

श्री भीखाभाई : मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। फिर भी नगरपालिकाओं को अभियान के रूपमें सिर पर मैला न ढोने के लिये अभी तक करीब 4 लाख, 4½ लाख के औजार अलग अलग नगरपालिकाओं को दिये हैं और हाथ से चलाने वाली गाड़ियां भी दी हैं। अब यह विचार किया गया है कि समाज कल्याण विभाग में इसका प्रावधान किया गया है कि जो पब्लिक लैट्रिन्स हैं, उनको फ्लश के अन्दर तब्दील किया जा सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मलकानी कमेटी ने यह राय दी थी कि राजस्थान में इस प्रथा को समाप्त करने के लिये कानून बनाया जाय? तब सरकार कानून क्यों नहीं बनाना चाहती?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या एक तरफ सरकार गांधी शताब्दि भी मनावेगी और साथ साथ सिर पर मैला ढोना भी जारी रखेगी? इन दोनों में से आप कौनसी चीज नहीं करने वाले हैं और कौनसी चीज करने वाले हैं? यह स्पष्ट करिये।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य का सुझाव बढ़िया है मैं समझता हूं कि सारे सदस्य जो सदन में विराजे हुए हैं और जो गांधीवादी विचार धारा रखते हैं और क्योंकि गांधी शताब्दि वर्ष है इसलिए हम अपने अपने घरों से इसकी शुरूआत कर दें।

Page No 15

(श्री भीखाभाई)

फिर अपनी अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी के अन्दर माननीय सदस्य निजी तौर पर इसका प्रचार करें। नगरपालिकाओं को सरकार की तरफ से इसके लिए लिखा जावेगा कि अपनी अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए फ्लश लेट्रीन्स में कनवर्ट कराने की कोशिश करें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतावेंगे कि किन नगरपालिकाओं ने ऐसे कदम उठाये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मूलचन्द डागा के खड़े होने पर) श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : मलकानी कमेटी ने चार बार राजस्थान का दौरा किया और सिफारिश की है अपनी रिपोर्ट में कि कस्टमरी सिस्टम की जो हरिजनों की वृत प्रथा है उसको कानून के जरिये खतम कर दिया जावे। क्या सरकार यह कदम उठाना चाहती है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जो प्रश्न पूछा है उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के जरिये सामाजिक सुधार आप करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हम स्वयं इस काम की शुरुआत अपने से करें। आज सरकार यह कानून बना दे तो यह व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसको क्रमिक ढंग से ग्रेजुअल वे में सामाजिक स्थितियों को बदलते हुए और वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए यह किया जा सकता है। मलकानी कमेटी की सिफारिशें सर्व मान्य हो सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दौलतराम सारण।

राजकीय पक्रमों, निगमों, बोर्ड्स एवं कमेटियों में राजनीतिज्ञों की नियुक्तियां

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा फरवरी, 1967 के पश्चात् कितने राजकीय उपक्रमों (अण्डरटेकिंग्स) निगमों बोर्ड्स व कमेटियों में पोलिटिशियन्स को नियुक्त किया गया है ?

(2) सूची मय नियुक्ति आदेश के सदन की मेज पर रखी जाय।

(3) उनकी उक्त पदों के लिये योग्यताएं क्या हैं और उनको दी गई सुविधाओं, वेतन भत्ता पर प्रति व्यक्ति कितना मासिक या वार्षिक व्यय होगा।

(4) क्या ऐसा करने के लिए सम्बन्धित कानून एवं नियमों में संशोधन किए गए हैं ? यदि हां, तो किन किन में, क्या क्या ?

(5) क्या केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम, निगम, बोर्ड व कमेटी जिसका कार्यक्षेत्र राजस्थान में है, में भी राजस्थान के किसी भूतपूर्व मन्त्री, विधायक या एम. पी. को नियुक्त करवाया गया है या सिफारिश की गई है ? ऐसे संस्थान व पद व व्यक्ति के नामों की सूची भी दी जाय।

उपमन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) फरवरी, 1967 के पश्चात् विभिन्न राजकीय उपक्रमों, निगमों, बोर्ड्स व कमेटियों में नियुक्त किये गये विभिन्न

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
पोलिटिशियनों के नाम तथा जिन राजकीय उपक्रमों, निगमों, बोर्ड्स व कमेटियों में उनकी नियुक्ति की गई है उनकी सूची परिशिष्ट 'क' में है एवं नियुक्ति आदेश परिशिष्ट 'ख' में हैं जो सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(3) जिन पदों पर राजनीतिज्ञों को नियुक्त किया गया है। उन पदों के लिये किसी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। उन्हें दी जानेवाली सुविधाओं का उल्लेख परिशिष्ट 'क' पर यथास्थान कर दिया गया है।

(4) एक मामले में अर्थात् खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी अधिनियम में संशोधन किया जाकर मन्त्री के स्थान पर एक गैर सरकारी व्यक्ति को बोर्ड का सभापति बनाने का प्रावधान किया गया।

(5) जी नहीं। जिन ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार ने स्वतः नियुक्त किया है उसकी सूचना परिशिष्ट 'ग' में उपलब्ध है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं राजनितिज्ञ जिनकी नियुक्ति मन्त्री या उपमन्त्री स्तर की सुविधाओं के साथ की गई है और उतना ही वेतन दिया गया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक हैं श्री बालकृष्ण कौल, दूसरे श्री चन्दनमल वैद, तीसरे श्री ज्वालाप्रसाद जो रोडवेज के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा श्री माणिक्यलाल वर्मा को दिया गया था। इसके बाद श्री भोगीलाल पंड्या के बारे में निश्चित तौर से नहीं कह सकता हूं क्योंकि सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह कैसे कहते हैं। आदेश की प्रति संलग्न है। उनको भी मन्त्री पद का स्टेटस दिया गया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : चुनावों में जो कांग्रेसी एम. एल. ए. हार जावें उनको सुविधा देने का नियम बना रक्खा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : ऐसा नहीं है तो बता दीजिये, इनमें कौन हारा हुआ है और कौन जीता हुआ है और कौन गैर कांग्रेसी है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माणिक्यलाल जी वर्मा तो एम. एल. ए. नहीं थे ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): वर्मा जी तो चले गये, उनके लिये कुछ नहीं कहना चाहते।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में आपने बताया कि उनके लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। तो क्या अयोग्य व्यक्ति को भी इस प्रकार के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : योग्यता से मेरा मतलब शिक्षा सम्बन्धी एकेडेमिक योग्यता से है।

श्री भैरोंसिंह : जिसकी नियुक्ति करें उसको उस विभाग के सम्बन्ध में ज्ञान, प्रशासन का ज्ञान हो, पढ़ा लिखा हो यह तो आपने देखा होगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं उन सबको तजुर्बा है।

श्री भैरोंसिंह : यह आवश्यक है न ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह देखने की बात है। अनपढ़ को तो कैसे नियुक्त कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिनको आप नियुक्त करते हैं उनमें उस पद के लिये प्रशासनिक अनुभव हो, जिस विभाग में नियुक्त किया जाता है उसके सम्बन्ध में उसकी जानकारी और तीसरी लिखा पढ़ा हो। ये तीन चीजें तो आवश्यक हैं न।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया उपाध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार के कानून कायदों के तहत कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की गई। नियुक्ति के समय केवल इतना ही ध्यान रखा जाता है कि अनुभवी व्यक्ति के अनुभव का लाभ उठाया जाये।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो यह माना जावे कि एक तो कांग्रेसी हो, और दूसरा चुनाव में हारा हुआ हो उसकी आप नियुक्ति करते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो आपके ऊपर भी लागू हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: आप बता दीजिये जिनको नियुक्त किया गया है उनमें ये दोनों योग्यताएं नहीं हों।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): ऐसे हारे हुए भूतपूर्व मन्त्रियों को सिफारिश के रूप में एक तरह से प्रश्रय देना या परवरिश करना भ्रष्टाचार मे दाखिल नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं माननीय विरोधी दल के नेता महोदय की राय से सहमत नहीं हूं। चुनावों में जो हार गये हैं तो उनके अनुभवों का भी लाभ लेना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या हारे हुए मन्त्रियों को, भूतपूर्व मन्त्रियों को इस तरह से स्थान देना आपाधापी है, भ्रष्टाचार है या पक्षपात है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने प्रारम्भ में पूछा था पूरा उत्तर नहीं दिया कि किन किन राजनैतिक व्यक्तियों को मंत्रियों और उप मन्त्रियों के वेतन का स्तर दे रखा है। इसमें आपने कुछ नाम बताये और कुछ नहीं बताये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो सूचना दी है उसमें सब नाम दे दिये हैं, माननीय सदस्य... ...

श्री दौलतराम सारण : आप टोटल बता दीजिये कितने कितने..........

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने सूचना उपलब्ध करा दी है। इसमें सब नाम हैं श्री बालकृष्ण कौल, श्री माणिक्यलाल वर्मा, श्री चन्दनमल वैद्य, श्री ज्वालाप्रसाद के लिये है इसके अलावा श्री भोगीलाल पंड्या का दिया है। इसके अलावा और हैं तो आप बता दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या ऐसा कन्वेंशन और परम्परा बनाना एक जनतंन्त्र के लिये सरकार स्वस्थ चीज मानती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें कोई अनुचित बात नहीं समझते हैं। यह कोई बुरी परम्परा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
नहीं है जो व्यक्ति हार गये हैं उनके अनुभवों का लाभ उठाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सूची जो दी गई है उसमें श्री बालकृष्ण कौल का नाम नहीं है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उनका नाम है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हैं, आप देखिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने का यही मार्ग है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अलग से प्रश्न है

श्री प्रेमसिंह (छबड़ा) : मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक क्या किसी अपोजीशन से हारे हुये किसी एम. एल० ए० को एम्पलाय किया है?

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आदमी हार जाता है उसको मिनिस्टर का दर्जा दे रखा है 4 को यहीं दे रखा है और 5 को वहां कर रखा है—5 अन्डर ग्राउन्ड हैं। नये नये निगम और बोर्ड का अनाउन्स करते रहते हैं और हारे हुये आदमी को वहां लगा देते हैं। यह खुले रूप से पब्लिक एक्सचैंकर पर डकैती डाली गई है।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इन निगमों और बोर्डों में जिनको नियुक्त करते हैं उनकी योग्यता आपकी दृष्टि से क्या है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन कर दिया योग्यता के सम्बन्ध में। मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : कांग्रेस के हारे हुये व्यक्तियों की योग्यता है। यह बहुत बड़ा गेंग बन गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

गंगानगर में जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय

66. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में जन सम्पर्क अधिकारी की पोस्ट खाली है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि गंगानगर में जन सम्पर्क अधिकारी का कार्यालय है और जन सम्पर्क अधिकारी की पोस्ट पर किसी अन्य अधिकारी के नाम से वेतन उठाया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर एक सीमावर्ती जिला होने के कारण वहां पर जन सम्पर्क अधिकारी का होना निहायत जरूरी है? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(4) जन सम्पर्क कार्यालय गंगानगर में कब स्थापित हुआ और उस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं ?

उप मंत्री जन सम्पर्क (श्री हीरालाल, देवपुरा) : (1) जी हां, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, गंगानगर का पद वर्तमान में अबेयेन्स में है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई समझ में नहीं आता है क्या कह रहे हैं। आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए।

श्री हीरालाल देवपुरा : (1) जी हां, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, गंगानगर का पद वर्तमान में अबेयेन्स में है।

(2) जी हां, गंगानगर में जन सम्पर्क कार्यालय है जो जन सम्पर्क अधिकारी, बीकानेर की देख रेख में कार्य कर रहा है। वहां का जन सम्पर्क अधिकारी का पद अबेयेन्स में रखा गया है। जिसके सम्मुख एक सम्पर्क अधिकारी का पद मुख्यालय पर सृजित किया गया है।

(3) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(4) गंगानगर का जिला जन सम्पर्क कार्यालय सन् 1955 में स्थापित हुआ था। इस समय 5 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि गंगानगर में जन सम्पर्क कार्यालय जो खोला गया है उसमें जो अधिकारी रखा गया उसका नाम क्या है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने प्रश्न में पूछा नहीं है इसलिए नहीं बताया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : समझ में नहीं आता है आप क्या कह रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : भीखाभाई के पीछे नहीं बैठा करें देवपुरा साहब ! फिर ठीक बोलेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो जन सम्पर्क अधिकारी है उसका नाम क्या है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस समय जन सम्पर्क अधिकारी का स्थान रिक्त है अतः नाम का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह डूब मरने की बात नहीं है। हमारे जिले में जन सम्पर्क कार्यालय खोल रखा है—यह एक सीमावर्ती इलाका है। ऐसे जन सम्पर्क कार्यालय खोलने का क्या उपयोग है ? क्यों खर्चा किया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उस जिले में बीकानेर के जन सम्पर्क अधिकारी कार्य कर रहे हैं। वे दोनों जगह का काम सम्हाल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या आपके पास कोई हारा हुआ मंत्री नहीं है ? उसको लगा दें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कितने दिनों में जन सम्पर्क अधिकारी को नियुक्ति कर दी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष : विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इतने दिन तक अभी विचाराधीन है। दो साल हो गये।

(श्री रामचन्द्र आर्य)
विचाराधीन की कोई सीमा होती होगी। कितने दिन में......

श्री हीरालाल देवपुरा : बहुत जल्दी निर्णय लिया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जन सम्पर्क अधिकारी की पोस्ट से दूसरा अन्य अधिकारी उसके नाम से वेतन उठा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है। इसका उत्तर आ चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह पोस्ट अबेयेन्स में रखी गई है। बीकानेर के जन सम्पर्क अधिकारी काम कर रहे हैं। वहां पर अधिकारी लगाया जायगा उसके लिये मामला विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह।

प्रश्न सं० 67

कृषि उपज मंडी समितियों को स्थापना

67. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किन किन मंडियों में कृषि उपज मंडी समितियां स्थापित हो गई हैं ?

(2) क्या इन सब मंडियों में छानने की एवं ग्रेडिंग की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या ये समितियां कानून का उल्लंघन नहीं कर रही हैं और किसानों को मिलने वाले वास्तविक लाभ से वंचित नहीं कर रही हैं ?

(4) क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री कृषि (श्री हरीसिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, अभी तक केवल कुछ मंडियों में ही छानने की व्यवस्था हो पायी है। शेष में स्थानाभाव के कारण व्यवस्था की जा रही है। जिसके बाद छानने की व्यवस्था कर दी जावेगी। ग्रेडिंग की व्यवस्था उसके बाद की जावेगी।

(3) जी नहीं।

(4) मंडी समितियों के पास जैसे जैसे ही उनके पास जगह की सुविधा उपलब्ध होगी छानने की व्यवस्था करने की चेष्टा की जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह : आपने तो कहा कुछ मंडी समिति में व्यवस्था हो गई है, कुल कितनी मंडी समितियों में हुई है ?

श्री हरिसिंह : 12 मंडी समितियों में हुई है।

श्री पृथ्वीसिंह : 151 में से 12 की व्यवस्था की है बाकी में छानने की व्यवस्था नहीं हो पाई। क्या मंडी समिति के नियमों के अन्तर्गत कृषि उपज को छानकर मंडियों में बेचने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है ?

श्री हरिसिंह : वैसे नाइन्टीनाइन के अन्तर्गत कई फंक्शन्स हैं । एक फंक्शन यह भी है ग्रेडिंग और स्टेन्डर्डाईजेशन वाला । उसके अन्तर्गत यह फंक्शन है । कानूनी रूप से बाध्य करना स्पष्ट नहीं है । जैसे जैसे सुविधा उपलब्ध होगी वहां किया जायगा । जहां ऐसी मंडिया उपयुक्त मात्रा में हैं और जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है वहां कहीं भी ग्रेडिंग की मशीन नहीं आ सकी है, ग्रेडर्स नहीं हैं । ये सब सुविधायें होने पर मंडी समिति में ग्रेडिंग स्टेन्डर्डाईजेशन कर दिया जायगा ।

श्री पृथ्वीसिंह : 139 मंडी में ग्रेडिंग की व्यवस्था नहीं की । क्या वह रूल 19 का वायोलेशन नहीं है ?

श्री हरिसिंह : वायोलेशन का प्रश्न ही नहीं उठता है । कई तरह के फंक्शन्स हो सकते हैं । कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

श्री पृथ्वीसिंह : मंडी समिति की स्थापना का मूल उद्देश्य यह है कि काश्तकार को अपनी प्रोड्यूज का उचित मूल्य मिल सके वह जब तक छानने की व्यवस्था नहीं हो सकेगी तब तक सम्भव नहीं है इसलिये सरकार को व्यवस्था करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र सोचना चाहिये । क्या सरकार सोच रही है ?

श्री हरिसिंह: जिस समय स्टेन्डर्डाईजेशन और ग्रेडिंग की व्यवस्था होगी जल्दी से जल्दी किया जायगा और इसमें जो दिक्कतें हैं धनराशि की दिक्कत है जो समितियां हैं उनके पास बराबर उपलब्ध धनराशि नहीं है यार्ड जितने होने चाहिये उतने नहीं हैं । ग्रेडिंग मशीनें उपलब्ध हो तब हो सकता है इसलिये जल्दी से जल्दी किया जायगा ।

(12 मध्याह्न)

श्री पृथ्वीसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह समझा जाये कि जो 139 मंडियां स्थापित की गयी हैं वह नाम मात्र की हैं और डिफंक्ट मंडियां हैं जो कि काश्तकारों को उनके मूल उद्देश्यों के हिसाब से पूरी सुविधायें उपलब्ध नहीं करवा पारहे हैं ?

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) **:** उपाध्यक्ष जी, जैसा उप मंत्री जी ने बताया कि सिर्फ 12 मंडियों में छानने की व्यवस्था की गयी है लेकिन मैं यहां निवेदन करदूं कि बहुत सी मंडी कमेटीज के लिए यार्ड्स स्थापित करने के लिए जो विस्तृत जगह की जरूरत है यह सब कार्यवाही क्लेक्टर्स के स्तर पर चल रही है । कुछ मंडियां इस प्रकार की हैं कि जहां बहुत छोटी जगह हैं और वहां पर छानने की व्यवस्था नहीं की जा सकती, उसके लिए भी हम जमीन लेना चाहते हैं । यह ठीक बात है कि यह छानने की ग्रेडिंग की और स्टेन्डर्डाइजेशन करने की जरूरत है तो जैसे ही माकूल जगह प्राप्त होगी इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी और हम उनको पाबन्द करेंगे । लेकिन जो मौजूदा मंडी कमेटियों के यार्ड्स हैं जहां आज ट्रान्जेक्शन्स होते हैं इतनी छोटी जगह हैं की वहां ग्रेडिंग मशीन लगाते हैं तो बैलगाड़ियां को भी खड़े होने की व्यवस्था नहीं होती है । हम जल्दी से जल्दी कलेक्टर्स को लिख रहे हैं कि जितनी जमीन उपलब्ध कराना है एक्वायर करके इनको दी जाये । उसके बाद हम बड़ी कड़ाई के साथ इस कानून को लागू करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न ।

[redacted]

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न पूछूंगा उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के अभाव के अन्दर इतनी बड़ी संख्या के अन्दर मंडियों के अन्दर रेगुलेटेड काम शुरू करने की घोषणा कर दी गयी और उसमें आपने जमीन की भी व्यवस्था नहीं की तो बिना जमीन के जो मंडियां स्थापित की गयी हैं और उनमें 12 ने ही काम शुरू किया है तो क्या बाकी मंडियों को डि फंक्ट समझा जाये ?

श्री शोभाराम : डिफंक्ट समझने की जरूरत नहीं है। जमीन एक्वायर करने के लिये खास कानून के तहत प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें हम तेजी करते हैं लेकिन हम जबरदस्ती किसी आदमी की जमीन निकाल करके उसको दे दें, कानूनी ढंग से हम ऐसा नहीं कर सकते। यह ठीक है कि जहां छानने कि व्यवस्था है और हो सकता है उसकी देखरेख करके मान लें कि ऐसी मंडियां हैं कि जिनमें छानने की व्यवस्था की जा सकती है तो हम इसमें और सख्ती बरतेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या 70 ले लिया जाये उपाध्यक्ष महोदय जो कि जनरल पालिसी से संबंधित है। मैं समझता हूं कि सभी हाउस के मेम्बर्स इसमें इन्टरेस्टेड हैं। श्री कृष्णकुमार जी गोयल अपने प्रश्न के लिए इनसिस्ट नहीं कर रहे हैं और न मैं समझता हूं कि सालोदिया जी अपने प्रश्न के लिये स्ट्रेस करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या 70।

भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए आयोग

70. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को ज्ञात है कि चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात् कई राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों ने अपने अपने राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं मंत्रियों आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच हेतु आयोगों के गठन संबंधी कानून बना लिये हैं ? यदि हाँ, तो क्या इसी प्रकार का कानून बनाने का सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) (मुख्य मंत्री के स्थान पर): राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार वर्तमान में किसी भी गैर कांग्रेसी राज्य में कोई विशिष्ट कानून प्रवर्तमान नहीं है।

यह एक अखिल भारतीय मामला है। सरकार का मत है कि इस मसले पर अखिल भारतीय आधार पर ही निर्णय होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अखिल भारतीय स्तर पर यह मामला है तो क्या अखिल भारतीय स्तर पर जो कानून बन रहा है उसमें मंत्रियों, विधान सभा सदस्यों और संसद् सदस्यों पर यह लागू होगा क्या आपको जानकारी है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करदूं कि जो लोकपाल और लोक आयुक्त का

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
बिल पार्लीयामैंन्ट के अन्दर डिसकस हो रहा है वह सलैक्ट कमेटी का बिल आ चुका है उसमें विधान सभा के सदस्यों के लिये कोई प्रावधान नहीं है और राज्य सरकार वहां से पास होने के बाद उस पर विचार करेगी कि राज्य सरकार को उस पर क्या कार्यवाही करनी है ।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार ने जो लोकपाल और लोक आयुक्त के संबन्ध में विधेयक पारित किया है उसको राजस्थान के लिये एडोप्ट करेगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अभी विधेयक वहां पारित नहीं हुआ है । खाली लोक सभा में पेश हुआ था । डिसक्शन चल रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : पारित होने के बाद राज्य सरकार की क्या नीति है कि उस विधेयक को राजस्थान के लिये एडोप्ट किया जायेगा या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि यह एक अखिल भारतीय स्तर का मामला है । वहां से पास होने के बाद उसमें क्या प्रावधान है, सरकार वहां से पास होने के बाद ही उस पर विचार करेगी ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा लगता है कि अभी तक सरकार ने विचार ही नहीं किया है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आपके अपने विचार हो सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने इस संबध में जो लोकपाल और लोक आयुक्त की व्यवस्था केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है वह व्यवस्था राजस्थान में लागू की जाये या राजस्थान में अलग से कानून बनाया जाये इस प्रश्न पर अभी भी राजस्थान सरकार ने विचार किया है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : राज्य सरकार ने उस विषय पर बहुत विचार किया है लेकिन राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या निर्णय लेंगे । निर्णय लेते ही तुरन्त ही सदन के सामने स्थिति आ जायेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि गैर कांग्रेसी राज्यों में इस प्रकार के कानून लाये जा रहे हैं और विधेयक पेश कर दिये गये हैं जिनमें इस प्रकार की इन्क्वायरीज के संबंध में व्यवस्था की गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है अखबारों में मैंने पढ़ा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती कि इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार अपने यहां करे ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए मैंने कहा कि विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय होने की सम्भावना है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह विचाराधीन है । पार्लियामेन्ट में जो बिल आया है उसको भी देखेंगे और राज्य सरकारों के जो बिल पेश किये गये हैं उनको भी देखेंगे, और सब पर विचार करके ही निर्णय लिया जायेगा ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आप इसमें श्रेय लेने के लिए तैयार नहीं हैं ? राजस्थान पहल करे तो हिन्दुस्तान में उसका नाम होगा और दूसरे आपसे प्रेरणा लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लोकपाल और लोक आयुक्त के संबन्ध में कानून बनाया जा रहा है उसमें व्यवस्था नहीं है कि जिसके सम्बन्ध में मैंने यह प्रश्न पूछा है ?

श्री मथुरादास माथुर : सुना नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन लोगों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैंने प्रश्न पूछा है वह व्यवस्थायें और वह प्रावधान उस लोकपाल और लोक आयुक्त वाले विधेयक में नहीं हैं क्या आपको इसकी जानकारी है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह मसला अभी डिटेल में जाने का नहीं है । इस मसले के ऊपर कैसे आयुक्त नियुक्त किये जायें यह विचाराधीन है । इस पर चिन्तन हो रहा है और दूसरी सरकारें और केन्द्रीय सरकार जैसा बिल लाई है उसको देखकर इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री रामकिशन (वैर) : कुछ दिनों पहले इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि दूसरे राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से और सरकारों से इस मामले पर चर्चा की जा रही है और उनके विचार जाने जा रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, कहा था । दूसरे राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और उनसे खास तौर पर पूछा गया था कि गैर कांग्रेसी राज्यों में क्या ऐसा प्रावधान किया गया है । तो हमारे पास सूचना आई थी उसके अनुसार गैर कांग्रेसी राज्यों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । उसके अलावा मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि यह अखिल भारतीय स्तर का मामला है और जगह निर्णय हो जायें, दिल्ली की पार्लियामेंट में यह पास होने के बाद ही सरकार विचार करेगी ।

श्री रामकिशन : मेरा प्रश्न था कि कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों से जानकारी की बात कही थी । जिन जिन राज्य सरकारों ने जानकारी दी है वह किन किन सरकारों ने दी है और वह क्या क्या हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि पहले प्रश्न था गैर कांग्रेसी राज्यों के बारे में कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है क्या और वैसी व्यवस्था राज्य सरकारें जो गैर कांग्रेसी थी उस समय उनसे जानकारी की थी मैं बता सकता हूं कि वहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था उस समय ।

श्री रामकिशन : उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ने क्या लिखा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह मैं आपको बता रहा हूं ।

श्री रामकिशन : बताइये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन और उस समय में एक ऑर्डिनेन्स निकाला गया है । उस ऑर्डिनेन्स को असेम्बली में पास करने से पहले असेम्बली का सत्रावसान

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
हो गया और ऑर्डिनेन्स पास नहीं हुआ। इसलिए कानून नहीं बन सका। ऑर्डिनेन्स जरूर निकाल दिया है। न वहां उस समय कानून बना और न आज तक कानून है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : लोक सभा में बिल इन्ट्रोड्यूस करते समय प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की राय मांगी है तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने क्या राय दी है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है कि कैबिनेट ने क्या राय दी है ?

श्री रामकिशन : तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय मुख्य मन्त्री के आने तक, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न 3-4 बार आया है और मुख्य मन्त्री ने 3-4 तरह का जवाब दिया है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : और हर जवाब मेल खाता हुआ है। मुख्य मन्त्री जी ने जब कभी कहा है तो यह कहा है कि दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं और केन्द्र क्या कर रहा है इसको देख लें फिर उस पर विचार करके देख लेंगे। मैं फिर वही दोहरा रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या केन्द्रीय सरकार ने लोकपाल और लोक आयुक्त विधेयक के सम्बन्ध में सरकार से राय माँगी है ? उस संबंध में राजस्थान सरकार ने क्या राय दी है ?

श्री मथुरादास माथुर : I cannot disclose what opinin we have sent.

श्री रामकिशन : हिन्दी में बोलिये।

श्री मथुरादास माथुर : अंग्रेजी में लिखा है इसलिए अंग्रेजी में बता रहा हूं। राय क्या थी वह मैं अभी नहीं कह सकता हूं। जो निर्णय लिया है वह सब के सामने आजायेगा।

श्री रामकिशन : उसमें तो 15 वर्ष लग जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : राय नहीं बता सकते हैं तो क्या वह पब्लिक हित में नहीं या आपको नहीं मालूम है। यह दूसरी बात है कि आपको मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न संख्या 68 के लिए आपने श्री कृष्णकुमार गोयल का नाम लिया था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 2 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मामले

83. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नियुक्ति विभाग में किन किन राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ कब कब से क्या क्या कार्यवाहियां चल रही हैं तथा उन्हें आरोप पत्र कब कब दिया गया और इन आरोप पत्रों का जवाब कब कब आया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 26

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी को निलंबित किया हो तो किन किन को कब कब से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जांच के दौरान निलंबित किये हुए अधिकारियों में से जांच पूर्ण हुए बिना ही यदि किसी को बहाल किया गया तो किन किन को और कब कब ?

(4) जांच पूर्ण करने के सम्बन्ध में कितना समय निर्धारित होता है और निर्धारित समय में जांच पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि जांच में विलम्ब होने के कारण राजकोष को अनावश्यक नुकसान होता है और अधिकारी भी परेशान होते हैं ? यदि हां, तो इसको शीघ्र पूरा करने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं और क्या क्या उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूंची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस बारे की हिदायत की प्रतिलिपि संलग्न है। जांच निर्धारित समय पर पूर्ण न होने के अनेक कारण हैं मामले से संबंधित अभिलेख का अपचारी अधिकारी को निरीक्षण कराने में समय लगना, गवाहों को सम्मन डिस्ट्रिक्ट जजों के मारफत जाते हैं, उनका समय पर तामील होकर नहीं आना, कभी एक कभी दूसरे का तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहना, आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे जो समय निर्धारित किया गया है उसमें जांच पूरी नहीं हो पाती है।

(5) इस बारे में एक समिति बनाई गई थी जिसके सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

जयपुर जिले में आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारी

84. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान निर्माण के बाद अब तक कौन कौन से आई. ए. एस व आर. ए. एस. अधिकारी जयपुर जिले या जयपुर नगर में किन किन पदों पर कितने कितने समय तक रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

जयपुर में सरकारी कार्यालयों के लिये किराये के मकान

85. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में सरकारी कार्यालयों के लिये किराये के मकान काफी तादाद में ले रखे हैं ? यदि

Page No 27

(श्री रामचन्द्र आर्य)

हां, तो कुल कितने और प्रति माह किराया कितना दिया जाता है ? अलग अलग विभाग वाइज मकानातों के किराये की सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि मकान मालिकों से मिलकर अधिकारीगण किराया ज्यादा पेमेन्ट कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो मकान मालिकों के नाम व पूरा पता व मकान नया है या पुराना है, मकान कौन से मोहल्ले में है, की पूरी जानकारी सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में कार्यालयों के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ कार्यालयों के लिये किराये के मकानों का लेना आवश्यक था। जो कार्यालय किराये के मकानों में स्थित हैं उनकी जानकारी, जो भी प्राप्त की जा सकी है संलग्न सूची में उपलब्ध कर दी गई हैं।

(2) जी नहीं। कार्यालयों के लिये किराये पर मकान लिये जाने से पहले उन मकानों का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार "असेसमैन्ट" कराया जाता है। ऐसे मकानों का किराया तय करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियम बने हुए हैं और इस संबंध में सारी कार्यवाही नियमानुसार ही होती है। विभिन्न विभागों से जो भी जानकारी एकत्रित की जा सकी है संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

जालौर जिले में मंत्रियों के दौरे

86 श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (बाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 3-9-68 से 3-11-68 के बीच जालौर जिले में किन किन मंत्रियों के दौरों का कार्यक्रम रखा गया था ? कृपा करके सूची दौरों के ब्यौरेवार सदन की मेज पर रखें, और दौरे का कारण क्या था ?

(2) इन दौरों में प्रति मंत्री कितना कितना टी. ए. और डी. ए. पर सरकार का व्यय हुआ ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 3-9-68 से 3-11-68 के बीच जालौर जिले का जिन जिन मंत्रियों ने दौरा किया, सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) वांछित सूचना उक्त तालिका के स्तम्भ 4 पर अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

जयपुर में सुरक्षा प्रदर्शन में मृत्यु

87. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि दिनांक 29-12-68 को जयपुर जलेबी चौक में सुरक्षा प्रदर्शन किया गया था जिसमें किसी की मौत हो गयी थी? यदि हां, तो कितनी व किसकी और किस कारण से ? कृपया नाम बताने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं।

ग्राम घाटा का बराणा में डकैती का मामला

88. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के ग्राम घाटा का बराणा में डकैती हुई थी ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डकैती में जान तथा माल का नुकसान हुआ था ? अगर हां, तो कितना ?

(3) उपरोक्त सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 17-12-68 को रात्रि में करीब 8-9 बजे 20-22 सशस्त्र डाकुओं ने ग्राम घाटा का बराणा में डाका डाला था।

(2) जी हां, इस डकैती में लगभग रु० 39,134.50 का माल लूटा गया तथा दो व्यक्तियों का अपहरण किया गया था।

(3) सूचना प्राप्त होने पर अभियोग संख्या 109 दिनांक 18-12-68 धारा 395, 397, 365 ता० हि० आरक्षी केन्द्र पाटन पर पंजीबद्ध हुआ वो अनुसंधान आरम्भ किया। दौराने अनुसंधान पुलिस ने जेवरात चांदी, सोना के बरामद किये दो डाकूओं को बन्दी बनाये गये जिनमें एक अली मोहम्मद (एम० पी०) (2) अली मोहम्मद निवासी घाटा का बराणा (3) जूहदअली निवासी घाटा का बराणा है। दिनांक 15-5-69 को इनके विरुद्ध चालान न्यायालय नं० 2 बूंदी में प्रस्तुत किया गया। बाकी के विरुद्ध धारा 512 जा० फो० की कार्यवाही जारी है। डकैत मकरिया भी हाल ही में कोटा पुलिस द्वारा बन्दी बनाया जा चुका है। इसमें अपहरण किये गये व्यक्ति श्री लालचन्द सरपंच एवं चौथमल दिनांक 5-5-69 को ग्राम घाट का बराणा पहुंच गये हैं।

राज्य में डकैतियों के मामले

89. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मार्च सन् 1969 से 1 अगस्त, सन् 1969 तक राजस्थान में जिलेवाइज कितनी डकैतियां हुई, तथा उनमें कितना कितना माल डकैतों ने लूटा व कितने व्यक्तियों का व बालकों का अपहरण हुआ ?

उत्तर

माह मार्च 1969 से 1 अगस्त 1969 तक राजस्थान में कुल 63 डकैतियां हुई। इन डकैतियों में डाकुओं ने लगभग 1,52,505/- का माल-सोना चांदी, कपड़े व रोकड़ रुपये वगैरा लूटा है। कुल 6 लड़के व 7 आदमियों का अपहरण किया गया जिसमें से एक लड़का व 6 आदमियों को वापिस पुलिस ने डाकुओं के कब्जे से छुड़ा लिये जो मण्डल सवाई माधोपुर के डकैती में अपहरण किये गये थे। तालिका मण्डलवाइज संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

पुलिस गोदामों से हथियारों के बिक्री के मामले

90. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि पुलिस गोदामों से हथियारों की बिक्री के मामले में सतर्कता आयोग द्वारा जाँच की जाकर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? कृपया रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इस रिपोर्ट के आने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) अब तक की कार्यवाही में क्या यह हथियार वापिस जमा कराने को कहा गया था ? यदि हां, तो किन किन ने यह हथियार वापिस जमा कराये और किन किन से यह सूचना मिली है कि यह हथियार आगे बेच दिये गये हैं ?

उत्तर

(क) जी हां, यह सही है कि पुलिस माल गोदामों से हथियारों की बिक्री के सम्बन्ध में सतर्कता आयोग द्वारा जांच की जाकर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त रिपोर्ट निम्न प्रकार भिन्न-भिन्न तिथियों को प्राप्त हुई थीं:—

(1)	गंगानगर	25-8-67
(2)	अलवर	29-8-67
(3)	अजमेर	31-8-67
(4)	झालावाड़	1-9-67
(5)	बीकानेर	5-9-67
(6)	डूंगरपुर	6-9-67
(7)	उदयपुर	12-9-67
(8)	टौंक	15-9-67
(9)	बांसवाड़ा	19-9-67
(10)	जालौर	27-9-67
(11)	सिरोही	27-9-67
(12)	जयपुर	4-12-67
(13)	नागौर	8-12-67
(14)	चित्तौड़गढ़	29-1-68
(15)	जोधपुर	14-12-67
(16)	सीकर	1-3-68
(17)	सवाई माधोपुर	4-3-68
(18)	भरतपुर	9-5-68
(19)	पाली	9-9-68
(20)	कोटा	20-9-68

रिपोर्ट संख्या में बहुत है और आकार में बड़ी है। इसलिए इन सब की प्रतियां कराने के लिए काफी समय की अपेक्षा होगी। यदि किसी विशेष जिले अथवा जिलों की रिपोर्ट माननीय सदस्य देखना चाहें तो गृह मंत्री से सम्पर्क करने पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(ख) सतर्कता आयोग से जिलेवार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला दण्डनायकों को निम्नलिखित कार्यवाही करने के निमित्त लिखा गया है :—

(1) सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों को शस्त्र बहुत कम कीमत पर बेचे गये हैं उन्हें

Page No 30

(श्री गृह मंत्री)

"शोकाज" नोटिस जारी किये जावें कि क्यों न उनसे वो शस्त्र वापिस ले लिए जावें और उनसे जो कीमत ली गई थी वो उन्हें वापिस कर दी जावे।

(2) जिन कर्मचारियों व अन्य लोगों ने वर्जित शस्त्र मालखानों से खरीदे हैं उनके अनुज्ञा-पत्रों का नवीनीकरण न किया जावे।

(3) जिन सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों ने शस्त्र खरीदे हैं उन कर्मचारियों को "शोकाज" नोटिस दिये जावें कि क्यों न उनकी पत्नियों से वो शस्त्र ले लिये जावें और उनसे जो कीमत ली गई थी वापस कर दी जावें।

(4) मालखानें के शस्त्रों को बेचने के लिए नियुक्त कमेटी के जिन सदस्यों ने शस्त्र खरीदे हैं उन्हें "शोकाज" नोटिस दिये जावें कि उन्होंने कमेटी के सदस्य होते हुए स्वयं को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना शस्त्र क्यों खरीदे और अब उनसे क्यों नहीं वे शस्त्र वापिस ले लिये जावें।

(5) जिन कर्मचारियों ने एक से ज्यादा शस्त्र खरीदे हैं उनको यह "शोकाज" नोटिस दिया जावे कि क्यों नहीं उनके पास केवल एक शस्त्र रहने दिया जावे तथा बाकी सारे शस्त्र कीमत लौटाकर वापिस ले लिये जावें।

(ग) जी हां! अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित दो व्यक्तियों ने शस्त्र वापिस किये हैं:—

(1) श्री श्यामलाल, सीकर ने अपनी 12 बोर बन्दूक डिफेन्स फण्ड में दी है।

(2) श्री मोहम्मद बक्स, सीकर ने अपनी माउजर राईफल (Mouser Rifle) पुलिस लाइन, जयपुर में जमा करा दी हैं।

जिन व्यक्तियों ने शस्त्र आगे बेच दिये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(1) श्री मंगलसिंह, क्लर्क, जिलाधीश कार्यालय, सीकर।

(2) श्री कल्याण बक्स, जिलाधीश कार्यालय, सीकर।

(3) श्री तूमदान सिंह, स्टेनो, जिलाधीश, नागौर।

(4) श्री रामस्वरूप सिंह, क्लर्क, जिलाधीश, नागौर।

(5) श्री जे० के० शर्मा, मजिस्ट्रेट, अलवर।

(6) श्री सत्यपाल त्यागी, उप-अधीक्षक, आरक्षी बांसवाड़ा।

ट्रकों में आदमियों को बैठाकर चलाने के मामले

91. श्री मनोहरसिंह मेहता—(मांडलगढ़): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा से मांडलगढ़ पत्थर की खानों पर नित्य कितने ट्रक्स का आवागमन होता है?

(2) क्या इन ट्रक्स में आदमी बैठ कर जाते हैं? यदि जाते हैं तो क्या चालान किये जाते हैं?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(3) 1 जनवरी, सन् 1968 से आखिर दिसम्बर सन् 1968 तक कितने ट्रक्स का चालान किया गया और कितने ट्रक्स वाले सजायाब हुए ?

(4) ट्रक्स में आदमियों का बैठना रुके इसके लिये पुलिस ने कौन से कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) प्रति दिन भीलवाड़ा से मांडलगढ़ पत्थर की खानों पर करीबन 75 से 100 तक ट्रकों का आवागमन होता है।

(2) यह सही नहीं है, सभी ट्रकों में आदमी (सवारियां) बैठ कर जाते हैं लेकिन जो ट्रक सवारियां बिठा कर ले जाते हैं उनके विरुद्ध चैक करने पर कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(3) जनवरी 68 से आखिर दिसम्बर 68 तक भीलवाड़ा से मांडलगढ़ पत्थर की खानों पर चलने वालों 151 ट्रकों का चालान मोटर व्हीकल एक्ट व रूल्स की विभिन्न धाराओं के तहत किया गया। जिनमें 67 ट्रक वाले सजायाब हुए हैं। मार्च 69 के अन्त मे 84 के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें (इस्तगासा) विचाराधीन है।

(4) बिजोलिया व मांडलगढ़ थानों की पुलिस तथा ट्रेफिक पुलिस को विशेष रूप से ऐसी सवारियां बैठाने वाले ट्रकों के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्यवाही की जाने के आदेश दिये गये हैं।

जयपुर में छापा मारकर सहकारी विभाग के सामान आदि का बरामदी

92. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर ने कुछ माह पूर्व जयपुर में एक व्यक्ति के मकान पर शादी के समय छापा मार कर सहकारी विभाग के केन्द्रीय कार्यालय एवं अन्य सहकारी संस्थाओं का फर्नीचर एवं टेन्ट व छोलदारी आदि सामान बरामद किया है ? यदि हां, तो किस तारीख को किस व्यक्ति के मकान से छापा मार कर क्या क्या सामान जब्त किया और वह सामान किस किस कार्यालय का क्या क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) रजिस्ट्रार सहकारी विभाग का सामान किस अधिकारी के आदेश से गया ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 29-1-69 को श्री भंवरलाल मायाजी, पड़तानियों का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर के मकान से उनकी लड़की की शादी में सहकारी विभाग का फर्नीचर, तम्बू आदि बरामद किया गया था। जो सामान बरामद किया गया उसकी फहरिस्त संलग्न है।

(2) यह मामला अनुसन्धानान्तर्गत है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

Page No 32

कवाई, छबड़ा सड़क निर्माण कार्य

93. श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (छबड़ा) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा जिले के छबड़ा सब-डिविजन को बारां से छबड़ा वाया कवाई छबड़ा तक कोई सड़क जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इसी सड़क पर कवाई से छबड़ा तक की सड़क का काम जो नये सिरे से बन रही है, काफी अर्से से चल रहा है ? अगर हां, तो कवाई से छबड़ा वाली सड़क का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और कब पूरा हो जाना चाहिये था ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

छीपाबड़ोद-सारथल-इकलेरा सड़क की मरम्मत का कार्य

94. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद से सारथल होकर इकलेरा जाने वाली सड़क जिसकी लम्बाई 19 मील है, की हालत बहुत ही शोचनीय है ? अगर हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ग्राम बदनोर-ग्राम मारसी सड़क निर्माण कार्य

95. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) यह सही है कि ग्राम बदनोर जिला भीलवाड़ा से ग्राम मारसी तक सड़क बनाई गई है ? यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी लम्बी ?

(ख) इस सड़क का किस प्रकार का निर्माण कार्य किस किस वर्ष में किया गया और अब तक प्रति वर्ष उस पर कितना व्यय हुआ है ?

उत्तर

(क) जी हां। ग्रेवल रोड़ निर्माण कराया है जिसकी लम्बाई 16 मील है।

(ख) इस मार्ग पर अकाल राहत कार्यों में फारमेशन वर्क ग्रेवल बिछाई व प्रति वर्ष चट्टान कटाई व भराई का कार्य कराया है। वर्ष 64-65 से जून 69-70 तक व्यय हुआ है। जिसका विवरण निम्न है:—

64-65	1,93,015
65-66	79,407
66-6	1,62,913
67-68	2,44,675
68-69	21,296
69-70	1,58,326

जून तक।

सर्किट हाउस बूंदी

96. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी सरकिट हाउस में कितने कमरे हैं, और उनका किराया क्या है ?

Page No 33

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(2) क्या पहले सर्किट हाउस की मुख्य इमारत के चार कमरे और डाक बंगले के दो कमरे सर्किट हाउस की तारीफ में आते थे ?

(3) यदि हां, तो अब डाक बंगला न रख कर सारे के सारे को ही सर्किट हाउस की तारीफ में क्यों ले लिया गया है ?

(4) सर्किट हाउस में किस तारीख से टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया गया है और क्यों ?

(5) क्या यह सत्य है कि बून्दी में आने वाले पर्यटकों को यहां पर डाक बंगला नहीं होने के कारण मजबूर होकर सर्किट हाउस की रेट ही देनी पड़ती है ?

(6) क्या सर्किट हाउस के मुख्य चार कमरों के मुताबिक बाकी कमरों में भी फर्नीचर है ? क्या चद्दर व कम्बल भी दिये जाते हैं ?

(7) क्या सरकार को विदित है कि कमरों में फूलदान व राखदान नहीं है तथा बाथरूम में कांच भी नहीं है ?

उत्तर

(1) बून्दी सर्किट हाउस में कुल 11 कमरे हैं। चार कमरे मैन बिल्डिग में हैं एवं सात कमरे एनेक्सी में हैं। उनका किराया निम्न प्रकार है:—

मैन बिल्डिग सर्किट हाऊस के चार कमरों का:—

Single person in single room	Single person in double room	Two persons in double room	Tea & breakfast
Rs. 22/	Rs. 25/	Rs. 40	Rs. 10.

एनेक्सी बिल्डिग के सात कमरों का किराया:—

1. Single person in a Double Room Rs 20-/per day
2. Two person in a double Room. Rs. 35/-per day
3. Tea & Breakfast. Rs. 8/-per day.

एनेक्सी बिल्डिग के सात कमरों में ठहरने का किराया निम्न है:—

1. For one person in double room Rs. 5/- per day.
2. For two persons in double room Rs.7/- per day
3. For more than two persons in double room Rs 1/-per extra man per day.

(श्री मुख्यमंत्री)

(2) जी हां। पहले सर्किट हाउस की मुख्य इमारत के चार कमरे एवं डाक बंगले के दो कमरों के बजाय तीन कमरे सर्किट हाऊस की तारीफ में आते थे।

(3) पहले डाक बंगले के चार कमरे सार्वजनिक निर्माण विभाग के चार्ज में थे जिनकी हालत खराब अवस्था में थी और वहां ठहरने वाले महमानों की हमेशा शिकायत रहती थी। डाक बंगले में खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। अतः सरकार ने यह महसूस किया कि डाक बंगले को भी सर्किट हाउस के साथ मिला दिया जावे जिससे वहां ठहरने वालों को ठहरने व भोजन आदि की व्यवस्था ठीक हो। यह व्यवस्था सन् 1965 से लागू की गई है।

(4) सर्किट हाउस का टेलीफोन कनेक्शन चालू है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। सर्किट हाउस के मुताबिक स्टेन्डर्ड का सामान तो नहीं है, परन्तु जरूरत के मुताबिक सब सामान उपलब्ध है एवं वहां ठहरने वालों को चद्दर तथा कम्बल भी दिये जाते हैं।

(7) सर्किट हाउस एनेक्सी के कमरों को छोड़कर तमाम कमरों में यह व्यवस्था उपलब्ध है। एनेक्सी के कमरों में राखदान फूलदान नहीं हैं एवं जरूरत के मुताबिक लगा दिये जाते हैं। एनेंक्सी के सात कमरों के बाथरूम में मुंह देखने का शीशा नहीं है, परन्तु ड्रेसिंग टेबल मय कांच के हर कमरे में उपलब्ध है।

केथून थाना हैड़ा वाया आवां पीपल्या से सुकेत एवं मोनरा से राजगढ़-सांगोद सड़क कार्य

97. श्री जुझारसिंह : (रामगंजमंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कैपिटल आउटले आन पब्लिक वर्क्स के हैड में आइटम नं. 2 पर केथून थाना हैडा वाया आवां न. 10 पर पीपल्या से सुकेत व नं. 11 पर मोनरा से राजगढ़ होती हुई सांगोद सड़क पर सन् 1968-69 के बजट में धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि यह बजट इसी रूप में स्वीकृत कर लिया गया था ?

(3) विधान सभा द्वारा स्वीकृत इस बजट में से कितनी कितनी रकम मन्जूरशुदा कामों पर खर्च की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो क्यों नहीं ?

(4) इन सड़कों के महत्व को देखते हुए इन्हें कब पूरा करवा दिये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) खर्च का ब्यौरा प्रश्न 1 के उत्तर में वर्णित है।

(4) ज्यों ज्यों धनराशि उपलब्ध होगी कार्य पूरा कराया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पाली में पुरुषार्थी पार्क के लिए झूले की खरीद

98. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले नगरपालिका, पाली के बोर्ड ने जाते जाते जून, 1969 माह में वार्ड नं० 10 के पुरुषार्थी पार्क के लिये कोई झूला खरीद किया ? और यदि हां, तो कब और कितने रुपये में ?

(2) क्या यह सत्य है कि उस झूले की खरीद के लिये कोई टेन्डर काल किए गए ? और यदि हां, तो कब ? उन टेन्डर्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि ऐसे झूले बाजार में आसानी से लगभग 450) रु० में मिल सकता है ? और यदि हां, तो इस झूले की खरीद में सरकार किसको दोषी ठहरायेगी और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) माह जून, 1969 में नगरपालिका पाली के तत्कालीन बोर्ड ने स्टील पाईप के झूलों के दो सेट 1600) रुपयों में बनवाये थे।

(2) जी हां।

(1) दिनांक 31-5-69 को,

(2) टेन्डर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) ऐसे झूले बने बनाये पाली के बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। झूलों को टेन्डर काल करके ही बनवाया गया था। इसलिये जांच करवाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अग्नि सुरक्षा कार्य के लिए केन्द्र से प्राप्त धनराशि का वितरण

99. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आग बुझाने आदि की व्यवस्था हेतु जो खर्चा किया जाता है उसका आधा भाग केन्द्रीय सरकार वहन करती है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से राज्य सरकार को अब तक कुल कितनी धनराशि केन्द्र से प्राप्त हुई है और उसका वितरण या बंटवारा विभिन्न नगरों में प्रत्येक वर्ष में किस किस प्रकार किया गया है ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों में जयपुर नगर परिषद् द्वारा संचालित दमकल विभाग के खर्चे के पेटे केन्द्र से लगभग 4 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं परन्तु राज्य सरकार ने उसमें से एक भी पैसा नगर परिषद् जयपुर को नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Page No 36

तहसील सांचौर की कृषि सहकारी समितियां

100. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में कृषि सहकारी समितियां ज्यादातर असफल रही हैं? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं? अगर नहीं, तो कितने प्रतिशत सफलता मिली है?

(2) पिछले सालों के अनुभव के आधार पर राज्य में कृषि सहकारी समितियों को सफल बनाने के बारे में भविष्य में सरकार क्या सोच रही है?

(3) तहसील सांचोर में अब तक कितनी कृषि सहकारी समितियां बनाई गई? उन समितियों की आर्थिक हालत कैसी है? उन समितियों में से कितनी सफल हुई है? क्या यह भी सत्य है कि इन सहकारी समितियों में कई बोगस सदस्य हैं, और जमीन वास्तव में दूसरे लोग काश्त करते हैं? अगर हाँ, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? इन सहकारी समितियों के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(1) जी नहीं। राजस्थान में 65 प्रतिशत सफलता मिली है।

(2) राज्य की प्रत्येक सहकारी कृषि समिति की वर्तमान स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने को एक योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले के सहायक रंजिस्ट्रार को निर्देशित किया जा चुका है कि वे अपनी यूनिट की समस्त सहकारी कृषि समितियों का विस्तृत अध्ययन कर यह रिपोर्ट पेश करें कि कितनी समितियां अवसायन में लाने लायक हैं तथा कितनी समितियां इस हालत में हैं कि उन्हें दृढ़िकरण के लिए चुना जा सके। यह विस्तृत अध्ययन 6 माह की अवधि में पूरा करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) सांचौर तहसील में अब तक 7 सहकारी कृषि समितियों का गठन हुआ है। इन सहकारी कृषि समितियों की आर्थिक हालत सुदृढ़ नहीं है। इन सब सहकारी कृषि समितियों की प्रगति मन्द ही रही है जिस कारण इन्हें सफल सहकारी समितियां नहीं कहा जा सकता। इन समितियों में कोई भी सदस्य बोगस नहीं हैं। इन समितियों की भूमि पर सदस्यों के अलावा कोई अन्य काश्त नहीं करता है। अतः सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इन सहकारी समितियों के सदस्यों की सूची परिशिष्ट (क) पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)।

भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण

101. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की भूमि विकास बैंक ने किस किस कार्य के लिए और किस किस जिले के लिए कुल कितना कर्जा दिया है?

(श्री हंसराज आर्य)

(2) राजस्थान भूमि विकास बैंक की कुल कितनी शाखाएं जिलों में हैं ?

(3) किस किस जिला भूमि विकास बैंक का कितना कितना कर्ज ओवरड्यू हो गया है ?

(4) बैंक की हिस्सा पूंजी कितनी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान की भूमि विकास बैंक लि., ने विभिन्न कार्यों के लिए राज्य में 5,82,93,337) रु. का कर्जा दिनांक 30-6-69 तक जिस जिस कार्यों के लिए दिया है उसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' संलग्न है।

(2) राजस्थान भूमि विकास बैंक की जिलों में कोई शाखा नहीं है।

(3) जिस जिस जिला भूमि विकास बैंक का जितना जितना कर्ज ओवरड्यू है, के बारे में सूची परिशिष्ट 'ग' संलग्न है।

(4) बैंक की हिस्सा पूंजी 62,94,450) रु. है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

जय अम्बा हाउसिंग सहकारी समिति, जयपुर

102. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जय अम्बा हाउसिंग सहकारी समिति, जयपुर का निर्माण कब हुआ और उसमें कितने सदस्य हैं ? सदस्यों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक कार्यकारिणी का चुनाव कब कब किया गया और उनमें कौन कौन पदाधिकारी कब कब चुने गए ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस समिति के हिसाब का ऑडिट कब कब कराया गया ?

(4) क्या यह सच है कि इस समिति में दिनांक 18-7-66 को एडहॉक कमेटी बनाई गई ? यदि हां, तो उसके पदाधिकारी व सदस्य कौन कौन हैं ? और चुनाव नहीं कराकर एडहॉक कमेटी किस के द्वारा क्यों बनाई गई ?

(5) क्या यह भी सच है कि समिति के हिसाब आदि के रजिस्टर नहीं मिलते हैं ? यदि हां, तो यह किसके चार्ज में थे ?

उत्तर

(1) जय अम्बे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लि., का पंजीयन दिनांक 30-9-63 को हुआ। इस समिति में 140 सदस्य हैं। सदस्यों के नामवार सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) समिति की कार्यकारिणी का चुनाव पंजीयन से पूर्व दिनांक 18-9-63 एवं पंजीयन पश्चात् दिनांक 31-5-64, 1-8-65 तथा 27-3-66 को हुआ है। प्रत्येक बार चुने गए पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

(श्री सहकारी मंत्री)

(3) इस समिति के हिसाब का ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है।

(4) जी हां। इस समिति में दिनांक 10-7-66 को एडहॉक कमेटी बनाकर 18-7-66 को लिखित में सूचना सदस्यों को दी गई। पदाधिकारियों व सदस्यों की सूची परिशिष्ट (ग) पर संलग्न है। दिनांक 10-7-66 को चुनाव हेतु बुलाई गई आम सभा में झगड़ा हो जाने के कारण सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष ने एडहॉक कमेटी बनाई।

(5) इस समिति के हिसाब आदि के आडिट कराने की व्यवस्था कराई जा रही है और उस समय वस्तु स्थिति का पता लगेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

सहकारी बाजार ब्रांच, दौसा

103. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) दौसा में सहकारी बाजार ब्रांच कब खुली, कितनी पूंजी से खुली और इसके कौन कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में इस बाजार में कुल लाभ व हानि कितनी हुई ?

(3) क्या नियमानुसार प्रबन्धक समिति का चुनाव हुआ है ? यदि हां, तो अब सदस्य कौन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस संस्था के शेयर होल्डर्स को उनका रुपया वापिस लौटा दिया गया है ?

उत्तर

1. दौसा में जयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. जयपुर की शाखा दिनांक 26-1-67 को खुली थी। शाखा में 18,902 रुपये 94 पैसे की कार्यशील पूंजी से खुली थी। वर्तमान में इसके सदस्य 527 हैं, सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

2. वर्तमान में जयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., जयपुर में दिनांक 30-6-68 तक 2,09,447 रुपये हानि हुई है एवम् वर्तमान में दौसा शाखा में (31-12-68 तक) 2554) रु. की हानि रही है।

3. भण्डार के पंजीकृत उपनियमों में शाखा स्तर पर प्रबन्ध समिति के गठन का प्रावधान नहीं है, बल्कि शाखा समिति के गठन का प्रावधान है, शाखा समिति का चुनाव नहीं हुआ है।

4. संस्था के शेयर होल्डर्स को उनका रुपया वापस नहीं लौटाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची

104. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची

(श्री हरजीराम बुरडक)
विभाग द्वारा बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब और उक्त सूची की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) निरीक्षकों में से पदोन्नति करके किन किन को सहायक रजिस्ट्रार कब कब बनाया गया और उसका स्थान वरिष्ठता सूची में कौन कौन सा था ?

(3) क्या यह भी सही है कि सीनियर निरीक्षकों को छोड़कर जूनियर निरीक्षकों को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया ? यदि हां, तो किन किन को कब कब किन किन कारणों से ?

(4) वरिष्ठता सूची में जो ऐतराज पेश हुए थे उनका निर्णय कब तक कर दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। 31 दिसम्बर, 1958 तक नियुक्ति स्थाई निरीक्षक (कार्य.) एवं निरीक्षक (ग्राडिट) की अन्तःकालीन सम्मिलित वरिष्ठता सूची दिनांक 4-7-67 को तथा 1 जनवरी, 1959 से 31 दिसम्बर, 1964 तक नियुक्त किये गये निरीक्षक (कार्य.) एवं (ग्राडिट) की अन्तःकालीन वरिष्ठता सूची दिनांक 4-11-67 को जारी की गई थी। दोनों सूचियों की प्रतियां परिशिष्ठ (क) संलग्न है।

(2) उपरोक्त वरिष्ठता सूचियां जारी होने के बाद जिन जिन निरीक्षकों को जब जब सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया है उनकी सूची दि० पदोन्नति एवं वरिशिष्ठता सूची में स्थान अंकित करते हुये परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

(3) केवल सर्व श्री शिवलालसिंह यादव, छाजुराम एवं चांदमल पोरवाल को वरिष्ठ होते हुये पदोन्नत नहीं किया गया क्योंकि उस समय तीनों ही निरीक्षक मौत्तिल थे। श्री शिवलालसिंह यादव को जांच के पश्चात् तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की सजा दी गई। इसलिये पदोन्नत नहीं किया जा सकता। श्री छाजुराम अब भी मौत्तिल हैं तथा श्री पोरवाल को दोष मुक्त किये जाने के कारण दिनांक 8-8-69 को पदोन्नत किया जा चुका है।

(4) इन वरिष्ठता सूचियों को वर्ष 1957 में नियुक्त श्री गणेशनारायण माथुर, निरीक्षक (ग्राडिट) द्वारा राजस्थान उच्च न्यायलय में रिट याचिका दायर कर दिये जाने के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

105. **श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़ सु०)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कितनी सक्रिय हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला रसद अधिकारियों द्वारा चीनी, अनाज का कोटा ग्राम सेवा सहकारी समिनियों को न देकर अलग से डीलर नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री नथमल चोहला)

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले में बहुत सी जगह आधा कोटा ग्राम सेवा सहकारी समिति को और आधा कोटा अलग से डीलर नियुक्त कर दिया जा रहा है ?

(4) यदि सरकार सहकारिता को प्राथमिकता दे रही है, तो यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है ?

(5) क्या सरकार इस दोहरी नीति को समाप्त कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने और अलग से डीलर नियुक्त कर चीनी व अनाज वितरण कार्य उनको न देकर सहकारी समितियों को ही देने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

106. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर में कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर कब से कार्य कर रहे हैं ?

(2) बैंक को अपने कर्मचारी स्वयं नियुक्त करने में क्या कठिनाई है ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर कार्य कब से कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, जयपुर में जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जिस तारीख से कार्य कर रहे हैं, की सूचना सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(2) बैंक द्वारा अपने कर्मचारी स्वयं नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। संचालक मण्डल ने बैंक की स्टाफ कमेटी द्वारा इस सम्बन्ध में एक फेस्ड प्रोग्राम बनाने का हाल ही में निर्णय लिया है। इस ही विषय पर शोभाराम कमेटी की कामन केडर सम्बन्धी सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक में जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जिस तारीख से कार्य कर रहे हैं, उसकी सूचना परिशिष्ट (ख) पर उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

वन श्रमिक सहकारी समितियों पर बकाया ऋण

107. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला की शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र की कई वन श्रमिक सहकारी समितियों में उनकी अधिकतम ऋण सीमा से भी ज्यादा बकाया रकम है ? यदि हां, तो किस किस सोसाइटी

(श्री देवीदत्त गाडिया)

में कितना कितना रुपया किस किस प्रकार का कितने कितने समय से बाकी है और उनकी अधिकतम ऋण सीमा कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन समितियों में से ऐसी कौन कौन सी समितियां हैं जिन्होंने कत्था तैयार किया और उसकी बिक्री करने के बाद भी राजकीय बकाया जमा नहीं की ? बकाया जमा नहीं कराने का क्या कारण है ? वह रकम किस कार्य में खर्च की गई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

कृषि उपज मण्डी समिति, पाली

108. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या कृषि मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पाली में कृषि उपज मण्डी समिति का कोई मार्केट यार्ड है ? यदि हां, तो उसकी सीमा क्या है ?

(ख) पिछले कितने सालों से यह कृषि उपज मण्डी पाली शहर में काम कर रही है तथा कितनी कितनी बार माल कितना कितना मार्केट यार्ड में कब कब व क्या क्या माल नीलाम किया गया ? पूरे ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) जी नहीं। पाली में कृषि उपज मंडी समिति का स्वयं का कोई यार्ड नहीं है। फिलहाल वर्तमान मंडी को ही मंडी यार्ड घोषित किया गया है। इसकी सीमा का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) मण्डी समिति की स्थापना 13-3-64 को हुई। नियमन कार्य अक्टूबर 1965 से प्रारम्भ किया गया। बीच बीच में स्टे आदि के कारण से कुछ समय तक कार्य रुका रहा। पाली में नीलामी की व्यवस्था व्यापारियों के अनवरत विरोध के कारण नहीं हो पा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

कृषि फार्म सवाई माधोपुर

109. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या कृषि मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर कृषि फार्म के मौजूदा मैनेजर काफी समय से इसी जगह पर हैं ? यदि हां, तो कबसे और उनको इतने लम्बे समय तक एक ही जगह रखने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मैनेजर के कारण यह फार्म घाटे में जा रहा है ? यदि हां, तो गत पांच वर्ष के घाटे नफे का चार्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फार्म का उत्पादन आसपास के खेतों से कम है ? यदि हां या, ना, दोनों ही स्थितियों में गत पांच वर्ष का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त मैनेजर अपनी निजी भैंसें रखता है ? उन्हें फार्म के चारा आदि से पालता है और दूध बेचता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

Page No 42

कृषि यंत्रालय, जयपुर द्वारा कच्चे लोहे की खरीद

110. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या कृषि मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि यंत्रालय, जयपुर द्वारा कच्चा लोहा किस किस वर्ष में किस किस फर्म से कितना कितना किस किस दर पर खरीदा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त कच्चे लोहे को किस किस कार्य में लिया गया और कितनी कितनी वस्तुएं किस किस वर्ष में तैयार की गई ? प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितना कितना कच्चा लोहा शेष रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उपरोक्त कच्चे लोहे की बनी हुई किस किस वस्तु को किस किस दर के अनुसार किस किस फर्म व अन्य को सप्लाई किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विभिन्न वर्षों में की गयी कच्चे लोहे की खरीद की सूची 'अ' पर संलग्न है ।

(ब) प्रायः लोहा राधाबल्लभ एण्ड सन्स, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर से जे. पी. सी. कॉलम नं. 2 दर पर खरीदा गया है ।

(स) जे. पी. सी. कॉलम 2 की प्रतिलिपि 'ब' पर संलग्न है ।

(2) (अ) उपरोक्त कच्चे लोहे का उपयोग उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माण में किया गया, कितनी 2 वस्तुएं किस 2 वर्ष में तैयार हुई इसका विवरण प्रति वर्ष के हिसाब से तालिका 'स' में दिया गया है ।

(ब) प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितना 2 लोहा शेष रहा इसका विवरण तालिका 'अ' के साथ दिया गया है ।

(अ) कृषि यंत्रों की हुई प्रति वर्ष की बिक्री तालिका 'स' के साथ संलग्न है ।

(ब) यह सारा तैयार माल सीधे पंचायत समितियों, सरकारी विभागों व किसानों को बेचा गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

जीरा के अन्तर्गत क्षेत्र

111. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रान्त में विभिन्न जिलों में जीरा के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों में वर्ष वार कितना कितना क्षेत्र रहा है व सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत रहा है ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अगर इस फसल के स्थान पर खाद्यान्न फसल जैसे गेहूं लिये जायें तो खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

(3) क्या यह सही है कि इस फसल के सफल परिणाम के लिये गन्धक चूर्ण का उपयोग आवश्यक है ?

(4) क्या उक्त गन्धक के प्रयोग को विस्फोट में लिये जाने के मामले राज्य सरकार के समक्ष आये हैं ?

Page No 43

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(5) क्या उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये जीरे की खेती पर प्रतिबंध सरकार लगाना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) तालिका संलग्न है।

(2) जीरा बहुत ही कम क्षेत्र में पैदा होता है। लगभग 1.5 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का। अतः इस क्षेत्रफल में गेहूं इत्यादि खाद्यान्न की खेती करने से विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। यह फसल किसानों के लिए अधिक नगद आमदनी देने वाली है तथा कम सिंचाई मांगती है।

(3) जी नहीं। केवल फंफूद की बीमारी लगने पर गन्धक की आवश्यकता होती है।

(4) जी नहीं। ऐसे कोई मामले सरकार के सामने नहीं आए हैं।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

रेगिस्तानी इलाकों में कुओं का निर्माण

112. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नवम्बर, सन् 1968 में रेगिस्तानी इलाकों में एक हजार नये कुए तथा शेष राज्यों में दो हजार नये कुए निर्माण करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था? यदि हां, तो तब से लेकर अब तक इन तीन हजार कुओं में से कितने कुए बनकर तैयार हो गये हैं और उन पर अब तक कितना खर्चा हो गया है ? शेष कुए कब तक बनकर तैयार हो जावेंगे ? जिलेदार बनाये जाने वाले कुओं की संख्या बताने की कृपा करें ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भूतपूर्व कोटा स्टेट के महकमा बन्धान द्वारा बनाये गये भू-संरक्षण कार्यों की मरमम्मत

113. श्री झुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या कृषि मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व कोटा स्टेट के महकमा बन्धान द्वारा बनाये गये भू-संरक्षण कार्यों की मरम्मत हेतु विभाग ने क्या योजना बनाई है और उसके तहत किन किन स्थानों पर क्या क्या काम किया गया है ? बतलाने की कृपा करें।

(2) भू-संरक्षण हेतु बनाये गये बन्धा व चैक डैमों का क्या पूरा सर्वे करवा लिया गया है ? यदि हां, तो कृपया कृषि विभाग द्वारा मरम्मत कराये जाने वाले कामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) सांगोद तहसील में किन किन स्थानों पर इन बांधों की मरम्मत की जानी है, बताने की कृपा करें।

(4) कोटा स्टेट द्वारा बनाये गये इन बांधों की अनुमानित लागत क्या होगी ? बतायें ? यह भी बतायें कि इन बांधों से लगती हुई कितनी कितनी भूमि गलत एलॉटमेंट नीति के कारण एलॉट करवा दी गई हैं ?

(श्री जुझारसिंह)

(5) भूमि कटाव को रोकने हेतु विभाग ने कोटा जिला के लिये क्या प्रिवेन्टिव स्टेप्स लिये हैं ?

उत्तर

(1) वित्तीय साधनों तथा बन्धों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष भू-संरक्षण कार्यों के लिए कार्य-क्रम बनाया जाता है। जिन ग्रामों में 68-69 में कार्य हुआ है उसकी सूची संलग्न है। इस वर्ष 69-70 में 30 हजार रुपये का प्रावधान है।

(2) अभी तक उन बन्धों का सर्वेक्षण कराया गया जिनकी मरम्मत 68-69 व 69-70 में कराने का कार्य-क्रम है। सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) अनुमानित लागत सब बंधों का सर्वेक्षण कराने के बाद ही बताया जा सकता है। यह सर्वेक्षण वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुमान पर ही किया जा रहा है।

(5) भूमि कटाव से रोकने हेतु भू-संरक्षण के ग्रेडेड बन्डिग (Graded bunding) जैसे कार्य कराये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

राजस्थान नहर क्षेत्र के ग्रामों में स्कीम से बाहर की बारानी भूमि

143. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के ग्रामों में स्कीम से बाहर की बारानी भूमि पर कीमत लगाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिस रकबे को आज तक स्कीम में नहीं लिया गया उन पर कॉलोनाइजेशन एक्ट लागू करना काश्तकारों के साथ अन्याय करना है ?

(3) कितने गांव इस प्रकार के हैं जिनसे एक या दो चकों में पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है बाकी रकबा सिंचित क्षेत्र से बाहर हैं और उन ग्रामों की कुल कितनी भूमि सिंचित क्षेत्र से बाहर है ?

(4) क्या यह सही है कि असिंचित रकबे की इस्तेमाली करके काश्तकारों को किलों पर निशान दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ग्रामों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र की भूमि पर भी इस प्रकार से कालोनाइजेशन एक्ट लागू करके बारानी भूमि में इस्तेमाली की गई थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) यह मामला सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र का है।

(4) उपनिवेशन विभाग के संकार्य क्षेत्र 535 ग्रामों में से 252 ग्रामों में किलाबन्दी का कार्य पूरा कर लिया गया है। एवं शेष ग्रामों का कार्य चालू है। किलाबन्दी के अनुसार ही काश्तकारों को निशान दिये जा चुके हैं।

Page No 45

(उपनिवेशन मन्त्री)

(5) जी हां। भाखड़ा क्षेत्र की कुछ भूमि कॉलोनी क्षेत्र से बाहर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन अवश्य है।

नहरी क्षेत्र में पटवारी

115. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक ही हल्का पटवार पर तीन पटवारी काम करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह एक पटवारी से काम नहीं हो सकता है ? यदि हो सकता है, तो फिजूल खर्चा क्यों किया जाता है ?

(3) नहरी क्षेत्र में कुल कितने पटवारी काम करते हैं ?

(4) नहरी पटवारी व उपनिवेशन तथा राजस्व पटवारी नहरी क्षेत्र में कितने हैं ? हल्का वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उप-निवेशन विभाग में एक ही हल्का पर एक पटवारी कार्य करता है। यदि हल्का बड़ा हो तो बात दूसरी है।

(2) प्रश्न के भाग (1) में दिये गये उत्तर के अनुसार प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) उपनिवेशन विभाग के नहरी क्षेत्र में 191 पटवारी काम करते हैं।

(4) उपनिवेशन विभाग की 11 तहसीलों में 191 पटवारी नहरी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं एवं 122 पटवारी बारानी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हल्का वाइज सूची उपनिवेशन तहसील वाइज अंकित की जाकर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

तहसील सूरतगढ़ में भूमि तब्दीली के मामले

116. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सूरतगढ़ में अब तक किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि कब कब तब्दीली में कर दी गई ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें से कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख और प्रधान थे या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिस भूमि के बदले में भूमि दी गई है, उनकी कीमतों में काफी अन्तर है ?

(4) क्या उक्त तब्दीली उन नियमों के अनुसार है जो तब्दीली आराजी के संबंध में बनाये हुए हैं ? तत्संबंधी नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि इन सब लोगों को इस तब्दीली शुदा आराजी पर खातेदार दर्ज कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) तहसील सूरतगढ़ में जिन व्यक्तियों को भूमि तबादले में दी गई जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उपनिवेशन मंत्री)

(2) जिन जिन व्यक्तियों को आराजी के तबादले हुए हैं उनमें से जो मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख और प्रधान निम्न प्रकार हैं:—

1, श्री कुम्भाराम आर्य, भूतपूर्व राजस्व मंत्री।

2. श्री मनफूलसिंह, वर्तमान राज्य मंत्री, उपनिवेशन।

3. श्री बीरबलसिंह, वर्तमान प्रधान पंचायत समिति, सूरतगढ़।

4. श्री छगनलाल राठी, चेयरमैन वर्तमान नगरपालिका, सूरतगढ़।

5. श्री गंगाप्रसाद बिस्सा, रिटायर्ड आर. ए. एस. अधिकारी।

(3) जिन आसामियान के तबादले हुये हैं उनको रिजर्व प्राइस के आधार पर उसी कीमत (valuation) की आराजी दी गई है।

(4) राजस्थान कालोनाइजेशन अधिनियम 1954 की धारा 12 के अन्तर्गत उक्त तबादले हुए हैं जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जो आराजीयात तबादले में दी गई है उन आराजीयात पर वही हकूक काश्तकार को दिये गये हैं जो उनकी पहली आराजीयात पर हासिल थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ऊन की खरीद

117. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या पशु पालन-मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भेड़ पालन योजना के तहत किस किस साल में कितनी कितनी ऊन कितनी कितनी धनराशि की किस किस अधिकारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा खरीदी गई है?

(2) ऊन खरीद के लिए किस किस साल में किस किस अधिकारी व अन्य कर्मचारियों को कितना कितना रुपया अग्रिम में दिया गया व कितनी कितनी ऊन खरीदी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि उपरोक्त ऊन की खरीद में एडवांस दिया हुआ रुपया बकाया है? यदि हाँ, तो किस किस पर कितना कितना कितने कितने समय से बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भेड़ पालन योजना के अन्तर्गत जिन जिन सालों में जितनी जितनी ऊन जिन जिन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा क्रय की गई उनका विवरण संलग्न विवरण पत्र में अंकित है।

(2 विभाग से राशि जिला अधिकारी को ही आंवटन की जाती है। जिलावार जो राशि भुगतान की गई है उसकी सूचि संलग्न है। इससे जो ऊन क्रय हुई उसकी सूची भाग 1 के उत्तर में संलग्न कर दी गई है।

(पशुपालन मंत्री)

(3) किसी भी जिला अधिकारी के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत बकाया नहीं है। परन्तु जिन जिन अधिकारियों को दी गई राशि का हिसाब अभी तक प्राप्त किया जाकर समायोजन नहीं हुआ अथवा जो राशि अभी विवादग्रस्त है उसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच

118. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नू) : क्या पशुपालन मंत्री, यह बताने कि कृपा करेंगे:—

भेड़ व ऊन विभाग के किस किस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच किन किन मामलों में कब कब से चल रही है और उन पर क्या क्या आरोप लगाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

भेड़ व ऊन विभाग के 7 राज-पत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है जिसकी सूची संलग्न कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

जयसमद झील का मछली पकड़ने का ठेका

119. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पशुपालन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयसमंद झील में मत्स्य पालन के सम्बन्ध में प्रगतिशील रिपोर्ट विभाग द्वारा बनाई गई है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयसमंद झील में मछली पकड़ने का ठेका श्री एच. सी. कपूर को नहीं दिया जाकर विभागीय स्तर पर कार्य कराने का या नीलामी के द्वारा नया ठेका देने का निर्णय कर लिया है?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

इन्डियन मेडिशन बोर्ड के कार्यालय से गायब फाइलें

120. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या आयुर्वेद मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इण्डियन मेडिशन बोर्ड के भूतपूर्व रजिस्ट्रार के समय बोर्ड के कार्यालय की कुछ फाइलें गायब हो गई थीं? यदि हां, तो कब और किस के कब्जे से कुल कितनी, कौन कौन सी फाइलें गायब हुई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त फाइलें गायब होने की बात सरकार के ध्यान में कब आई और आज तक सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां, इस सम्बन्ध में जांच की जा रही हैं। खोई हुई पत्रावलियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) पत्रावलियाँ गुम होने की अधिकृत सूचना सरकार को माह जून, 1969 में प्राप्त हुई। इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

इण्डियन मैडिकल बोर्ड के भूतपूर्व रजिस्ट्रार

121. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं): क्या आयुर्वेद मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इण्डियन मैडिकल बोर्ड के भूतपूर्व रजिस्ट्रार के समय बोर्ड के कार्यालय की फाइलें गायब हो गई थीं ? यदि हां, तो कौन कौन सी कितनी फाइलें ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार को कब मिली और उसके बाद आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व रजिस्ट्रार को सरकार ने निलम्बित किया था ? यदि हां, तो किन किन आरोपों में ? आरोपपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि उसी भूतपूर्व रजिस्ट्रार को बहाल करके पुनः इसी पद पर लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इसकी अधिकृत सूचना सरकार को माह जून, 1969 में प्राप्त हुई है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

(3) जी हां। आरोपपत्र की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(4) जी नहीं। भूतपूर्व रजिस्ट्रार को बहाल कर, इंचार्ज फार्मेसी, आयुर्वेद रसायन, जयपुर पर लगाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम पहाड़ी में कस्टोडियन की कृषि योग्य भूमि का वितरण

122. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.): क्या पुनर्वास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सब-तहसील व ग्राम पहाड़ी, जिला भरतपुर में कस्टोडियन की कृषि योग्य भूमि कितनी थी ?

(2) इस भूमि का प्रति व्यक्ति अलॉटमेन्ट पुरुषार्थियों को कितना किया गया ?

(3) इसमें से परिगणित जाति के कितने लोगों को व कितनी भूमि दी गई है, नामवार बतायें।

(4) इस भूमि से अन्य लोगों को कितनी भूमि दी गई है तथा किन किन लोगों को दी गई है कितनी कितनी दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री गंगासहाय कोली)

(5) जिन अन्य लोगों को भूमि दी गई है क्या उनके पास कृषि भूमि पहले से थी ? यदि थी, तो कितनी कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सब-तहसील ग्राम पहाड़ी में 1,52,845 बीघा कस्टोडियन की कृषि-योग्य भूमि थी।

(2) पुरुषार्थियों को साधारणतया 5 बीघा प्रति व्यक्ति भूमि का आवंटन किया गया है।

(3) 1,077 परिवारों को 7,679 बीघा भूमि दी गई है। नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) 7624 मेव (मुसलमान) लोकल पट्टेदारान व काश्तकारान सं. 2003 को 1,10,091 बीघा भूमि दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) 947 बीघा भूमि थी। आसामीवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सरकार से सूची प्राप्त नहीं हुई)

अमर ज्योति, साप्ताहिक पत्र जयपुर को कागज का कोटा

123. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री, यह बतानें की कृपा करेंगे:—

(1) "अमर ज्योति" साप्ताहिक जयपुर से कब से निकलता है, और इसकी हर सप्ताह कितनी प्रतियां छपती हैं ? दिनांक 17-12-67 के पत्र में राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक का सालाना हिसाब छपा था ? यदि हां, तो बैंक से कितने रुपये लिये गये थे ?

(2) क्या यह भी सच है कि श्री नारायण चतुर्वेदी बैंक की कार्यकारिणी के सदस्य हैं और वह ही अमर ज्योति के सम्पादक भी ?

(3) इस पत्र को हर माह कागजों का कितना कोटा मिलता है और कितनी प्रतियां छपती हैं ?

उत्तर

(1) अमर ज्योति हिन्दी साप्ताहिक जयपुर प्रेस रजिस्ट्रार (भारत सरकार) की 1968 की रिपोर्ट के अनुसार सन् 1958 से प्रकाशित हो रहा है। उक्त रिपोर्ट में इस पत्र की प्रसार संख्या प्रति सप्ताह औसतन 6,941 बताई है।

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के सालाना हिसाब सम्बन्धी प्रकाशित सामग्री जन सम्पर्क कार्यालय में संदर्भ के लिये नहीं रखी जाती। दिनांक 17-12-67 के अंक में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि० की सन् 67 की बैलेन्स शीट छपी है। इस कार्य के लिये बैंक से कितना रुपया मिला इसकी सूचना विभाग को नहीं है।

(2) यह सही है कि श्री नारायण चतुर्वेदी इस पत्र के सम्पादक हैं। शेष सूचना से विभाग का सम्बन्ध नहीं है।

(3) पत्रों को कागजों का कोटा दिये जाने सम्बन्धी कार्य राज्य सरकार के किसी

Page No 50

(जन सम्पर्क मंत्री)

विभाग द्वारा नहीं किया जाता। इसका सम्बन्ध रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया (भारत सरकार) से है।

(12.04 म० प०)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 6 सन्, 1969) को सदन की मेज पर रखता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा, ने राजस्थान राज्य कर्मचारियों द्वारा अपनी माँगों के समर्थन में कल से विधान सभा के समक्ष धरना दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इस संबंध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने भी दिनांक 13 अगस्त, 1969 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि राज्य सरकार स्थिति को स्पष्ट करते हुए शनिवार दिनांक 16 अगस्त, 1969 को वक्तव्य दिया जाय। मैं इस स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करता हूं कि निम्नांकित तीन स्थगन-प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी चाही जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिए जाकर सदन को यथा समय सूचित किया जायेगा:—

(1) उदयपुर क्षेत्र के सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार द्वारा बनाये गये बांधों पर काम करने वाले मजदूरों को मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत सरकार द्वारा स्वीकृत मजदूरी का भुगतान न किये जाने से संबंधित श्री देवीदत्त गाड़िया का स्थगन-प्रस्ताव।

(2) जिला गंगानगर में सूरतगढ़ से गंगानगर के बीच डिफेन्स रोड के निर्माण के कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया ईंटें लगाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य का स्थगन प्रस्ताव।

(3 भरतपुर जिले में लगभग प्रत्येक साल बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण चल-अचल सम्पत्ति तथा फसल के नुकसान से संबंधित श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह व श्री मुकुटबिहारीलाल का स्थगन-प्रस्ताव।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित और स्थगन-प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:—

(1) श्री विजयसिंह ने मकराना से सम्बन्धित नल-योजना विद्युतिकरण, औद्योगिकरण, कॉलेज व अस्पताल आदि विषयों के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सूचना में एक से अधिक विषय सम्मिलित किये गये हैं।

(2) श्री महेन्द्रसिंह व श्री बृजवल्लभ बोहरा ने कोटा जिले की तहसील लाड़पुरा व दीगोद के तहसीलदार द्वारा खुशहाली टैक्स की जबरन वसूली करने के सबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध शिकायत का मामला प्रतीत होता है।

(श्री उपाध्यक्ष)

(3) श्री हरलालसिंह खर्रा, श्री गंगासहाय व श्री नन्दलाल ने तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कई गांवों में गत मार्च में ओला वृष्टि से फसल को हुई हानि के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इसका संबंध अकाल राहत कार्यों से है और अकाल की स्थिति पर बहस के लिए समय अलग से निश्चित हो चुका है।

(4) श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा, श्री नन्दलाल व श्री ओमदत्त भाटी ने कोटा जिले की बारां, मांगरोल, शाहबाद, किशनगंज व अटरू तहसील क्षेत्र में गोचर भूमि पर तहसील के कर्मचारियों के इशारों पर लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक सामान्य प्रकृति का मामला है।

(5) श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री हीराभाई व श्री विट्ठल ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव के प्रश्न को लेकर कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा राजस्थान विधान सभा के सदस्यों पर दबाव डालना व भय उत्पन्न करना बतलाया गया है। इस स्थगन-प्रस्ताव में उल्लिखित मामले का राज्य सरकार से सीधा संबंध नहीं है और न ही किसी मंत्री के स्पेशल कोम्पीजेन्स में ही आता है।

इनके अतिरिक्त उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर आज विचार किया जाय। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल ने दी है वह इसी सदन के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध है। अतः उस पर चर्चा उठाई जाने से पहले या उस पर व्यवस्था देने से पहले जानकारी करना आवश्यक है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो स्थगन-प्रस्ताव रखा है उस स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह है कि···

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : राष्ट्रपति का चुनाव होने का है···

(दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलते रहे, इस कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बताइये कि किस विषय पर चर्चा चला रहे हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : यह जो मुद्दा उठाया जा रहा है व यहां पर धमकियां दी जारही हैं उस पर हैं।

श्री नत्थीसिंह : राजस्थान विधान सभा के सदस्यों का हमारा यह हक है कि राष्ट्रपति का चुनाव स्वतन्त्रता के साथ, आजादी के साथ, जो हमारा मन, दिमाग मस्तिष्क कहे उसके अनुसार अपना वोट डालें, लेकिन सदन की लॉबीज में और इस सदन के बाहर इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं कि लोगों को धमकी दी जा रही है।···

Page No 52

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर ! माननीय सदस्य, इस पर व्यवस्था दे दी गई है, इसलिए चर्चा करना उचित नहीं होगा ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर संसद् में भी चर्चा हुई थी । राष्ट्रपति के चुनाव का जब इस तरह का प्रश्न आया था तो वहां यह कहा गया था कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए । उन लोगों ने बिहार और कांग्रेस प्रेसीडेन्ट का उल्लेख किया था, उसकी चर्चा हुई है । उस पर श्री खाडिलकर, उपाध्यक्ष, ने यह निर्णय दिया था कि चर्चा होगी । यहां पर यह कहा गया कि यदि वी० वी० गिरी को वोट दे देंगे तो यहां पर फौजी शासन लागू हो जायगा । (कांग्रेस पक्ष की ओर लक्ष्य करके) इस तरह की बातों से आप क्यों घबरा रहे हैं । आप में हमारे लोग हैं । आप किसको कहते हैं, आप घबराते क्यों हैं ? लेकिन इस देश में···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज ।

श्री नत्थीसिंह : आज जिस चीज की चर्चा चल रही है । देश के गरीब जो आज तक नाम लेने में घबराते थे, लेकिन वी. वी. गिरी आज उनके प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो रहे हैं···

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, माननीय सदस्य । जो कुछ आप कह रहे हैं वह एक प्रकार से चुनाव प्रचार बन जाता है । इसलिए उचित होगा कि···

श्री नत्थीसिंह : मैं धमकी नहीं दे रहा हूं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन आ जायेगा, विधान सभा भंग हो जायगी, इसलिए आज इस देश की ताकत गरीबों के हाथ आनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर माननीय सदस्य···

श्री नत्थीसिंह : (कांग्रेस की ओर लक्ष्य करके) अगर आप चाहें तो नाम बता दूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । चर्चा नहीं होगी । आॅर्डर प्लीज !

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए गम्भीर प्रश्न है, इतना गम्भीर प्रश्न है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पाॅइन्ट आॅफ आॅर्डर । इस प्रकार से जब एक प्रस्ताव नहीं लिया गया है, मन्जूर नहीं किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, ये जानबूझकर खतरे की बातें करते हैं जो कानून के विरुद्ध हैं । ये प्रचार कर रहे हैं । इसको रोका जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । आसन अपने पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया था उसकी आसन ने व्यवस्था दे दी है । इस पर विचार करना नियम के प्रतिकूल है । साथ ही साथ नियम के विरुद्ध बोल रहे हैं । आपका भाषण जो है वह स्वयं चुनाव प्रचार की तारीफ में आता है । इसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

श्री नत्थीसिंह : नियमों में व्यवस्था नहीं है। हम राष्ट्रपति के चुनाव में यह नहीं कह सकते हैं। कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य को यह कह कर नही धमका सकता है कि अगर वी० वी० गिरी को वोट दिया तो फौजी शासन हो जाएगा। विधान सभा भंग हो जाएगी। इस तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति के लिए ऐसा कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

श्री रामकिशन : हम यह भी जानते हैं कि यह नियमों के विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप जानबूझ कर ऐसा क्यों करते हैं ?

श्री रामकिशन : मुझ से भैरोंसिंह जी ने कहा है कि अगर वी० वी० गिरी जीतेंगे तो विधान सभा भंग हो जाएगी। तुम्हारे पास आय का दूसरा जरिया नहीं है। ऐसी बातें कह कर दबाया जा रहा है। हम संरक्षण चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसके बाद आगे भी तो कुछ कहा है वह क्यों नहीं कहते हो। इन्होंने कहा है भैरोंसिंह जी से कि तुम्हारे वाइफ तो है नहीं, मैं तुम्हारे घर आकर रह जाऊंगा। (हंसी)

श्री रामकिशन : यह हँसने की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। जनसंघ के सदस्य और कांग्रेस के कुछ सदस्य वी० वी० गिरी को वोट देना चाहते हैं। उनको भयभीत किया जा रहा है। हम संरक्षण चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : भैरोंसिंह जी यहां हैं। यह कह दें कि इन्होंने यह नहीं कहा है। हम मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री भैरोंसिंह : मैं अपनी सफाई दे दूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राष्ट्रपति के चुनाव का प्रश्न है······

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जो लॉबी में कह रहे थे वह यहां कहला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : राष्ट्रपति के चुनाव में कौन किसको वोट देगा, इसकी सब को स्वतन्त्रता है। पार्टियों में भी अपने निर्णय होते हैं। यह भी एक प्रकार से स्वतन्त्रता के प्रतीक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी किस के पक्ष में वोट देगी यह वह बैठ कर तय करते हैं और अपने मैम्बरों को डायरेक्टिव देते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक दल अपने अपने दल का निर्णय लेकर किसको मत दिया जाये, इस प्रकार व्हिप जारी करते हैं। दुर्भाग्य से इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, वह आपस में इस प्रकार बिखरी हुई है कि उसमें स्वयं कांग्रेसी यह कह रहे हैं कि कांग्रेस टूट गई तो लोकतन्त्र को खतरा है। यदि कांग्रेस टूट गई तो लोगों में आस्था नहीं रहेगी। यह दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस का जब सब मसलों पर व्हिप इश्यू किया जाता है, इस मसले पर जिम्मेदार व्यक्ति यह कह कर चलते हैं कि मत देने की स्वतन्त्रता हो। कांग्रेस पार्टी शुरू से राज्य करती चली आ रही है। लोकतन्त्र में पदलिप्सा इनमें कितनी है, यह खुल कर

(श्री भैरोंसिंह)

जनता के सामने आ गया है। जहां तक रामकिशन जी का कहना है कि हमने यह कहा है कि यहां पर लोकतन्त्र नहीं रहेगा। प्रेजीडेंट रूल हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, कल श्री रामकिशन जी ने हमारी प्रशंसा की थी। इन्होंने कहा था कि भारतीय जनसंघ लोकतन्त्र में आस्था रखता है। वह अब यह मान सकते हैं कि मैं यह चाहता हूं। इतना जरूर कहा था कि अगर प्रेजीडेंट रूल हो गया तो अपनी तनख्वाह का क्या होगा? अगर उनकी लोकतन्त्र की आस्था का प्रश्न इन 400) रु० तक ही सीमित है तो वह हम को माफ करें।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्टीकरण नहीं है। यह तो आरोप है। लॉबी में हम, प्रवीणचन्द्र छाबड़ा और त्रिपाठी जी जो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, बैठे हुए थे। भैरोंसिंह जी ने वहां कहा कि इन्दिरा गाँधी जी ने कमाण्डर इन चीफ से भेंट की है। अगर विधान सभा भंग हो गई तो तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं रह जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो गवाहों के सामने कहा है। ऐसा नहीं है अगर वी० वी० गिरी जीत गये तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे ऊपर यह आरोप लगाया है। दो प्रतिष्ठित पत्रकारों के सामने ऐसा कहा है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि अगर वी० वी० गिरी जीतेंगे तो लोकतन्त्र नहीं टूटेगा। हमने यह कहा है। यह निर्णय हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय सदस्य यहां पर प्रेजीडेंट के चुनाव की चर्चा कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जार्ज फर्नाण्डिस, उनका बयान है—

We are not interested...

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह ह्विप इश्यू कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

श्री पी. के. चौधरी : जार्ज फर्नाण्डिस का स्टेटमेंट है।

श्री रामकिशन : यह नहीं कहा है।

श्री पी०के० चौधरी: उन्होंने यह कहा, हम नहीं चाहते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। संजीव रेड्डी जीतेगा या कौन जीतेगा। हम को इससे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कांग्रेस ब्रेक्स अप······

You are least interested whether Giri wins or S. Reddy wins, you are only interested that the Congress breaks up.

जिस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी यह कहता है। उस पार्टी का मेम्बर यहां पर इस प्रकार का प्रचार करे।

श्री नत्थीसिंह : यह पार्टी पर आरोप लगाया गया है उपाध्यक्ष महोदय।

Page No 55

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री नत्थीसिंह : हम साफतौर से चाहते हैं, वी० वी० गिरी जीते। कांग्रेस टूटे। कांग्रेस शासन समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज!

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में कोई सफाई नहीं करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह आपने अपने आप उठाया। इसलिए चर्चा हो गई है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ए प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस इश्यू का क्वेश्चन उठा है। विभिन्न दलों ने ह्विप जारी किया है। हम इस चुनाव में जो मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेम्बली की हैसियत से वोटर हैं ···

श्री उपाध्यक्ष : इसकी कोई सूचना नहीं है। इसकी कोई सूचना नहीं है। ऑर्डर प्लीज!

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नया प्रश्न। नया प्रश्न। माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री भैरोंसिह।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, भरतपुर की बाढ़ के सम्बन्ध में ··

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं आपसे, कल जिस समय मुरलीधर जी व्यास की पिटाई के सिलसिले में मैं बोल रहा था, जो नियमों के अन्तर्गत था और स्थगन प्रस्ताव के ऊपर वक्तव्य के बारे में बोल रहा था और मुझे बोलते हुए दो मिनिट भी नहीं हुए थे कि आपने मेरा भाषण अङ्कित होने से रोक दिया जो कि नियमों के विरुद्ध था। आज जिस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था जो नियमों के विरुद्ध था और जिस पर चर्चा नहीं हो सकती थी, उस पर पन्द्रह मिनिट तक चर्चा चली है। तो क्या मैं यह मान कर चलूं कि उसको भी अङ्कित नहीं होने दिया है या अङ्कित हुआ है? उस पर आपकी क्या व्यवस्था हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अङ्कित नहीं हुआ—ऐसा नहीं कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: चर्चा बिल्कुल···

श्री उपाध्यक्ष : जितना समय आज दिया गया है, कल भी दिया गया था।

अङ्कित नहीं होने दिया जाय, ऐसा आप स्वयं बोल देते। आप स्वयं जिम्मेदार सदस्य हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल का प्रश्न नियमों के अन्तर्गत एलाउड था। आज एडजोर्नमेंट मोशन नियमों के अन्तर्गत एलाउड नहीं है, नियमों के अन्तर्गत इस पर डिबेट एलाउड नहीं हैं, रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के खिलाफ सारी चीज है— यह सारी बातें हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : आप यह थोड़ी देर पहले कह देते तो उस वक्त अङ्कित होने से रोका जा सकता था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस चर्चा में क्या आपकी सहमति है— क्या यह मान कर चला जाय ?

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी, उसके ऊपर अर्ज करना है। व्यवस्था का प्रश्न उठाया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट और संविधान के मुताबिक जो गारन्टी की गई है, उसके अन्तर्गत इस सदन का यह कर्त्तव्य है कि मत की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखा जाय। जहां तक अंकित हो या नहीं हो—इसका प्रश्न है, तो हमेशा आपको ज्यादा समय मिलता है, आप कुछ भी कह जायं वह अंकित होता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें हमारे देश का भाग्य बंधा हुआ है, जनतंत्र का भाग्य बंधा हुआ है। इसकी खिलाफत हो और कहें कि मत की स्वतंत्रता की बात को अंकित न किया जाय तो मुझे खेद है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में मैं स्पष्टीकरण कर दूं। मुझे कतई आपत्ति नहीं है, इस पर फुलफ्लेज्ड डिबेट हो, टू आवर की डिबेट की जाय, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं इस पर आपत्ति नहीं करता हूं कि इसको अंकित क्यों किया गया। मैं तो आसन से यह जानकारी चाहता हूं कि उन्होंने अंकित होने दिया है—यह नियमों के अन्तर्गत है क्या ? कल जो नियमों के अन्तर्गत मैं बोल रहा था उसको अंकित नहीं होने दिया और यह राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित चर्चा हुई जो नियमों के विरुद्ध है, उसको अंकित होने से मना किया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को समझ कर मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह एक जानकारी मैंने चाही है। क्योंकि आज सुबह मैंने अखबारों में पढ़ा कि रेड्डी को वोट नहीं देंगे और गिरी को वोट देना चाहते हैं, इसलिए मैंने पूछा है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! माननीय सदस्य। आसन अपने पैरों पर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : जब ... (व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा है, आसन से ...

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नियमों में व्यवस्था है यह कि जब आप आसन से बोल रहे हैं तो गिरी के फेवर में नहीं बोलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जिस वक्त इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा शुरू हुई, तब आसन ने व्यवस्था दे दी थी कि नहीं बोला जाय। इस दरम्यान में एक माननीय सदस्य ने जनसंघ के नेता के बारे में इस प्रकार की बात कही जो आरोप की तारीफ में आ सकती थी, इसलिए उनको स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया, क्योंकि जब चर्चा शुरू हुई, आपने भी कहा कि मुझे स्पष्टीकरण देना है। आप जानते हैं, नियमों के अनुसार स्पष्टीकरण देने के नाम पर वह कह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर प्रत्यारोप लगा दिया, जिस पर इनको कहने का अधिकार हुआ। इनके कहने के बाद, में एस. एस. पी. के जनरल सेक्रेटरी जार्ज फर्नान्डीज का जिक्र हो गया, उनके बारे में कह दिया। जब बात ज्यादा होने लगी तो हमने मना कर दिया कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह कह दूं कि सब माननीय सदस्यों को यह अधिकार नियमों के अन्तर्गत दिया हुआ है कि नियमों से चर्चा दूर हट जाय, तो आप स्वयं यहां विराजमान थे, आप स्वयं कह देते कि कल यह बात कही गई थी, आज यह क्या किया जा रहा है तो उस वक्त अंकित नहीं कराते। मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसा कि हमारा कर्तव्य है, वैसा ही आपका भी कर्तव्य है। आप सोचते हैं कि किसी प्रकार की दुर्भावना से ऐसा किया ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : तो ऐसा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा छिड़ गई, तो आसन ने उसके लिए बार बार मना किया। उसके बाद में आपत्तिजनक बात कह दी जिससे आपके दल के नेता को आपत्ति हुई। इसलिए चर्चा लम्बी हुई।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन केवल इतना था, आज की चर्चा इस सम्बन्ध में नहीं है। मैं निवेदन कर दूं, मैं नहीं चाहता कि यह अंकित रहनी चाहिए और ऐसे मसले पर डिबेट होती है तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। अगर रूल में प्रावधान नहीं है तो रूल को रिलेक्स करके इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। प्रश्न यह नहीं था, मूल प्रश्न यह था कि कल जिस समय सतीशचन्द्र जी बोल रहे थे उस वक्त यह आदेश दे दिया गया कि अंकित नहीं किया जाय ... ...

श्री उपाध्यक्ष : इतनी जल्दी नहीं कहा था। काफी माननीय सदस्य को चेतावनी दी।

श्री भैरोंसिंह : चेतावनी दी, आपने सब कुछ किया। अगर नियमों के हिसाब से देखें तो नियम आप भी निकाल लें और हम भी निकाल लें। जिस प्रकार अंकित नह करने का प्रासीजर है, उतना स्ट्रिक्टली कम्प्लायेन्स चाहते हैं तो मुझे माफ करेंगे, आसन ने उसकी कम्प्लायेन्स नहीं की है। आपको अधिकार है, अंकित किया जाय या अंकित नहीं किया जाय, प्रोसीडिंग्स में नहीं लिखा जाय इस प्रकार का आदेश देने से पहले यदि कोई अनपार्लियामेन्ट्री लैंग्वेज हो, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो कि हाउस में राउडिज्म पैदा हो रहा हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हों तो उस समय इस अधिकार का प्रयोग करें कि प्रोसीडिंग्स में नहीं लिखा

Page No 58

(श्री भैरोंसिंह)

जाय। लेकिन कल जो मसला था, वह मामूली मसला था, कोई राउडिज्म नहीं हो रहा था, राउडिज्म को कन्ट्रोल करने की स्थिति नहीं थी, हाउस को कन्ट्रोल करने की स्थिति पैदा नहीं हुई थी, सब माननीय सदस्य सुन रहे थे, सब माननीय सदस्य उसमें इन्ट्रेस्ट ले रहे थे, लेकिन आपने दो मिनिट के अन्दर ही कह दिया कि अंकित नहीं किया जाय, आप दो मिनिट में ही अपने अधिकार का प्रयोग करें - यह अच्छा नहीं है, इसलिए निवेदन किया था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बाढ़ के ऊपर और रात के अन्दर जो जन हानि और धन की हानि हुई है उसके सम्बन्धन में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसके ऊपर आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। लेकिन मुझे निवेदन करना है कि आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, जिसके बारे में हमने कितनी ही बार वहां के जिला स्तर के अधिकारियों से कहा था कि भरतपुर में फिर से बाढ़ आ सकती है ......

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। उस पर व्यवस्था दे दी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था के बारे में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर क्या फर्मा रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सूचना जो मैं चाह रहा हूं, यह सूचना आपके माध्यम से अगर मंगाली जाय, तो मैं समझता हूं। वह जन हित में होगा। बात यह हुई कि एक बाढ़ नियन्त्रण कमेटी की बैठक दो-चार दफा भरतपुर जिले में हुई थी ......

श्री उपाध्यक्ष : उसकी जानकारी मांगी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उसमें हमने यह बात कही, लेकिन फिर भी बाढ़ से बयाना के कस्बे में पानी भर गया, रेल मार्ग रुक गये हैं......

श्री उपाध्यक्ष : उसकी जानकारी चाही गई है, जल्दी मंगवा ली जायगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसलिए उच्चतर स्तर पर जल्दी से जल्दी सहायता कार्य के वहां पर साधन जुटाये जायं और जो आदमी वहां फंस गये हैं

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनको सहायता पहुंचाई जाय। ऐसी स्थिति में मेरी मांग है कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी, और सम्भव हो सके, तो आज ही इस सम्बन्धी आवश्यक सूचना दें क्योंकि कल फिर छुट्टी हो जायगी ....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं चाहता हूं कि सहायता कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं हो। इसकी व्यवस्था कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। व्यवस्था दे दी गई है।

श्री रामकिशन : यह नया मामला है। यह हिन्डौन वाला मामला है।

श्री रामचंद्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है·····

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उस पर वक्तव्य दिया जाने वाला······

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा निवेदन है कि गंगानगर सूरतगढ़ के बीच में डिफेन्स रोड़ है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। उस पर व्यवस्था दे दी गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जरूरी महत्वपूर्ण कार्य है····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : उस पर कैसा कार्य हो रहा है, इसकी मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है कि जब कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां पर मौजूद हैं और उनको अच्छी तरह से मालूम है कि उसका जो ठेकेदार है वह पी. सी. सी. का मेम्बर है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : और वह उस पर तीन नम्बर की ईंट लगा रहा है। आप वहां मौके पर जाकर देखें या विधान सभा की एक कमेटी को भेज कर इसकी जांच करायें···

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जानकारी चाही गई है, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार से देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड किया जा रहा है और धोखाधड़ी की जा रही है···

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : उसके लिए कहते हैं कि उसकी जानकारी चाही जा रही है। तो क्या गंगानगर दूर है, वह भी राजस्थान का ही एक भाग है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि कौनसी तारीख को स्टेटमैंट होगा तब तक क्या व्यवस्था करने का निर्णय करेंगे ? इसकी मैं जानकारी चाहता हूं क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा का मामला है···

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जानकारी चाही गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक तरफ कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए सभी लोगों को सही तरीके से काम करना चाहिए, दूसरी तरफ डिफेन्स रोड में तीन नम्बर की ईंट लगाई जा रही हैं, गलत काम हो रहा है। अगर कल को दुश्मन ने हमला कर दिया तो देश की सुरक्षा का काम ठीक तरह से नहीं हो सकेगा क्योंकि उस पर टैंक नहीं चल सकेंगे, यदि हिन्दुस्तान पर पाकिस्तान का हमला हो जाय तो। मुझे तो मालूम होता है कि इसमें किसी भेदिये की साजिश है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए ही डिफेन्स रोड को घटिया बनाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ...

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या किया जाना चाहिए, माननीय सदस्य ! हमें रास्ता बतावें कि आखिर क्या किया जाय। आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो मोशन पेश किया था उसके सम्बन्ध में आपने नहीं बताया कि कौन सी तारीख को ले रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि जो मैंने माननीय राजा मानसिंह के बारे में, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, मोशन रखा है ...

श्री उपाध्यक्ष : उसमें मैंने निवेदन किया कि जल्दी से जल्दी उसकी जानकारी मंगवाई जाय। आप कुछ समय के बाद मुझसे चेम्बर में मिल लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डेट आप मुझे बता दें क्योंकि वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इन्सपेक्टर जनरल को रिपोर्ट कर दी, होम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर दी ... राजा मानसिंह बंदूक से जबरदस्ती गैर कानूनी रूप से जुर्माना वसूल कर रहे हैं। लोगों को मारते हैं, कहीं सुनाई नहीं हो रही है। विधान सभा में मामले को दबाया जा रहा है, यह हम बरदाश्त नहीं करेंगे। तारीख बता दें, परसों उत्तर दिलादें।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी चाही गई है, जल्दी मिल जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 3-4 दिन में सोमवार तक मंगा दें यह बिल्कुल कानूनी मामला है, पंचायत शिकायत कर रही है कि उनको मवेशियों के ऊपर जुर्माना वसूल करने का अधिकार नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : निजी जुर्माना करते हैं। रूंद की मवेशी लगा दी है। गोली चलाते हैं, बंद करवा देते हैं। राजाशाही में इतने अत्याचार नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब मंगायेंगे ? तथ्य मंगवायें, मैं नहीं चाहता कि वैसे ही जवाब दें लेकिन दबाया नहीं जाना चाहिए। हमें अभी तक दबाया जा रहा है।

श्री मुकटबिहारीलाल : कम से कम पुलिस को इत्तला दे दें कि गिरफ्तारियां न करें जिनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : गोलीकांड के संबंध में एक वक्तव्य दिया जाने वाला था। तो हम जानकारी चाहेंगे कि वह वक्तव्य आज दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : तिथि निश्चित नहीं हुई है।

श्री श्रवणलाल : आज के लिए कहा था कि 14 तारीख को वक्तव्य होगा।

श्री ओमदत्त भाटी : जोधपुर में नगर परिषद के सामने धरना दिया उसमें गिरफ्तारियां हुई, कल तार भी आया और

(श्री ओमदत्त भाटी)
अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि इस पर वक्तव्य दिलाया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यालय से मालूम करें या चेम्बर में मुझ से मिलें, यहां उत्तर नहीं दिया जायगा ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपने मकराना के बारे में व्यवस्था दी है। मैं पूर्णतः सहमत हूं लेकिन जिस कस्बे की आबादी 25 हजार हो और इन्कम 10 हजार सालाना की हो, उसे पूर्णतः निग्लेक्ट किया जाय तो उसकी उन्नति के लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्लान बनाए वह मेरे साथ बैठ कर बनाए ...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । श्री भैरोंसिंह ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया और श्री श्रवणलाल के एक साथ खड़े होने पर)

इस तरह से सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग नहीं होता है तो सदन की कार्यवाही चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। करीब आधा घन्टा का समय हो गया है जब कि कार्य सूची में जो कार्य है, नहीं लिया जा रहा है और प्रश्नोत्तर काल में आसन के लिए सभी का उत्तर दिलाना सम्भव नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इस समय दोनों प्रश्न थे। मुरलीधर व्यास के सम्बन्ध में और...

श्री उपाध्यक्ष : उस पर व्यवस्था मैंने दे दी।

श्री श्रवणलाल : इसको आज नहीं तो कब लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : किस दिन लिया जायगा, मुझे मालूम नहीं है। आॅर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : आज के लिए कहा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आज की कार्य सूची में नहीं है। आपके स्वयं के पास कार्य सूची है, देखने का कष्ट करें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय ने हिंडौन के सम्बन्ध में कहा था कि आज स्टेटमैंट देंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी अभी श्री रामानन्द ने राजा मानसिंह के बारे में सवाल उठाया था। मानसिंह जी सदन में ...

श्री उपाध्यक्ष : जो मामला उस समय उठाया जाता है वह बाद में चर्चा का विषय नहीं रहता है, इसलिए व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रिविलेज के प्रश्न पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो प्रिविलेज मोशन लाइए।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या आप पसन्द करेंगे कि यहां अव्यवस्था फैले। अभी अभी आपस में दोनों सदस्यों के बीच गर्म शब्दों का आदान-प्रदान हो रहा है।

Page No 62

श्री उपाध्यक्ष : आप कहेंगे तो और ज्यादा अधिक गर्मी आयेगी ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसी सूरत में…

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : ऐसी सूरत में आपसे निवेदन है कि आप उनसे कहें कि कम से कम सदन में झगड़ा न करें । सदन से बाहर चले जायें देखें कि क्या होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री श्रवणलाल : क्या हम समझें कि हिंडोन के सवाल के लिए कोई तारीख नहीं है। अगर है तो बतादें नहीं तो भी बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी सूचना यहां नहीं है कि कौनसा दिन मुकर्रर किया है । मुझे याद नहीं है । श्री भैरोंसिंह !

श्री श्रवणलाल : उस दिन मंत्री मौजूद थे । उन्होंने कहा था कि 14 तारीख को जवाब देंगे और आप कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स में नहीं है ।

श्री नत्थीसिंह : इस सदन में परम्परा रही है कि यदि इस तरह से कोई सवाल निश्चित हो जाय तो उसी सत्र में जवाब मिल जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परेशानी यह है कि…

श्री उपाध्यक्ष : परेशानी हमारी भी है कि माननीय सदस्य नियमों के अनुसार काम नहीं करें तो हमारी परेशानी कितनी होती है ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी परेशानी एक बात में मिट सकती है कि सरकार को खींचने की कोशिश करें तो न आपको परेशानी होगी न हमें ।

श्री उपाध्यक्ष : हमें अवसर दें ।

श्री दिग्विजयसिंह : ढाई साल तो हो गए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य मन्त्री बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए । जुडिशियल कमीशन बिठाया है ।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मन्त्री, गृह), 16 तारीख को जवाब दिया जायगा ।

श्री श्रवणलाल : तो पहले ही कह देते ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अभी मैंने कोटा जिले के तहसीलों की जितनी चरनोट भूमि है……

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी गई ।

देवीदत्त गाड़िया : यह गम्भीर मसला है । मवेशियों के चरने के लिए जगह नहीं है । एक तरफ मवेशी अकाल से भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ भूमि होते हुए भी तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो और अनधिकृत कब्जा करने वालों ने उन्हें उखाड़ लिया । मवेशी अगर चराने के लिए ले जाते हैं तो जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है वे उनको डंडे से भगाते हैं, अमन और शांति को खतरा पहुंच गया है इसलिए राजस्व मंत्री…

Page No 63

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार की नीति है कि मवेशियों के चरने की भूमि ...

श्री उपाध्यक्ष (श्री प्रेमसिंह सिंघवी के खड़े होने पर) : जब आप इस तरह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं......

श्री देवीदत्त गाड़िया : मसला गंभीर है। दूसरा मेरा निवेदन है कि डकैती के मामले में अध्यक्षजी ने आसन से आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही इस पर निर्णय दिया जायगा और मेरे पास कल भी गांव के लोग आए हैं और उस इलाके के अन्दर शाहबाद, किशनगंज तहसील के अन्दर 40 डाकुओं का गैंग फिर रहा है, औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इस तरह कि स्थिति राजस्थान में रही तो किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा इटावा के लोग गांव छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि इन डकैतों का कोटा जिले में आतंक बढ़ रहा है, जल्दी से जल्दी वक्तव्य दिलाया जाय और सरकार डकैतियों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, उस क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिलाने का पूरा वक्तव्य दिलाया जाय।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सीट्स (स्थान कम किए जाने तथा प्री-मेडिकल टेस्ट के सफल विद्यार्थियों की सूची के प्रकाशन में देरी से असन्तोष की ओर चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पांचों मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों की सीटों की संख्या के संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना हमने प्रेषित की है उस सम्बन्ध में केवल इतना ही इस समय कहना चाहूंगा कि सदन में कई बार यह प्रश्न आया है कि राजस्थान में राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों में स्थानों की संख्या बढ़ाती है फिर उसको कम किया है, फिर सदन में चर्चा हुई है फिर सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ाई है और गत वर्ष स्थिति यहां तक पहुंच गई कि राज्य सरकार ने जो रिजर्वेशन्स किए थे, उनके सिलसिले में हाईकोर्ट में रिट हुई और रिट याचिका मन्जूर होने के बाद भी कुछ एडमिशन्स अगस्त के बाद कॉलेजों में किए गए। मैं समझता हूं राज्य सरकार कई टेक्नीकल एज्यूकेशन के सिलसिले में, मेडिकल लाइन में इस प्रकार सीटों की संख्या कम निर्धारित करना फिर बढ़ाना, फिर अगले वर्ष कम करना फिर बढ़ा देना यह नीति किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है।

इस प्रकार की अनिश्चितता की नीति जहां विद्यार्थियों में एक प्रकार की अनिश्चितता की भावना पैदा करती है, अभिभावकों को इधर उधर की परेशानियां पैदा होती हैं और उन सब के कारण एक अशान्ति का वातावरण पैदा होता है। सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी लेकिन यदि किसी मंत्री का रिश्तेदार चार सौ सीटों में नहीं आया तो सीटें बढ़ जावेंगी। किसी डाक्टर का लड़का नहीं आया तो उसके लिए सीटें बढ़ जावेंगी। चार सौ सीटों में सिलेक्ट नहीं हुए तो मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ जावेंगी इस प्रकार की आशकाएं तरह तरह की पैदा हो रही हैं।

(12.52 म० प्र०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सभापति महोदय, बिल्डिंग का अभाव नहीं है, स्थान का अभाव नहीं है, इक्विप्मैन्ट्स का अभाव नहीं है। या तो कहिये कि इरेशनल तरीके से सीट्स बढ़ाते रहे और रीजनल कन्सीडरेशन्स से मेडिकल कॉलिजे खोलते रहे, एडमिशन्स देते रहे और घोधली बाजी करते रहे, कई बार चर्चायें की गईं कि किस प्रकार से क्षेत्र विशेष के छात्र प्रवेश पाते हैं। इस सम्बन्ध में गत सत्र में मैंने यह सवाल खड़ा किया और इस प्रकार राजस्थान सरकार ने पी० एम० टी० की व्यवस्था करके एडमिशन किया पी० एम० टी० के किस प्रकार से एक्जामिनेशन्स किये, युनिवर्सिटी ने कन्डक्ट किये उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है। लड़के उसमें बैठे, युनिवर्सिटी ने राजस्थान सरकार के पास लिस्ट भेजी। केवल एक यही शिकायत थी कि युनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया परीक्षा फल इतने दिनों तक क्यों रोका गया और मार्कशीट क्यों नहीं दी गई। जल्दी ही रिज़ल्ट क्यों नहीं अनाउन्स किया गया। तरह तरह की शंकायें हुईं। इस प्रकार की शंकाओं को स्थान न मिले और निःशंक होकर लोग विचार कर सकें और इन्जीनियरिंग में जिस प्रकार हस्तक्षेप नहीं चल सकता उसी प्रकार से मेडिकल में भी हस्तक्षेप नहीं चल सकेगा और केवल मिनिस्टरों के कृपा पात्र होने से ही प्रवेश नहीं पा सकेंगे इस सब के लिये मैंने ध्यान आकर्षित करने के लिये यह किया है। लड़के मारे मारे फिर रहे हैं। दो लाख रु० का एडीशनल एक्सपेंडीचर होगा। राजस्थान के मेडिकल कॉलिजेज में दो सौ ढाई सौ छात्रों की संख्या बढ़ सकती है, बिल्डिंग, एपरेटस, मशीनरी सब मौजूद हैं। संख्या बढने और न बढने से कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ डिमोन्स्ट्रेटर की नियुक्ति करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आप 250 लड़कों के भाग्य को अन्धकार में ढकेलना नहीं चाहेंगे। आप नौजवान तुर्कों के नेता भी हैं। मैं समझता हूं कि दो लाख की राशि का प्रोविजन करने से मेडिकल कॉलेज में 200-250 लड़कों को एडमिशन मिल सकता है, वित्तीय स्थिति को लेकर भी टांग नहीं अड़ायेंगे और मेडिकल कॉलिजों में एडमिशन दिये जा सकते हैं। जो पी० एम० टी० में उत्तीर्ण हुए हैं उनमें से 250 लड़कों को और एडमिशन दे दिये जायं और विधान सभा में इसकी घोषणा की जायें। उन लड़कों को सहूलियत देंगे और उसकी घोषणा राज्य सरकार विधान सभा में करेगी। यही मेरा निवेदन है।

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): सभापति महोदय, हर वर्ष, करीब तीन चार साल से राजस्थान में सब मेडिकल कालेजेज में विद्यार्थियों को उनके टी. डी सी. फर्स्ट ईयर के मार्क्स होते थे उनके आधार पर मेरिट्स पर एडमिशन दिये जाते थे। गत वर्ष सरकार ने जैसी घोषणा की थी उसके मुताबिक युनिवर्सिटी के जरिये प्री-मैडीकल टेस्ट करवाये और प्रि-मेडिकल टैस्ट में 2678 विद्यार्थी एपीयर हुए। उन 2,678 विद्यार्थियों में से युनिवर्सिटी से 803 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट मंगवा कर प्रकाशित की गई। इस प्रकाशन में, मैं समझता हूं, कुछ भ्रान्ति है। जिस समय राज्य सरकार के पास युनिवर्सिटी से लिस्ट आयी उसको दूसरे दिन ही साइक्लोस्टाइल करके प्रकाशित कर दिया गया था। कुछ ऐसे सवालात भी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

जिसमें युनिवर्सिटी ने निर्णय राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा था। इसलिए उनके निर्णय में एक दिन का टाइम लगा। बाकी विद्यार्थियों की लिस्ट दूसरे दिन प्रकाशित कर दी और युनिवर्सिटी से जैसी मैरिट लिस्ट आयी वैसी की वैसी प्रकाशित की गई। इसमें विद्यार्थियों के रोल नम्बर लिख दिये थे और कितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किये हैं वह लिख दिये थे। फूलप्रफ अरेन्जमैंट्स यह किया कि जो एक्जामिनर्स थे उनको युनिवर्सिटी में बुला लिया गया था और उनको एट रन्डम कापियां दे दी गयी थीं। किसी विद्यार्थी ने रोल नम्बर लिख भी दिये तो भी यह पता नहीं लग सकता था कि इसका यह रोल नम्बर है क्योंकि उस कापी पर दूसरे रोल नम्बर लिख दिये गये थे। चारसौ विद्यार्थी जो मेरिट में आये उनको रोकने की जरूरत नहीं थी। युनिवर्सिटी से 803 की जैसी ही लिस्ट आयी उसको वैसी ही बाद में प्रकाशित कर दी। राज्य सरकार से पहले यह निर्णय हुआ कि मेन पावर प्लानिंग के आधार पर और राज्य की वित्तीय स्थिति को देख कर उन परीक्षाओं को करने से पहले राज्य सरकार ने प्रोस्पेक्टस निकाला था उसमें चारसौ सीटों की घोषणा की थी और इस आधार पर की थी कि इससे ज्यादा अब हम डाक्टरों की भर्ती अभी से नहीं करेंगे वरना जैसे आज इन्जीनियर्स बेकार फिरते हैं उसी तरह से उनको कभी एम्प्लॉयमेन्ट नहीं दे सकेंगे। इस निर्णय के अनुसार 2,678 विद्यार्थी दाखिल हुए टैस्ट में पी. एम. टी. के। विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए और जैसा बताया गया कि वित्तीय स्थिति पर दो लाख रुपये का प्रभाव पड़ता है उस स्थिति पर राज्य सरकार ने कई दिनों पूर्व विचार किया था और विचार करने के बाद इस निश्चय पर पहुंचे कि 400 के बजाय 600 को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाय। विद्यार्थियों में जो असंतोष की भावना है वह दूर हो जायगी। और हमारे पास इतने साधन भी हैं कि थोड़े से विद्यार्थियों की सीट्स बढाने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं समझता हूं कि इससे सदन को संतोष होगा और विद्यार्थियों में जिस प्रकार को भावना है उसका निराकरण हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप से एक जानकारी करना चाहूंगा।

छः सौ की घोषणा अभी आपने कर दी उसमें रिजर्वेशन रखा है महिलाओं का और शिड्युल्ड कास्ट, शिड्युल्ड ट्राइब्स का। उसमें किन किन का कितना 2 रखा? । उसमें एक्स-सोलजर्स का भी रिजर्वेशन रखा या नहीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 400 की सीट्स रखी थी उसमें शिड्युल्ड कास्ट और महिलाओं का रिजर्वेशन रखा उसमें उस वक्त सोल्जर्स का रिजर्वेशन नहीं रखा था। आज उनका रिजर्वेशन रखने से कानूनी कॉम्पलीकेशन्स पैदा होते हैं। महिलाओं और शिड्युल्ड कास्ट का है वह रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : एक्स-सोल्जर्स का रिजर्वेशन रखने का था उसको निरस्त नहीं किया तो आदेश था तो 400 में से उस रिजर्वेशन का पालन क्यों नहीं किया और अब न करने का क्या कारण है?

(1 म. प.)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राज्य सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लिया है कि रिजर्वेशन केवल महिलाओं और हरिजनों के लिए ही रखा जाय अन्य किसी के लिए नहीं। गत वर्ष अलग अलग रिजर्वेशन रखा गया था जिसे इस वर्ष कैन्सिल कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेडिकल कॉलेजों में एक्स-सोलजर्स के रिजर्वेशन कायम है इस प्रकार की एक चिट्ठी गवर्नमैंट ने भेजी है और कहा है कि सिलेक्शन के समय देखेंगे। क्या यह सही है

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस प्रकार की कोई चिटठी लिखी हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पिछले साल मेडिकल कॉलेज की छात्र संख्या 650 थी और अब जिस तरह से छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्री-मेडिकल टैस्ट में बैठने वाले स्टूडेन्टस की संख्या देखते हुए, कम से कम जितनी सीट्स पिछले साल थी, उतनी सीट्स इस साल रखनी चाहिये थी। यह रवैया नहीं होना चाहिये कि पहले 400 तय करें, प्रेशर आयेगा तो 600 कर दियां और फिर 650 कर दिया। इससे छात्रों की शिक्षा पर असर पड़ता है और उनमें अनिश्चितता फैलती है। इसलिये स्ट्रेटअवे जितनी सीट्स पहले थी उतनी सीट्स आप रखवावें।

जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है अब रिजर्वेशन चेन्ज करेंगे तो सही तौर से उसमें लीगल कम्पलीकेशन्स होंगे। मुझे जो सूचना मिली हैं, वह यह है कि इससे आमतौर पर असन्तोष है। राजस्थान विश्वविद्यालय के क्षेत्र से जो विद्यार्थी आते थे उनकी यह शिकायत रहती थी कि जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम होने के कारण वहां के विद्यार्थियों को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। इस कारण पी. एम. टी. होना चाहिये। इस बारे में पी. एम. टी. का जो रिजल्ट है वह जानना चाहूंगा कि उसके तहत कितने पर्सेन्ट स्टूडेन्ट्स का रिजल्ट राजस्थान विश्वविद्यालय का और कितने पर्सेन्ट जोधपुर विश्वविद्यालय और कितने पर्सेन्ट उदयपुर विश्वविद्यालय का रहा और उसके मुकाबले पिछले साल में या इस साल का ही बता दीजिये, जिससे कि पी. एम. टी. की उपयोगिता के बारे में हम अपनी ओपीनियन बना सकें। इसलिये फीगर्स देंगे यूनिवर्सिटी के।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : हम तारीफ सुनते हैं। एक शक स्टूडेन्ट्स के दिमाग में है कि यहां के एक प्रोफेसर ने समरवेकेशन में फिजिक्स के न्युमरीकल्स की कोचिंग क्लासेज चलायी थी। वह पेपर उनका था और उनकी यह मंशा थी कि जो उनके स्टूडेन्ट्स थे वे उसका फायदा उठा सकें। ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस प्रोफेसर के हाथ में पेपर था न्युमरिकल्स का, कोचिंग क्लॉसेज चलाने में उनके दिमाग में यह बात थी कि उनके स्टूडेन्टस फायदा उठा सकें। अब इस का आधार आप बदलेंगे नहीं। आइन्दा भी यही प्रणाली रहेगी। इसलिए यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि कॉलेजवाइज लिस्ट हमारे पास आये कि फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. के जो स्टूडेन्ट्स पी एम. टी. में बैठे उनमें से कितनों ने इम्प्रुवमैन्ट किया और कितने ऐसे स्टूडेन्टस थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. में इम्प्रुवमेन्ट किया और

(श्री केदारनाथ)

पी. एम. टी. में बैठे ताकि हमें मालूम पड़ जाये कि इसमें इन्टेलीजैंसी की फेअरनैंस कहां तक है । कॉलेज-वाइज लिस्ट आजायें और इम्प्रूवमैन्ट केसेज की लिस्ट आ जाये कि वे कितने बैठे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय चेयरमैन महोदय, वास्तव में यह बात सही है कि जो संख्या निर्धारित हो, वह पहले से कर देनी चाहिये । इस बात से मैं सहमत हूं और पहले इसीलिए 400 की संख्या निर्धारित की थी और अब आगामी वर्ष के लिए हम यह कोशिश करेंगे कि पहले से ही इसकी संख्या निर्धारित हो चाहे वह 600 हो । मैनपॉवर प्लानिंग के साधन को देखते हुए जल्दी से जल्दी निर्धारित किये जाने का प्रयत्न करेंगे ।

दूसरी बात जो कोचिंग क्लासेज की यहां कही है, यह मेरी जानकारी में है । मैं नहीं जानता कि वह कौनसा प्रोफेसर है । यह नहीं जाना जा सकता कि यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने कोचिंग क्लासेज ली हैं, उसने पेपर निकाला है या किसी के पास कापियाँ गयी हैं । यह बात प्रीजूडिस होकर कही गयी है । इस पर भरोसा नहीं कर सकते ।

तीसरी बात यह कि किस किस यूनिवर्सिटी के कितने लड़के बैठे और उनके अलग अलग साल में जो दाखिले होते थे, वह इस वर्ष कितने रहे, इसका पर्सेन्टेज चाहा गया है । मैं समझता हूं कि इस पर स्पेसिफिक क्यूश्चन आप भेजेंगे तो फीगर्स निकाल कर आपको जवाब दे देंगे कि उनका कितना 2 पर्सेन्टेज है । मैं जहां तक सोचता हूं पर्सेन्टेज करीब करीब बराबर ही बैठता है । इसमें 10, 5 का अन्तर हो सकता है जिससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है । जहां तक प्री-मेडिकल टेस्ट का ताल्लुक है, उसके निर्णय से कम से कम मेरे दिमाग में यह बात साफ है कि यह पद्धति ठीक है जिसके बारे में सबसे कम शंका हो सकती है और इसके बारे में, इसको और इम्प्रूव करने के बारे में और कोई सुझाव होंगे तो उन पर विचार किया जायेगा, यह हम चाहेंगे । बड़ा सन्तोष इससे लोगों को है और किसी प्रकार की शिकायत लोगों को न रहे । मैरिट के आधार पर ही मेडिकल के दाखिले होने चाहियें । इस बात को मैं मानता हूं । रिजर्वेशन की सीटें रखते हैं तो हमें भी परेशानी उठानी पड़ती है । यह ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोगों के हाथ में कोई चीज न रहे और मेरिट के आधार पर ही मेडिकल के दाखिले हों और हमको भी आराम से बैठने को मिलता है । मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्यों को भी सन्तोष होगा ।

एक माननीय सदस्य : हमारे शिड्यूल कास्ट के लिये रिजर्वेशन का कितना पर्सेन्टेज रखा है इन सीटों में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो 400 सीट्स पर 21 का था उसी के अनुपात में बढ़ी हुई सीट्स पर शिड्यूल्ड कास्ट की सीट्स का रिजर्वेशन रखा जायेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे एक दो, सुझाव हैं । एक तो यह है कि अगले वर्ष राज्य सरकार 600 से कम सीटें नहीं करेगी यह एक सुझाव है और यह मानकर अब चलें । अगर राज्य सरकार किन्हीं विशेष

Page No 68

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कारणों से सीटों को कम करना चाहती है तो यह निश्चय करके करें एट-रेन्डम नहीं करे। अगर सीटें बढ़ायी जायें तो उसकी घोषणा भी परीक्षाएं समाप्त होने के पहले पहले हो जानी चाहिये ताकि लड़कों को अगले वर्ष का ध्यान रहे। उनमें यह निश्चितता रहे कि 400 या 600 सीटें हैं और उनमें हमारा नम्बर नहीं आने वाला है ताकि जिनको जाना है वे बाहर चले जायं। आप करते हैं, पर एनटाइम पर करते हैं। मेडिकल लाइन में ऐसा नहीं है जिससे कि सब को एम्पलायमैन्ट देना है। इस लिये 600 सीटों से कम करने की आगे बात नहीं हो, इस सवाल का निश्चय राज्य सरकार को कर लेना चाहिये। जिससे यह न हो कि 600 से 400 हो जाये और कुछ प्रेशर पड़े तो वापिस 600 हो जाये और फिर कुछ मांग बढ़े तो 650 हो जायें।

पी. एम. टी. के टेस्ट के लिये यह होना चाहिये कि आप उसके लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड करें। पी. एम. टी. के टैस्ट में पास हो जाय और इन्टरव्यू में यह नहीं होना चाहिये कि तुम तो इम्तीहान में बैठने के लिये इलीजिबल ही नहीं थे और उसको कैंसिल कर दिया जाय। इस बिना पर रिजेक्ट कर दें कि वह एलीजिबल नहीं था। एक दो केसेज मैं जानता हूं I do'nt know the boy परन्तु शायद उसके सिप्लीमैंटरी थी या कुछ और इंग्लिश में उसके 34 नम्बर थे या 36 थे। 36 थे तो उसको ग्रेस मिली होगी। पी. एम. टी. टैस्ट में उसके 61 पर्सेन्ट मार्क्स थे और मैरिट लिस्ट में वह 80,100 नम्बर पर था। उसके सामने यह प्रश्न था कि अब मैं कहां जाऊं।

आपने इन्टरव्यू ले लिया उसमें कह दिया कि तुम इलीजिबल ही नहीं थे, उसका फार्म तो मन्जूर कर लिया। 15 दिन तक बेचारा इसके पीछे पीछे फिरता फिरा उसका नाम लिस्ट में 80 नम्बर पर है। उसके बाद भी उसको इस बिना पर रिजेक्ट कर दिया गया। हार्डशिप लोगों को न हो, आप इस साल के एक्सपीरियन्स के आधार पर इन सारी कमियों को दूर कर सकेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा।

दूसरी माननीय केदार जी ने शिकायत की, वह कहां तक सही है मैं कह नहीं सकता लेकिन यदि यह बात है तो इस बारे में कार्यवाही करेंगे। इसके साथ साथ पी० एम० टी० के इम्तहान में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो निष्पक्षता का परिचय दिया है और जो सजगता बरती है उसके लिये विश्वविद्यालय की प्रशंसा की जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

राज्य सरकार के ध्यान में इस परीक्षा से जो कुछ भी अनुभव हुआ है, परीक्षा कण्डक्ट करने में या अन्य कोई कठिनाइयां आयी हैं तो भविष्य में उनमें सुधार किया जायगा।

इसके साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पचास परसेन्ट से कम के लड़कों को एडमिट ही नहीं करते तो मैं समझता हूं यह परसेन्टेज और ऊंचा जाता। इस बारे में आप विचार करिये पी० एम० टी० में बैठने के लिये पचास परसेन्ट से ऊपर मार्कस रखें तो जो तीन चार हजार लड़कों ने फीस दी और मेहनत की उसमें कुछ बचत हो सकती थी। मिनीमम मार्कस 45 के बजाय पचास रखने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
पर आप विचार करें। वैसे मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं और न मैं इस बारे में एक्सपर्ट ही हूं आप इस पर भी विचार कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 600 सीटें करने के बाद परसेन्टेज कहां तक चला जायगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : लिस्ट तो मैं लाया नहीं कल लाकर बता सकता हूं।

श्री केदारनाथ : बी० डी० एस० के कैन्डीडेट्स में और एम० बी० बी० एस० के केन्डीडेट्स के सिलेक्शन में कोई फर्क है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बी० डी० एस० के लिये इंग्लिश के मार्क्स जोड़े जाते हैं।

राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री एवं सभापति प्रवर समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि इसकी अवधि बढ़ा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक अवधि बढायी गई।

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1969—प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री एवं सभापति प्रवर समिति) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1969 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का असहमति पत्र सहित उपस्थापन करता हूं।

विचारार्थ विधेयक

श्री सभापति : राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, 1968।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, आयुर्वेद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होमयोपैथिक चिकित्सा विधेयक, 1968 को जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित होकर आया है, विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, जिन माननीय सदस्यों के संशोधन हैं वे उपस्थित नहीं हैं। यह बिल जो लाया गया है वह बिल मैंने जिस प्रकार का बिल रखा था उसी को थोड़ी बहुत तरमीम करके गवर्नमैन्ट द्वारा पेश किया जा रहा है। मैं सरकार से यह जानकारी चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई संशोधन रखा जायगा क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जिस प्रकार से प्रवर समिति से प्रतिवेदित आया है वही सदन के सामने है सरकार द्वारा कोई संशोधन नहीं रखा जा रहा है।

श्री सभापति : श्री रामकिशन (अनुपस्थित)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय क्योंकि इसमें कोई संशोधन है नहीं।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : जिन्होंने संशोधन दिये हैं, वे अनुपस्थित हैं क्या हमें आप बोलने का मौका नहीं देंगे ? कोई संशोधन नहीं भी आया है तो भी हमें बोलने का अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारे सदस्य श्री गंगासहाय प्रवर समिति के सदस्य थे इसलिये वे बोल नहीं सकते और मेरा तो ओरीजनल बिल ही था। ऐसी हालत में श्री शास्त्री जी को बोलने दिया जाय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह ऐसा बिल है इस पर अभी तक कोई संशोधन नहीं है। जनहित में होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता मिलनी चाहिये इससे कोई इन्कार नहीं करता। अगर अब भी कोई अच्छा संशोधन आय तो मैं मानने के लिये तैयार हूं।

श्री सभापति : कोई संशोधन है नहीं आप तृतीय वाचन पर बोल सकते हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : सभापति महोदय, होमियोपैथिक बिल जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है इसमें जो तीन वर्ष की अवधि है उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। तीन वर्ष की अवधि है आज जो तीन वर्ष से प्रेक्टिस करते आये हैं, मैं देखता हूं बड़े बड़े नगरों में विशेष कर ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं वे लोग जेब में दवाइयां लेकर के साइड बिजीनेस की तौर पर इस काम को करते हैं, अपना कर्त्तव्य समझ कर भी काम करते हैं। इसमें जो बॉयोकेमिक है उसके बारे में मैंने डाक्टरों से बराबर डिस्कस किया है 12 दवाइयों का बॉक्स है इसमें बॉयोकेमिक प्रयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है 133 नम्बर तक दवाइयां हैं।

बायोकेमिक और होमियोपैथिक का रजिस्ट्रेशन एक ही व्यक्ति को दिया जाय तो उससे यह होगा कि घर-घर में जो इस होमियोपैथिक मैडिसिन का प्रयोग होता है उसमें यदि किसी को हाई पावर की डोज भी दे दी जाय तो इस होमियोपैथिक में यह विशेषता है कि हाई पावर का दिया हुआ मेडिसिन शुरू में जो एटम बम्ब की तरह से काम कर सकता है वहां अधिक मात्रा में दिये जाने पर भी हानि नहीं करता वह हाईपोटेन्सी मोशन में जाकर खत्म हो जाती है। तीन साल की अवधि जो बॉयोकेमिक और होमियोपैथिक के रजिस्ट्रेशन के लिए रखी है उसमें यह होगा कि एक मामूली डॉक्टर भी लाभ उठायेगा। मैंने ऐसे बहुत से एलोपैथिक के डॉक्टर्स को देखा है जो साइड में होमियोपैथिक का बिजीनेस

Page No 71

(श्री भगवानदास शास्त्री)

करते हैं। उसमें उसकी कमाई की भावना अधिक है, वह देखता है यह दवाई होमियोपैथी की ज्यादा सकसैसफुल होती है इसलिए उसको प्रयोग में लिया जाय। इस प्रकार से साइड बिजीनेस करने वालों को बी क्लास का सर्टिफिकेट देना उपयुक्त होगा। वह या तो एम० बी० बी० एस० के साथ अपने होमियोपैथ को भी डिग्री लिखेगा। अगर वह न लिखकर होमियोपैथिक से लाभ उठाये तो यह एक प्रकार से धोखा है।

सिलेक्ट कमेटी द्वारा जो तीन वर्ष की अवधि रखी है वह बिल्कुल थोड़ी है। तीन के बजाय पांच कर दी जाय। पांच वर्ष तक जिसने प्रैक्टिस की है वही प्रमाण-पत्र का अधिकारी हो सकता है।

'ए' क्लास में वही माना जाना चाहिये जो फुलडे यही काम करता है उसको 'ए' क्लास में माना जाना चाहिए। और जो बॉयोकैमिक हैं उनको 'बी' क्लास में रजिस्टर किया जाय।

50) रु० की फीस होमियोपैथिक के लिए अधिक है। ऐलोपैथिक की दवाइए चाहे आप इन्जेक्शन लगावें, चाहे नाना प्रकार की ताकत और शक्ति को प्रदान करने वाली दवाइयां लीजिए बहुत मँहगी पड़ती हैं उसके मुकाबले में होमियोपैथिक की दवाइयां सस्ती हैं। एक पैसे की दवाई से बीमार ठीक हो सकता है। एलोपैथिक में 100)रु० की दवाई से बीमार ठीक होते तो हैं पर उन दवाइयों का रिएक्शन होता है और उससे नुकसान भी होता है। ज्यादा करके कैपसूल, पेनिसिलिन दिल के लिए घातक हैं।

होमियोपैथिक के बारे में जो यह प्रतिवेदन दिया है उससे मैं पूर्ण सहमत हूं। इसके साथ-साथ जो स्टेजेज हैं ए., बी., सी. डी. उनके बारे में निवेदन करूंगा। एक गलत व्यक्ति होमियोपैथी में गलत दवा दे दे तो भी उससे बीमार मर नहीं सकता। पाश्चात्य देशों में इसमें काफी रिसर्च किया है। वे कहते हैं कि एक दवाई पानी के ग्लास में डालकर दो ग्लास बनाकर पी ले और दो ग्लास पानी और डाल कर लेजें तो स्वाद एक सरीखा होगा। इससे प्रतीत होता है कि रोगों के लिए यह एटम बम है। भारत गरीब लोगों का मुल्क है। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता भी दयनीय दशा में हैं उनके लिए होमियोपैथिक दवाइयां बहुत जरूरी हैं, लाभप्रद हैं। उनको प्रयोग में लाने के अधिकारी, विशेष करके जो रजिस्ट्रेशन में आवेंगे उन पर रजिस्ट्रेशन फी 25) लगा दिया जाना भारी है। इसकी दवाइयां सस्ती हैं, फायदा करने वाली हैं मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग इसमें आते हैं। हो सकता है एलोपैथिक वाले नाराज हों, हो सकता है एलोपैथिक वाले सस्ती दवाइएं प्रयोग करके बडा पैसा लेते हों। पर जहां तक होमियोपैथिक दवाइयों और डॉक्टरों का सवाल है, मैंने इनके डॉक्टरों की एक मीटिंग बुलाई थी। उनको मैंने शान्त वातावरण में सब कुछ पूछा। यह भी पूछा कि आपकी होमियोपैथी आगे क्यों नहीं बढ़ी तो हमारी राज्य सरकार पर, राजस्थान सरकार पर उन्होंने यह ब्लेम लगाया कि यह सब जो कुछ हुआ है राजस्थान सरकार समय पर हमें सहयोग नहीं दे सकी इस कारण हुआ है। मैं समझता हूं कि कुछ दोष राजस्थान सरकार का भी होगा। होमियोपैथिक का प्रयोग करने वाला व्यक्ति दवाइयों को जानने वाला व्यक्ति विशेष करके जो बॉयोकैमिक को

(श्री भगवानदास शास्त्री)

ज्यादा जानता है वह उसको दुबारा प्रयोग में लाता है। बॉयोकैमिक वाले को सैकण्ड क्लास में या 'बी' श्रेणी में लाना चाहिये

आगे जितनी होमियोपैथिक की किताबें हैं, जहां तक हम समझ पाये हैं उनका पूरा प्रकाशन नहीं है। थोड़े समय तक पढ़कर भी कोई इसका डॉक्टर बन सकता है। हर तरह का इलाज इसमें है जो कम समय में हो सकता है पर कोई ऑपरेशन्स का मरीज है, कैंसर है, कण्ठमाला है, जीभ का कैंसर है यहां तक कहा कि मस्से तक की दवाइयां हैं जिनके प्रयोग में समय लगता है। जो 45 वर्ष के ऊपर के हैं उन पर असर थोड़ा देर से होता है, पर जो बच्चे हैं उन पर 24 घण्टे से लेकर 2 घण्टे के अन्दर जादू का असर ये दवाइयां करती हैं। तो होमियोपैथिक एलोपैथिक से अधिक जल्दी फायदा करती है। इसका जानवरों पर भी प्रयोग किया गया है। पाश्चात्य डॉक्टरों के सर्टीफिकेट हैं।

तो सभापति महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि होमियोपैथी के बोर्ड के बारे में जो आपने सोचा है जैसे आयुर्वेदिक का बोर्ड है वैसे ही तिब्बी को सम्भालते हैं इसी वजह से बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की है। इसमें लिखा है 3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। अगर कम हो तो वह कार्यवाही नहीं की जावे। मेरा सुझाव है कि आजकल के वातावरण में तीन के बजाय 50 परसेन्ट रख देनी चाहिये। समिति की सभा होगी उसमें जन साधारण के प्रवेश की छूट दी गई है। आज जैसे समिति की कार्यवाही में सर्व साधारण जनता को आह्वान किया है एक दिन उसके लिये मुकरर्र कर सकते हैं। इसके लिये साल में एक दिन निश्चित कर सकते हैं। पर हर समिति में जनता की उपस्थिति होना ठीक नहीं होगा। जनता में कई तरह के लोग होते हैं, कोई व्यक्ति कहीं से कुछ बोलेगा कोई कैसे ही बैठेगा, समिति में बैठने का तरीका नहीं जानता होगा तो उससे समिति की कार्यवाही में बाधा अधिक होगी, काम कम होगा। इसलिये मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चहाता हूं कि जनता को हर मीटिंग में अलाऊ नहीं किया जाय। हां, अगर इस विषय के प्रवीण लोग हों, पण्डित लोग हों, विद्वान हों अजमेर में हों, जोधपुर में हों कहीं हों, उनको विशेष आमन्त्रित करके उनको बुला सकते हैं। उनसे राय ले सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं।

और सभापति महोदय, यह जो होमियोपैथिक का बिल है इसमें एक अवधि 6 मास की दी है। सम्पूर्ण राजस्थान में गांव में रहने वाला डाक्टर साइड बिजनेस करने वाला डॉक्टर, कर्मचारी महकमे में काम करने वाला भी, जहां तक मैंने पुस्तक में पढ़ा है बच्चों के होस्टल में भी सीरियस केस हुए थे तो एक बच्चे ने होमियोपैथी की दवा देकर दूसरे की जान बचायी है। ऐसे होमियोपैथी के डॉक्टर एक से 33 नम्बर तक की दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। पर कठिन कानून बनावें कि जो रजिस्टर्ड हैं चाहे बॉयोकैमिक के हों चाहे होमियोपैथिक के हों, कोई भी हों रजिस्टर्ड

(श्री भगवानदास शास्त्री)

के सिवाय सर्व साधारण दवाई नहीं दे सकता, तो इसके बारे में मैंने पहले स्पष्ट किया है उनको अवसर नहीं मिलता है तो हितकारी दवाइयों को प्रयोग में लाने से उनको नहीं रोकेंगे। होमियोपैथी की दवाइयां मीठी होती हैं। पाउडर भी मीठा होता है। बच्चे भी सरलता से उसे खा सकते हैं विशेष कर गांवों में और शहरों में गरीब बच्चे और दूसरे बच्चे भी इन्जेक्शन एलोपैथी के लगाने से घबराते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको इन्जेक्शन से दूर रखना चाहिये। इससे बच्चों के हार्ट पर असर होता है। बहुत से बच्चे इन्जेक्शन से ऐसे डरते हैं जैसे भूत आया हो। जितना फायदा बीमारी में होगा, उससे अधिक नुकसान उसके हार्ट पर हो जावेगा।

सभापति महोदय, शल्य चिकित्सा के केसों में भी होमियोपैथी काफी फायदा पहुंचाती है। पाश्चात्य देशों के उच्चकोटि के इसके विद्वान डॉक्टर हैं और इलाहाबाद के रिटायर्ड जज हैं जिन्होंने सर्टीफिकेट दिये हैं। जो एलोपैथी में असाध्य रोग हैं, उन पर इन्स्ट्रूमेन्ट औजार काम नहीं कर सकते और कोई दवा काम नहीं कर सकती। उस पर होमियोपैथी ने अपना असर बताया है कभी अण्डकोष में बीमारी होती है। बच्चों की आदत है कि कूदकर साइकल पर बैठते हैं। डॉक्टर उस बिमारी को हार्निया कहते हैं उसको तीन दिन में ठीक कर दिया है होमियोपैथी ने।

मैंने होमियोपैथी के डॉक्टरों से जानकारी ली है। प्रवर समिति ने जितने कुछ नियम लिये हैं उनमें विशेषतया थोड़े रूल्स रेगुलेशन्स के सब-क्लाज में थोड़ा चेन्ज होना चाहिये। उनको देखने का मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ काश मैं प्रवर समिति की कार्यवाही देख सकता। परन्तु आपको विशेष कर प्रवर समिति को एक दिन निश्चित करके होमियोपैथी के जितने डॉक्टर्स हैं, होमियोपैथी के जितने प्रेक्टिशनर्स है उन सबको बुलाकर उनकी अलग अलग राय लेनी चाहिये थी अगर आपसे राय नहीं पूछी गई तो इसमें आपका दोष नहीं है। आप प्रवर समिति के सभापति के रूप में थे। सभापति महोदय, आज इस होमियोपैथिक की आवश्यकता जितनी भारत में है उससे ज्यादा राजस्थान जैसे गरीब प्रान्त में है। आप सोच लीजिये इन्जेक्शन जिसमें बहुत अन्ध विश्वास है कि जल्दी फायदा दे देता वहां भी इन्जेक्शन है विटामिन की दवा है एक दिन देने के बाद 40 दिन तक दवा न लें। इसमें न कर्मचारी को कार्यालय से छुट्टी लेने की आवश्यकता है और न उसे घर पर सोने की आवश्यकता है। इस दवा के प्रयोग में यह जादू है और आॅटमिक शक्ति है विशेष कर अपने को जैसे खाद देते हैं खेती के लिये वैसे ही होमियोपैथी की एक एक दवा केलशियम से भरी हुई है। उस केलशियम को आज दिन तक स्वतन्त्र भारत में हम 22 वर्ष तक किक मार कर आगे फेंकते रहे। सभापति महोदय, इस बिल को पास करने का अवसर प्राप्त हुआ है और जो इसमें विवाद करने का मौका मिला है उसके बारे में मैंने अपनी सम्पूर्ण विचारधारा आपके समक्ष रखी है। बैठक के बाद 3 वर्ष के लिये कहा और 25 रुपये की कही इसके साथ साथ एक सर्टीफिकेट आवश्यक है और इसके बाद आज से लेकर कोई विद्यार्थी या कोई डॉक्टर नई प्रेक्टिस करना चाहे तो उसको सीनियर के अन्दर में

(श्री भगवानदास शास्त्री)

रहना चाहिये। जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, घर की ट्रेनिंग नहीं, दुनिया की ट्रेनिंग लेनी है। इसलिये आयुर्वेद की जगह अगर कोई शीघ्रातिशीघ्र होमियोपैथी में योग्यता प्राप्त करले तो उसकी तुलना करने में बाध्य नहीं हूं। आयुर्वेद में नाना प्रकार की कीमती दवाइयां है— स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, शंख भस्म और बहुत सी औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, लोग धोखा देकर कहते हैं यह मोती भस्म है और नकली दवा दे देकर लोगों का गला काटते हैं। लोग करोड़पति बन गये हैं। सभापति महोदय, आज उन सब लोगों की परिस्थिति को देखते हुये आज एक बीमार मामूली सी बिमारी की वजह से अपनी बीबी और बच्चों को उस स्वर्ण भस्म के लिये गिरवी रख देता है। मरने के बाद उसका करज चुकाना पड़ता है इसलिये मेरा मतलब आयुर्वेद की कोई खिलाफत करना नहीं है। इस मंहगी औषधि में जहां एक हजार रुपए की आवश्यकता है वहां चार आने में कोई व्यक्ति होमियोपैथिक दवा ले सकता है। आज हमारे पास होमियोपैथिक के रूप अटट धन है, आज हमारे पास बहुमूल्य रत्न है। इस होम्योपैथिक में एक लाख के पावर की मेडिशन यूज करने से स्वर्ण भस्म की शक्ति मनुष्य में आती है। आज इसका कारण क्या है? आज विशेष कर परिवार नियोजन पर जो करोड़ों रुपया बरबाद होता है वह क्या है औरतों की कमजोरी है। अगर पत्नी धार्मिक व्यवहार से और घर में मेहनत करके उनको विटामिन शक्ति प्राप्त होती है तो उसमें कैलशियम ज्यादा है, वह बहादुर है और ज्यादा मजबूत है और हमारा इतिहास बताता है कि जो औरत जितनी ज्यादा मजबूत होगी उसके उतने ही कम सन्तान होती है। डॉक्टर ने प्रयोग करके देखा है। परिवार नियोजन उसका कारण है। आज कमजोरी का कारण क्या है। स्त्रियों का कमजोर होना, कई बैलों का कमजोर होना और मालूम है बैल कमजोर होगा तो उसकी मिस्सी करते हैं। शक्तिवान के आगे कोई साहस नहीं कर सकता तो सभापति महोदय इस होमियोपैथिक बिल से जो कुछ प्रेरणा मिली है मैं बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं वैसे तो मैं पहले खुद ही एलोपैथिक का पुजारी था, व्यक्ति मरने से बच जाता है लेकिन अब इन डॉक्टरों की मीटिंग के बाद छुरी कांटे की जरूरत नहीं है। किसी को दवा सुंघा कर नशा दिलाकर सुला देते हैं उसको तो कुछ होश नहीं रहता है और फिर इन्जेक्शन लगाते हैं पैथेडिन के और मारफिया के : मैंने देखा है जहां तक जनरल हास्पिटल का सवाल है वहां प्लास्टर खुद को लाना पड़ता है और खेद के साथ कहना पड़ता है कि कभी कभी तो उस मरीज को रूई तक भी बाहर से लानी पड़ती है। जब जनरल हास्पिटल अजमेर मेटीरियल प्रदान नहीं कर सकता या जो मैटीरियल प्रदान किया जाता है उसको कम्पाउंडर या नर्स ब्लेक मार्केट में जाकर मेडीकल स्टोर्स को बेच देते हैं, तो जो सुविधा उस बीमार को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। राजस्थान के रहने वाले व्यक्ति को छुरी और कांटे का जहर दिया जाता है। छींक की, जुखाम की जितनी बीमारी है या जितने भी मस्तिष्क के रोग हैं और विशेष कर जो नसे की चीजों का प्रयोग होता है उसका कारण होता है कि वह अधिक बिमारी में पड़ता जाता है।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

जहां तक सभापति महोदय, होमियोपैथिक, ऐलोपैथिक का क्वेश्चन है ठीक है डॉक्टर है एम० बी० बी० एस० हैं। दवा दे देते हैं एम० बी० बी० एस० लेकिन दवा करने के बाद उन्हें प्रयोग के लिये जनरल हॉस्पिटल में रखा जाता है। आज यह दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, नौजवान लड़के, रोज पढ़ने में आता है हॉस्पिटल में क्या करते हैं ? अगर मानो कोई लेडी बीमार है या कोई क्वारी कन्या है तो वह क्या सबक लेकर जायगी, इस राज्य के लिये और राजस्थान के लिये यह बहुत दुर्भाग्य का समय है। सभापति महोदय मैंने चैक किया है। स्त्रियों के लिये जो जनाना हॉस्पिटल में नौजवान डा० जाते हैं उनसे स्त्रियों की तो कोई रक्षा नहीं हो सकती है नर्सों की कोई रक्षा नहीं है। ऐसे केसेज हुये हैं यहां हरिजन भाई बैठे होंगे, मुझे माफ करें उनके नौजवान लड़के काम करते हैं कभी कभी उनके द्वारा नर्सों का सतीत्व बचाने की रक्षा नहीं होती है। हमें आवश्यकता है वहां लेडी डॉक्टरों की। मैं सबके लिये नहीं कहता कुछ व्यक्ति विशेष हो सकते हैं। सभापति महोदय, इन सब परिस्थितियों को देखते हुये हमें बैड्स बढ़ाने पड़ते हैं। 100 की जगह 150 करने पड़ते हैं 400 की जगह 500 करने पड़ते हैं। विधान सभा के हम सदस्य जो हैं वे ही बढ़ाना चाहते हैं। आप विश्वास रखिये जितनी दवाइयां ज्यादा होंगी उतने ही रोग ज्यादा पैदा होंगे।

एक एम० बी० बी० एस० डॉक्टर को यह पता नहीं रोग कहां से पैदा हुआ है। उसको आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से जानता है। यह मेरी आयुर्वेद के लिये प्रशंसा है। आयुर्वेद उस बीमारी की नींव को देखता है और नाड़ी को पकड़ कर उसका इलाज करता है। होमियोपैथिक भी इसी तरह तीन पीढ़ियों की पूरी डिटेल मांगता है आपके माताजी को कभी कोई बिमारी हुई हो। आपके पिताजी को भी कोई बीमारी हुई हो, आपके नाना के कौनसा रोग है। यह जो खून मिश्रित होता जा रहा है उसको अच्छी तरह से परख लेते हैं। पूरी चैकिंग करने के बाद दवा देते हैं। उनका किसी प्रकार का परीक्षण नहीं होता है, परीक्षण तो फिर भी ऐलोपैथिक से ही होता है। मैं ऐलोपैथिक की इस बारे में प्रशंसा करता हूं। उनके पास अच्छे साधन हैं परीक्षण के। होमियोपैथिक हो और चाहे ऐलोपैथिक हो, बुखार को नापने के लिये थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार की ऐलोपैथिक में कई प्रकार की मशीनें हैं जो रोग के निदान में सहायक होती हैं। मशीनों के द्वारा हार्ट वगैरह की अच्छी जांच हो जाती है ऐसे ही लंग्स की भी जांच करते हैं लेकिन यह शर्म की बात है। होमियोपैथिक तो सारे कारणों को ढूंढकर रोग का निदान कर सकता है। एक विशेषता और है सभापति महोदय जो अभी प्रतिवेदन प्रवर समिति ने प्रस्तुत किया है उसमें जितनी धारायें हैं— मैं मानता हूं कि कमी बेशी हर काम में होती है लेकिन उनको सुधारना भी सरकार का कर्त्तव्य होता है। तो सभापति महोदय, मैं अधिक नहीं कह कर यह जो होमियोपैथी का बिल है, जो आज दो वर्षों से लटकता हुआ आ रहा है मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने संशोधन के रूप में जैसे रजिस्ट्रेशन की फीस को कम करने के बारे में और और भी बातें हो सकती हैं उन पर ध्यान दिया जावे। सब

(श्री भगवानदास शास्त्री)

रूल्स बनाने के बाद ही हर व्यक्ति को बाध्य किया जाये। एलोपैथी में कितने लोग पी. एम. टी. के लिए तड़पते हैं कि हम पास हो जायें और एडमीशन मिल जाय और उनके माता पिता करोड़ों रुपया बरबाद करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर होकर कमाई करेगा। लेकिन आज तो वह ऐसा इलाज करते हैं कि दवा अन्दर और दम बाहर। ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं कि घर घर में डॉक्टर हों, पड़ोस पड़ोस में डॉक्टर हों। उच्च कोटि का आपने महकमा बनाया चाहे उनके डाईरेक्टर हों, मैनेजर हों या अध्यक्ष हों, या उपाध्यक्ष हों समिति के, एक निष्कपट सेवक हैं और सच्ची सेवा करना चाहता है तो उसको करने देनी चाहिए। राजनैतिक दल में रहने वाले व्यक्ति एक दिन गीत गायेंगे और दूसरे दिन निन्दा भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बिल को थोड़े संशोधनों के द्वारा पास कराया जाये, ऐसी मेरी मान्यता है और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान होमियोपैथिक मेडीशन्स बिल पर जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिए अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं कोई होमियोपैथी का डॉक्टर नहीं हूं। मेरी होमियोपैथी में अभिरुचि इस प्रकार हुई कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ा हुआ था और मैं बहुत ही कमजोर था और मैंने होमियोपैथी डॉक्टर से कन्सल्टेशन किया और उनके कन्सल्टेशन से मुझे जो उन्होंने दवाई दी उसके कारण मेरे स्वास्थ्य में बड़ा ही सुधार हुआ और मेरा स्वास्थ्य बहुत ही सुधरा। उसके बाद में मैंने कुछ साधारण सा अध्ययन किया और बाड़मेर में होमियोपैथी डिस्पेन्सरी खोली- मैं भारत सेवक समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैंने कोशिश की कि वहां पर होमियोपैथी की डिस्पेन्सरी खोली जाये और गांव और नगर के लोगों को फ्री मेडिशिन्स दी जाये और मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कार्य मेरा सफल हुआ। आज बाड़मेर नगर में भी इस होमियोपैथिक डिस्पेन्सरी में 200 से अधिक पेशेन्ट्स आते हैं और वह बहुत ही आराम पाते हैं और यह बहुत ही सस्ता इलाज है। सबसे ज्यादा जो आकर्षण की चीज थी मेरे जीवन की वह मैंने बताई और आज हम देख रहे हैं कि उसका प्रयोग जो डॉक्टर कर रहे हैं और उसका लाभ हो रहा है विशेष तौर पर मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चों का इलाज बहुत ही आसानी से हो जाता है और जो दवाई हैं वे ऐसी हैं कि बच्चे और बड़े, बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़ी मीठी होती है और उनको अच्छा लाभ होता है। यह जो मेडिशिन्स में अन्वेषण किया वह डॉक्टर हैनीमन हैं और डॉक्टर हैनीमन पहले एलोपैथी के डॉक्टर थे और उन्होंने एलोपैथी में बहुत ज्यादा खराबियां देखीं और खराबियां हैं भी। एक तो मंहगी हैं और साथ में यह खराबी है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कोई कोई रोगी ऐसा एलोपैथी का शिकार हो जाता है कि जीवन भर वह रोगी ही रहता है और उसका किसी भी तरीके से इलाज नहीं होता है। एक रोग मिटा तो दूसरा रोग हो जाता है, और दूसरा रोग मिटा तो तीसरा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

होजाता है; और तीसरा रोग मिटा तो चौथा रोग हो जाता है और वह किसी न किसी प्रकार डॉक्टरों के चुंगल में फंस जाता है और उसका स्वास्थ्य किसी भी रूप में अच्छा नहीं हो पाता है। तो मैं यह विशेष तौर से राय देना चाहता हूं कि यह जो होम्योपैथी की मेडिशन्स हैं वह मेडिशन्स अगर डॉक्टर उस व्यक्ति की जो बिमार है उसकी पूरी हिस्ट्री, उसके पिता की हिस्ट्री और तीन-चार पीढ़ियों तक की हिस्ट्री जान ले और उसकी मानसिक प्रकृति की भी पूरी जानकारी कर लें—यह नहीं कि एक रोग मलेरिया का हुआ तो उसके बारे में ही जानकारी करे बल्कि सारा इतिहास, उसको मानसिक प्रक्रिया का भी और सारे शारीरिक रोग जो पहले हो चुके हैं, जो उसके पिता को रोग हो चुके हैं उसके दादा को रोग हो चुके हैं उनकी जानकारी प्राप्त करके अच्छी तरह से अध्ययन करे और दवाई को मालूम करे तो वह अच्छा इलाज कर सकता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं और हुए हैं।

अभी हम देखते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स द्वारा चलाये जाने वाले हास्पिटल्स को देखते हैं उन पर इतना खर्चा हो रहा हैं, करोड़ों रुपयों का खर्चा हो रहा है परन्तु कोई भी गरीब व्यक्ति को वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल सकता। वहां पर कोई भी जाता है तो उसको कोई भी मेडीशन हो बाजार से खरीदनी पड़ती है। कभी भी फ्री मेडीशन्स उनको मिलती नहीं हैं। बहुत ही कम परिस्थितियों में उनको मेडीशन फ्री मिलती है। यह होमियोपैथिक मेडीशन्स सस्ती हैं और इसका अगर प्रचार हो जाये और इस प्रकार के हॉस्पिटल्स खुल जायें गवर्नमन्ट उनको प्रोत्साहन दे तो इससे बहुत अच्छे तरीके से गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज हो सकता है और उसमें खर्चा भी बहुत कम होगा। मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमैन्ट इसको प्रोत्साहन दे। गवर्नमैन्ट ने बिल रखा है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि इस बिल में जो कुछ खामियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करें। सिलेक्ट कमेटी ने भी कुछ सजेशन्स दिये हैं। मैं समझता हूं कि जो लाइसेन्स फी के 50 रुपये रखे गये हैं वह बहुत ही ज्यादा हैं। जब कि इस प्रकार की चीप मेडीशन्स का हम प्रचार करने जा रहे हैं, हमारा देश गरीब है और उसके लिए यह उपयुक्त साधन है तो हम डॉक्टरों से क्यों लाइसेन्स फी लें और उसको 50 रुपये के बजाय 25 रुपया कर दें तो उपयुक्त होगा।

दूसरा मैंने विशेष तौर से यह देखा है कि यह जो बोर्ड बनेगा उसकी हर मीटिंग में पब्लिक उपस्थित हो सकती है यह अच्छा नहीं है। हां, वार्षिक उसका कार्यक्रम हो तो उसके अन्दर सभी लोग, चाहे पब्लिक का ही कोई हो, भाग ले सकते हैं और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हर मीटिंग में उपस्थित होना जैसा कि शास्त्री जी ने अपने विचार रखें मैं भी उसका समर्थन करता हूं और यह जो मेडीशन हैं इसके लिए जांच करने का जो बेसिस है उसके बारे में मैं थोड़ा सा सूक्ष्म में बतलाना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य अच्छा है अगर उसको मेडीशन दी जावे, उसमें मलेरिया का रोग डवलप हुआ तो वह उसके लिए

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उपयुक्त दवाई है और डॉक्टर हनीमैन ने एग्जामिन करके हैल्दी मनुष्यों पर एप्लाई करके देखा है-यह कोई जानवरों पर एप्लाई करके नहीं देखा है बल्कि हैल्दी मनुष्यों पर एप्लाई करके देखा है और उन्होंने निर्णय लिया है। इसलिए अगर हम वास्तव में रोग का इलाज करना चाहते हैं, तो यह नेचरक्योर के बाद में, प्राकृतिक चिकित्सा के बाद में यह दूसरे नम्बर पर होमियोपैथी की मेडीशन्स आती हैं। इसलिए गवर्नमेन्ट से मेरा निवेदन है कि इसको प्रोत्साहन देना चाहिए और जो डिस्पेन्सरी खोली गई हैं एलोपैथी की उनकी संख्या कम करके होमियोपैथी की डिस्पेन्सरीज की संख्या में विशेष तौर से वृद्धि करनी चाहिए और इसको महत्व देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मुकुटबिहारीलाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सभापति महोदय, इस वक्त होमियोपैथी का बिल हमारे सामने विचाराधीन है। सभापति महोदय, मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर इस पद्धति के बारे में विशेष रूप से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ जहां पर हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वहां एक ऐसी दवाई को, एक ऐसी प्रणाली को जिसको हम वैज्ञानिक प्रणाली कह सकते हैं, एक रामबाण औषधि कह सकते हैं; उसके बारे में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि दो प्रणालियों को संरक्षण देने के लिए यह बिल हमारे सामने विचाराधीन हैं। डॉक्टर सेमुअल हनीमैन जिन्होंने इस चिकित्सा प्रणाली का अविष्कार किया। वे मामूली घराने में पैदा हुए थे। मैं उनके बारे में ज्यादा लम्बाई चौड़ाई में नहीं जाना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरह का त्याग किया किस तरह से प्रयोग किया, लेकिन जो उनकी चिकित्सा प्रणाली का मूल आधार है वह वही है कि एक प्रकार के विष शरीर में जिस प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं उस रोग में यदि वही विष सूक्ष्म मात्रा में दिया जाय तो वह उसको दवाई बन जाती है। उन्होंने देखा कि सिनकोना वगैरह के लेने से एक तरह का ज्वर पैदा हो जाया करता है। अगर कहीं ज्वर किसी को पैदा हो गया हो तो यह मानना चाहिये कि इस प्रकार का विष उसके शरीर में पैदा हो गया है तो सिनकोना की अल्पमात्रा एडमिनिस्टर कराई जाय, अगर उसको दी जाय तो निश्चित तौर से वह इसका समाधान कर देगा। इसका मतलब शुद्ध भाषा में यह हुआ कि जहर जहर को मारता है, जिसे अपनी लौकिक भाषा में कहते हैं कि जहर को जहर मारता है। इसी सिद्धान्त पर डाक्टर हनीमैन ने यह चिकित्सा प्रणाली प्रचलित की है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त डॉक्टर हनीमैन ने इस प्रकार का अविष्कार किया तो इसके कारण जर्मनी से उनको निकाल दिया गया। इन्होंने फ्रान्स में शरण ली। फ्रान्स में उन पर मुकद्दमा चलाया गया और मुकद्दमा चलाने के लिए सेशन्स कोर्ट में उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ा। उन पर चार्ज यह था कि उन्होंने प्रचलित प्रणाली के खिलाफ एक ऐसी प्रणाली चलाई है जिससे जनता का अहित

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

होगा। जिस तरह से आज हमारे यहां ड्रग्स एक्ट वगैरह हैं इसी तरह से उस वक्त में फ्रान्स में ड्रग्स एक्ट वगैरह थे उन ड्रग्स एक्ट के अन्दर उनका चालान किया गया। उनको कठघरे में खड़ा किया गया। सौभाग्य से उस समय एक चमत्कार हुआ या क्या जाने क्या बात हुई कि जज महोदय के पेट में एक्यूट पेन हो गया और वे दर्द के मारे कराहने लगे। डॉक्टर साहब ने कठघरे में से ही पूछा कि क्या आपको इस तरह का पेन हो रहा है और अपनी जेब से एक औषधि निकाल कर जज साहब को सूक्ष्म मात्रा में दी और कहा कि यदि आप चाहें तो इसको खा सकते हैं उन्होंने उसको खाली और वे बिल्कुल स्वस्थ हो गये। तो जज महोदय ने अपने फ़ैसले में यह बात कही कि जिस मुलजिम को ट्राई करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, जिसको सज़ा देने के लिए या निर्दोष करार देने के लिये मेरे सामने कई गवाहियां हैं और जो मेरे सामने प्रेक्टिकल चीज है उसको कैसे लिया जाय।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दो तरह की प्रणालियां हैं। आज दोनों तरह की प्रणालियां हैं उनमें से एक सिम्पटेमेटिक यानी लक्षण को देखते हुए दवाई देने की प्रणाली भी है ज्यादातर सिम्पटेमेटिक प्रणाली चल रही है। रोगी से पूछते हैं कि क्या है। वह कहता है कि सिर में दर्द है तो उसको एक दवाई दे दी कि एनासिन ले लो या ए. पी. सी. ले लो या दूसरी दवाई ले लो, लेकिन सिर दर्द का कारण क्या है इसको नहीं देखते हैं। सिर का दर्द पेट की खराबी की वजह से है या किस वजह से। सिर का दर्द दूर हो गया लेकिन पेट की खराबी रह गई। जब पेट में एक्यूटी पेन शुरु हो गया तो उन्होंने कहा कि मोरफिया के इन्जेक्शन ले लो। सिम्पटम्स के बेसिस पर जो प्रणाली चली वह कोई कारगर प्रणाली नहीं हो सकती है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करूं कि कायदे से सिम्पटेमैटिक प्रणाली में भी यह चीज है, लेकिन कई बार हमारे डॉक्टर लोगों को इतनी फुरसत नहीं कि पूरी तरह से डायगनोसिस पूरा करें। यह बात नहीं है कि परीक्षण की सुविधा उनके पास में उपलब्ध नहीं है। बड़े कीमती परीक्षण के साधन उनके पास हैं। हर प्रकार के टेस्ट प्रेस्क्राईब्ड हैं, परन्तु उनके पास टाइम नहीं है और वे सिम्पटम्स को देखकर ही दवा दे देते हैं। सिम्पटम्स को देख कर दवा देने की जो चिकित्सा पद्धति है, उसके मुकाबले यदि कोई और प्रणाली है कारगार तो होमियोपैथी ऐसी प्रणाली है जो निश्चित तौर के रामबाण का काम देती है।

जहां तक आयुर्वेद का सवाल है उसके अन्दर भी संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि आठ तरह से-नाड़ी को देखकर, मूत्र को देखकर उसकी परीक्षा करके, मल की परीक्षा करके, अंगों को देखकर, स्पर्श करके— परीक्षा करके औषधि देनी चाहिए जब इसकी जांच करली डाइगनोसिस कर लिया पूरे तरीके से तब क्या किया जाय, उसके बारे में भी कहा है श्लोक में जिसका अर्थ यह है कि रोगी का शरीर कमज़ोर है, या गरमी का मौसम है या सरदी का मौसम है उसको अच्छी तरह से देखना चाहिये देशं च कालं च यो जानाति स वैद्यराजः। परन्तु यहां एलोपैथिक में क्या हो रहा है कि किसी ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो लगा दो इन्जेक्शन। इन्जेक्शन से दूसरा उपद्रव खड़ा होगा तो दूसरा इन्जेक्शन घुसेड़ दिया। यह चिकित्सा

Page No 80

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

की घुड़दौड़ चल रही है उसमें। मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है वह हमारे यहां की जो मूल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है उसको सही तरीके से फलीभूत नहीं होने दे रही है। ठीक इसी तरह से होमियोपैथी का सवाल है। उसको भी इस देश में विकसित नहीं होने दिया जा रहा है।

इसी तरह से बायोकेमिक चिकित्सा पद्धति का सवाल है। डॉक्टर शुसलर के जो सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों की हमारे आयुर्वेद के सिद्धान्तों से तुलना होती है। उनके जो सिद्धान्त हैं उनको एक मिनिट में आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने शरीर के तमाम हिस्से को जलाकर देखा तो उन्होंने पाया कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को जलाने से 12 प्रकार के साल्ट निकलते हैं। तो इन 12 प्रकार के साल्ट्स को लेकर एक प्रणाली निकली कि इस साल्ट की कमी होती है तो इस प्रकार के रोग इस जगह पैदा होते हैं। इस प्रकार का रोग इस प्रकार के साल्ट देने से ठीक हो सकता है। सिद्धान्त वे ही थे करीब करीब जो डॉ० हनीमैन के थे। तो उन्होंने, संसार भर के रोगों के लिए, डॉक्टर सुहोव ने अपनी बायोकेमिक प्रणाली को इन्ट्रोड्यूस किया। ये दोनों चिकित्सा प्रणालियां विज्ञान पर आधारित हैं, एक निश्चित सिद्धान्त पर आधारित है जिनका परीक्षण हो सकता है। तो इन चिकित्सा प्रणालियों को अपने इलाके में इन्ट्रोड्यूस नहीं होने दें, फलने नहीं दें, तो मैं समझता हूं कि इन प्रणालियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा।

ऐसी स्थिति में इन प्रणालियों के बारे में जो बन्धन लगा रहे हैं इनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, इनकी फीस के बारे में दूसरे दूसरे तरीकों से, यह मैं समझता हूं कि सब अनुचित है। इसलिए इन प्रणालियों को पूर्ण तरीके से संरक्षण दिया जाना चाहिए। ये प्रणालियां अपने टेस्ट में खरी उतर चुकी हैं। जब कि एक ऐलोपैथिक की दवाई के ऊपर आप 10 हजार रुपया खर्च करने के बाद भी आराम नहीं उठा सकते हैं वहां बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में एक आना, दो आने की दवाई से आपको रामबाण की तरह से फायदा हो सकता है। यदि इस चिकित्सा प्रणाली को हम जन-साधारण की सेवा के लिए, आम जनता की सेवा के लिए यहाँ पर लाते हैं और उस प्रणाली के बीच में जो हमारा अंग्रेजी दिमाग है, जो हमारे पर विदेशी चिकित्सा पद्धति का प्रभाव है, वह रोकता है तो उसको किसी तरह से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों प्रणालियों बायोकैमिक और होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को संरक्षण देने की बात तो ठीक है। लेकिन इनके बीच में जो पेचीदगियां हैं, मुझे आशा है कि उन पर भी यह सदन विचार करेगा। और एक ही साथ डॉ० शुसलर और डॉ. हनीमैन की चिकित्सा पद्धतियों पर सरकार समुचित ध्यान देने कि व्यवस्था करेगी। ऐसा कह कर मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना : सभापति महोदय, होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अच्छे विचार प्रकट किये गये हैं। लेकिन मैं यह जो प्रतिवेदन है, इसमें कुछ संशोधन का सुझाव दूंगा। चिकित्सा पद्धति अगर अनाड़ी के हाथ में आजाये तो वह उसके अनुभवहीन होने के कारण बदनाम हो जाती है। इसी तरह से होमियोपैथिक चिकित्सा के बारे में कोई भी इन्स्टीट्यूशन किसी आदमी को सार्टीफिकेट दे दे वह आदमी मामूली सा अनुभव लेकर रोगियों का ऐसा इलाज करे जिससे लाभ न हो कर हानि हो जाय तो यह ठीक नहीं है। पहले जो संशोधन पेश किया गया था और प्रतिवेदन में संशोधन किया है, यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। पहले होमियोपैथिक का विधान करते समय 7 साल की चिकित्सा का पूर्व अनुभव की बात थी। उसको 3 वर्ष कर दिया गया है। यह 3 वर्ष की बात कम है। 3 साल में कम अनुभव हो पाता है। पूरा अनुभव नहीं हो पाता है। आप यह देखिये, ऐलोपैथिक में काफी अनुभव कराया जाता है। होमियोपैथिक और एलोपैथी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। होमियोपैथी में दवा सस्ती जरूर है। लेकिन और कोई सिद्धान्त सम्बन्धी फर्क नहीं है। 7 वर्ष नहीं तो 5 वर्ष कर देना चाहिए। जैसा कि शास्त्री जी ने फरमाया है। जहां तक बोर्ड के गठन की बात है, मेरा सुझाव है कि विभिन्न राज्यों से, स्थानों से ऐसे व्यक्तियों को लिया जाना चाहिए जो अच्छे अनुभवी हों और जिन्होंने किसी स्टेट के बोर्ड से या किसी विश्वविद्यालय से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो कानून मेहनत करके पास करते हैं, उनका परिश्रम बेकार जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है। सब जगह चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केन्द्रीय सरकार हो, किसी स्टेट बोर्ड अथवा किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा के प्रमाण-पत्र होने चाहिए जिससे मालूम हो कि वह अनुभवी आदमी है। यह अगर संशोधन करेंगे तो अच्छा रहेगा। वर्ना वैसा ही होगा जैसा कि मोटर गाड़ी चलाने के लिए कम अनुभवी आदमी को लाइसैन्स दे देना। चिकित्सा प्रणाली के बारे में यह ध्यान रखना चाहिये कि अनाड़ी आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है। जिससे चिकित्सा प्रणाली बदनाम न हो। तथा जो आज उसकी लोकप्रियता है वह कम न हो।

श्री सभापति : आप प्रवर समिति में रह चुके हैं ?

श्री फूलचन्द बाफना : जी नहीं, मैं नहीं रहा हूं।

श्री सभापति : श्री लाभचन्द वैद।

श्री लाभचन्द वैद : सभापति महोदय, यह प्रतिवेदन बहुत समय बाद आया है। इसका श्रेय मैं सतीशचन्द्र जी अग्रवाल को देता हूं जिन्होंने प्रथम यह प्रस्ताव रखा है। चिकित्सा पद्धति दो प्रकार की होती हैं। एक तो दबाव पद्धति होती है और दूसरी प्रकृति को मदद करने की पद्धति होती है। हमारी होमयोपैथी चिकित्सा पद्धति प्रकृति को मदद करने की है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति हमेशा दबाव देती है। वैसे रोगों को बढ़ा देती है। परन्तु होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि वह कारण का निराकरण करने के लिए प्रकृति को मदद करती है। इसलिए यह बहुत ही निर्विकार, बहुत ही सस्ती और बहुत ही निरापद है। कोई भी नुकसान इस

(श्री लाभचन्द वैद)

पद्धति से नहीं होता है। दुर्भाग्य से सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। इस समय जब महंगाई चरम सीमा पर है गरीब आदमी को इलाज की सुविधा नहीं है। अब ध्यान आया है बड़े बड़े हॉस्पिटल में इतना रुपया खर्च करते हैं, उनका हाल देखिये, वहां इंजेक्शन हैं सिरेंज नहीं मिलती हैं। रोगी को खुद मंगानी पड़ती है। कहते हैं कि हमारी सिरेंज लीक करती हैं। एक उदाहरण दूंगा चूरू जिले में रतनगढ़ में जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है एक्स रे सुविधा नहीं है। मशीन मंगाने में भ्रष्टाचार हुआ है। इतनी महंगाई को बरदाश्त किया जाता है लेकिन सुगम पद्धति है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। अनुभव का आधार जो 3 साल का 5 साल करने के लिये कह रहे हैं यह उचित नहीं है। क्यों कि उस पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए 3 साल ही रखना जरूरी है। डॉ० शुस्लर और डॉ० हनीमैन दोनों की एक पद्धति है। दोनों ही प्रकृति पर दबाव वाली चिकित्सा नहीं हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि फिजूल में इनको अलग अलग नहीं करना चाहिये अब कहते हैं कि उस बिल को फिर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं तो कहूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको पास कर दिया जाय और प्रवर समिति को दुबारा सुपुर्द करके समय को नष्ट और धन को नष्ट नहीं किया जाय। यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मैंने भी इस होमियोपैथी बिल के ऊपर संशोधन पेश किये थे लेकिन वह ड्राफ्टिंग मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट कर दिये गये। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहूंगा, जहां तक इस बिल को पेश करने का सवाल है, इसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इस होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति की इस प्रक्रिया की पहले ही काफी राजस्थान में क्षति हुई है। अगर इसे जल्दी से जल्दी पास किया जाय तो यह होमियोपैथी के प्रेक्टीशनर्स के लिए बहुत ही मददगार होगा। यह प्रवर समिति के द्वारा जो बिल सदन में वापिस आया है, उसमें कई बातों के सम्बन्ध में और खास करके कान्स्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। कान्स्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड में आपने चार पर्सन्स रखे हैं जो नॉमीनेटेड होंगे गवर्नमैन्ट के द्वारा। उनमें दो तो रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर्स होंगे। मेरा निवेदन यह है कि यह एक टैक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी दो मेम्बर गवर्नमैन्ट के द्वारा नॉमीनेट कराना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस प्रकार के मेम्बर होंगे? किनको करेंगे? आपके पास जो रामबाण दवा है, रामजी का क–उनको ही नॉमीनेट कर देंगे। तो इस प्रकार जो नॉमीनेशन रखा जाता है बार बार, इससे प्रोत्साहन मिलेगा दूसरे लोगों को। इसलिए बजाय चार के आप दो ही रखिये और ये दोनों रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर्स हों, उनका नॉमीनेशन आप स्वयं करें या गवर्नमैन्ट करे–उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन बजाय चार के आप दो रजिस्टर्ड होमियोपैथिक प्रेक्टीशनर्स का नॉमीनेशन करें। इसमें जो चार का प्रावधान है उसके बजाय आप इसमें दो रखें।

दूसरे, सभापति महोदय, आपका जो उद्देश्य है दो को नॉमीनेट करने का वह यह है कि गवर्नमैन्ट का रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, तो उसमें आगे 'डी' और एड करके

Page No 83

(श्री दिग्विजय सिंह)

जो मेडिकल सेक्रेटरी हैं उनको आप एक्स-ऑफिसियो मेम्बर अपॉइन्ट कर दें तो बाई वरच्यू ऑफ़ ऑफिस वह बोर्ड का मेम्बर बना रहेगा।

दूसरे इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि इसकी जो टर्म आपने रखी है, वह तीन साल रखी है बोर्ड की, तो तीन साल के बजाय आज आप खुद देख रहे हैं सभापति महोदय, हर बोर्ड की टर्म, आपने खुद ने महसूस किया है कि तीन साल कम होती है इसलिए उसको बढ़ाया है, कहीं पांच साल और कहीं चार साल की है, तो कम से कम बोर्ड की टर्म चार साल होनी चाहिए ताकि बोर्ड को काम करने का मौका मिले और जो यह होमियोपैथी बिल ला रहे हैं इसके द्वारा जो राजस्थान में होमियोपैथी का प्रसार होगा वह सही तरीके से हो पायेगा।

दूसरे, सभापति महोदय, यह सैक्शन सात है, इसके अन्दर आपने जिस प्रकार बोर्ड का नॉमीनेशन रखा है, उसके सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि आपने फर्स्ट बोर्ड को नॉमीनेट किया है और उसकी अवधि आपने तीन साल की रखी है और उसमें पांच मेम्बर रखे हैं। तो उसके अन्दर भी आप तीन मेम्बर रजिस्टर्ड होमियोपैथिक प्रेक्टीशनर रखें और यह स्ट्रिक्टली प्रोवाइड कर दें कि पांच मेम्बर में से तीन मेम्बर रजिस्टर्ड होमियोपैथिक प्रक्टीशनर्स होंगे, और दो मेम्बर दूसरे कोई हो सकते हैं।

सभापति महोदय, दूसरा सेक्शन पांच है, जिसमें चेयरमैन के लिए लिखा है, Chairman may be nominated by the Government, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह करना है कि 'चेयरमैन' को इलेक्टेड रखें। यह नॉमीनेशन की प्रथा आप अपने हाथ में लेकर चलना चाहते हैं, इस पर आप पुनः विचार करें और इस 'चेअरमैन' के लिए जो नॉमीनेशन का रखा है, उसको आप नॉमीनेशन न रख कर इलेक्शन से रखें। अगर आप चाहते हैं कि प्रथम बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट होगा उसके अन्दर आप नॉमीनेट कर दें, तो उसके बाद जो बोर्ड नॉमीनेट हो, कॉन्स्टीटयूट हो उसमें 'चेयरमैन' का इलेक्शन होना चाहिए, उसका नॉमीनेशन नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, एक बड़ी विचित्र बात मैंने इसके अन्दर देखी है। इसके अन्दर और बातों के साथ साथ बोर्ड के मैम्बर को रिमूव करने की पॉवर आपने रखी है। बोर्ड के मैम्बर को आप सस्पेन्ड भी कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौनसी ऐसी बात है जिसके अन्दर ऐसी अनियमिततायें करेंगे, जिसके सम्बन्ध में आप पहले मेम्बर को नोटिस देंगे और उसके बाद में सस्पेन्ड कर देंगे और फिर उसको अन्डर सस्पेन्शन पड़ा रखेंगे। इसलिए यह जो सस्पेन्शन का प्रोवीजन है, जो सेक्शन 11 में रखा है नम्बर 2 में, यह गलत है। रिमूवल का मैं मान सकता हूं, अगर कोई मेम्बर, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कोई अनियमितता करते हुए पाया जाय तो उसको नोटिस देकर, उसकी सुनवाई करने बाद में उसको रिमूव किया जाय। लेकिन इसके साथ साथ इसके नीचे यह है कि पैंडिंग सच इन्क्वायरी आप उसको सस्पेन्ड कर देंगे। यह पावर इस प्रकार गवर्नमैन्ट अपने हाथ में लेगी तो बोर्ड कभी भी निष्पक्षता से काम

(श्री दिग्वजयसिंह)

नहीं कर पायेगा, वह सही विचार आपके सामने नहीं रखेगा और हमेशा उसमें आपकी जी हुजूरी वाले लोग बैठे रहेंगे और जो इंडिपेंडेंट व्यूज वाले मेम्बर आयेंगे वह भी इस प्रोवीजन के कारण उसी ढर्रे से चलने लगेंगे। इस लिए आपने जो सस्पेन्शन का प्रोवीजन रखा है इसको महरबानी करके आप हटा दें। आपको कोई निर्णय लेना हो किसी मेम्बर के खिलाफ, या वाइस चेयरमैन या चेअरमैन के खिलाफ जो इमीजियेटली विदिन वन मन्थ या टू मन्थ, जितनी जल्दी आप चाहें, उसके केस को आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिये। अगर उसको हटाना हो तो आप हटा दीजिये और अगर उसको माफ करना हो तो आप उसको माफ कर दीजिये। लेकिन उसको सस्पेन्ड करके उसके केस को छः छः वर्ष या तीन तीन वर्ष तक लटकाये रखेंगे तो यह जो प्रावधान रखा है सस्पेन्शन का यह घातक है और रजिस्टर्ड होपियोपैथ्स के इस बोर्ड को सही तरीके से फंक्शन न करने देने के लिए यह गैर वाजिब क्लॉज रखा है। इस लिए इस क्लॉज को आप अवश्य हटा दें। मैं समझता हूं, इसके ऊपर मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे।

इसी प्रकार सेक्शन 20 है, उस सेक्शन 20 में आपने रखा है:—

"No business shall be transacted at a meeting of the Board unless four members are present"

आपने कम से कम चार का कहा है। उसमें मेरा निवेदन करना है, बजाय चार के कम से कम आप पांच करें तो उचित रहेगा। इसके साथ ही दूसरा मेरा निवेदन करना है कि साधारणतया आपने रजिस्टर्ड होमियोपैथ्स के लिए रिन्यूअल फी 25 रुपये रखी है, जो रजिस्टर्ड होमियोपैथिक प्रेक्टीशनर रिन्यूअल करवायेगा उसको पच्चीस रुपये देने होंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : पचास।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं पच्चीस पचास रजिस्ट्रेशन के लिए है और पच्चीस रिन्यूअल के लिए है। मेरा निवेदन करना है, क्योंकि यह नया है, इस साइड में होमिपैथिक प्रेक्टिस करने वाले कम हैं, और न इन लोगों की इतनी प्रेक्टिस है, न इतनी कैपेसिटी है कि वह पच्चीस रुपये दे सकें, इसलिए बजाय पच्चीस के, अगर आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो पन्द्रह कर दें तो उचित रहेगा। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इन मुद्दों पर विचार करेंगे और मेरे सुझावों को मंजूर करेंगे। आपको होमियोपैथी सिस्टम को प्रोत्साहित करना है इस दृष्टिकोण से आप इस पर विचार करके उत्तर देंगे और जो क्लेरीफिकेशन मैंने चाहा है वह देंगे और स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

श्री सभापति : श्री गंगासहाय!

श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) **:** माननीय सभापति जी, राजस्थान में होमियोपैथिक चिकित्सक कितने ही वर्षों से यह प्रयत्न कर रहे थे, यह आशा कर रहे थे कि उनकी इच्छा की पूर्ति होगी, उनकी पद्धति को मान्यता मिलेगी। आज उनकी चिर प्रतीक्षित आकांक्षा पूर्ण होती दिखाई दे रही है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इस पद्धति को मान्यता देने की ओर कदम बढ़ाया है। इधर हमने देखा है कि एलोपैथिक चिकित्सा में आये दिन अस्पतालों की शिकायतें

(श्री गंगासहाय)

सुनते हैं, अस्पतालों में रोगियों के लिए दवा नहीं है, इन्जेक्शन नहीं है, वार्ड नहीं है, या डॉक्टर नहीं हैं। इस कमी को यह चिकित्सा पद्धति पूर्ण करेगी क्योंकि इसमें न तो अधिक रोगी शैयाओं की आवश्यकता है, न अधिक एकोमोडेशन की आवश्यकता है, न ज्यादा डॉक्टर और नर्सों की आवश्यकता है। कम से कम स्टॉफ और थोड़े से थोड़े खर्च से अधिक से अधिक लोगों को लाभ इससे मिल सकता है। आप साधारणतया देखें, टी. बी. का मरीज यदि एलोपैथिक चिकित्सा कराता है तो उसको दो हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं लेकिन अगर वह रोगी होमियोपैथिक चिकित्सा में आयेगा तो केवल अधिक से अधिक, मेरा अनुमान है, दो सौ से ज्यादा उसका खर्च नहीं लगेगा, दो सौ रुपये में वह निरोग हो जायगा। इतनी सरल पद्धति को मान्यता देने की ओर कदम बढ़ाया है इसका मैं स्वागत करता हूं।

मेरे कुछ मित्रों ने यह सुझाव दिया है कि रजिस्ट्रेशन फी 50) रु० की जगह कुछ कम कर दी जाय। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं। पचास रुपये जो रखे हैं, जिसके लिए सिलेक्ट कमेटी ने तय किया है, जो भी बोर्ड बनता है वह बोर्ड सरकार की तरफ एक तरह से मुंह ताकता रहता है, उसके पास अपने फंड नहीं होते हैं, इसलिए इसमें पचास रुपये रजिस्ट्रेशन फी रखी गई है। इसी प्रकार से रिन्यूअल की पद्धति रखी गई है कि हर तीसरे वर्ष उसको रिन्यूअल कराना होगा, उसके पीछे राज है कि हमें हर बात के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़े और बोर्ड स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके और सुचारु रूप से अपना कार्य चला सके।

कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि तीन वर्ष बहुत थोड़े हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है कि तीन वर्ष की अवधि रजिस्ट्रेशन के लिए रखी है वह प्रथम रजिस्ट्रेशन के लिए है, न कि हमेशा के लिए। पहली बार रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी तीन वर्ष से प्रैक्टिस करता होगा उसका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा उसके बाद जब कभी रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो नियमित रूप से बोर्ड जैसा तय करेगा, परीक्षा के बाद रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, उससे पहले नहीं।

इसके अतिरिक्त एलोपेथी में खर्चा बहुत आता है, डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं और गरीब लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं तो होमियोपैथी चिकित्सा इतनी सरल और सस्ती है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम खर्च में रोग निवारण कर सकता है, निरोग हो सकता है। यह पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसका प्रमाण मैं बताना चाहता हूं। एलोपैथिक दवाइयों का जो प्रयोग होता है वह पशुओं पर होता है और होमियोपैथिक दवाइयों का प्रयोग मनुष्यों पर होता है। यही इसका वैज्ञानिक स्पष्ट प्रमाण है।

आपने देखा होगा, एलोपैथिक पद्धति में यदि एक ऑपरेशन किया जाता है और उस ऑपरेशन में डिफेक्ट हो गया है तो एलोपैथ डाक्टर दुबारा जांच करेंगे और उसके बाद यह सुझाव देंगे कि दुबारा ऑपरेशन हो लेकिन यदि वही रोगी होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति में आ जाता है और उसका ऑपरेशन असफल हो गया तो मेरा निश्चित मत है कि वह बिना दुबारा ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। यह इस पद्धति की करामात है। साथ ही इस पद्धति में बिना चीरफाड़ के सारा इलाज होता है।

Page No 86

(श्री गंगासहाय)

डॉ० एल० एम० वर्मा जो वर्ल्ड हौमियोपैथ लीग के वाईस चेयरमैन रहे हैं, उनका कहना है कि इस पद्धति में कोई रोग असाध्य नहीं है, प्रत्येक रोग का अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है। तो इस चिकित्सा पद्धति की अधिक से अधिक डिस्पेन्सरीज खोली जायें और डॉक्टर रखे जायें, अनुभवी लोग रखे जायें और गांव गांव में शाखायें खोलकर अधिक प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्री।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्यमंत्री आयुर्वेद) :-उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने हौमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक प्रस्तुत है। इस विषय में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे उन विचारों को मैंने सुना। सदन का जहां तक मत है, वह इस विधेयक से पूर्णतः सहमत है। कुछ बातें उन्होंने इस सम्बन्ध में कहीं, कुछ भ्रम हो सकते हैं उनके विचार से वह इसलिए कि वह इस पद्धति को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए इस विधेयक के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी प्रकार से विरोधाभास हो या किसी प्रकार ऐसी बातें हों जो मुझे इस बात के लिए सोचना पड़े कि इसके अन्दर मैं कुछ दुरुस्तियां करूं या तब्दीलियां करूं, इसके अन्दर जो भी प्रवर समिति से पास होकर आया है, प्रवर समिति के लोगों ने एडॉप्ट किया है, उस समय एक ऐसा तरीका प्रवर समिति के सदस्यों ने और मैंने अपनाया कि जो हौमियोपैथिक प्रेमी हैं इसमें विश्वास रखते हैं, उनको हमने सुना। उनकी विचार धारायें प्रवर समिति के सभी माननीय सदस्यों ने सुनी और जो बातें उन्होंने कहीं इस होमियोपैथिक के भले के लिए, प्रचार और प्रसार के लिए उन बातों को हमने माना और उसी का आज फल है उसी का नतीजा है कि आज विधान सभा में इस बिल के बारे में कोई विरोध भाव किसी पार्टी के माननीय सदस्य ने नहीं किया। कुछ बातें उन्होंने इस बात का लेकर कहीं जैसे इसके अन्दर तीन साल का अनुभव रखा है, वह कम है। माननीय सदस्यों के विचार इस बारे में जो थे और आज भी हमारी विचारधारा है कि हौमियो पैथी चिकित्सा पद्धति राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा फैले और हौमियोपैथी के चिकित्सकों का मोरल ऊंचा हो, वह कोई ऐसा तरीका अख्तयार न करें जिसके कारण उन्हें भी इस प्रकार का सहारा लेना पड़े जो कि गलत हो। तो हमने सोचा और हम मानते हैं कि तीन साल का चिकित्सक जैसे ही हमारा विधेयक पास हुआ और वैसे ही राजस्थान राजपत्र में अनाऊंस होगा 6 महिने के अन्दर अन्दर रजिस्टर कराएं जिसको तीन साल का अनुभव है उसका रजिस्ट्रेशन होगा और वह प्रेक्टिस करने का अधिकारी होगा यहां 7 साल की बात कहते हैं 5 साल की भी कहते हैं परन्तु यह पद्धति जैसे कि माननीय सदस्यों ने कहा एक ऐसी सरल पद्धति है। हार्मलैस है जिसके द्वारा लोगों को कोई नुकसान नहीं होता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): आपने अपने पर इसका प्रयोग किया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं तो कोई पद्धति उपयोग में नहीं लेता क्योंकि मैं तन्दुरुस्त हूं इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको जरूरत होगी तो किसी होमियोपैथ से कह दूंगा आपसे मिल लेंगे।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

यह पद्धति इतनी सरल और सस्ती है कि इस पद्धति का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं, उसके लिए हमने सोचा कि तीन साल के जो अनुभवी लोग हैं उनको रजिस्टर किया जाय तो उन लोगों को रजिस्टर किया जायगा। उसके बाद जो तीन साल से कम अनुभवी होंगे उनको इस तरह एनलिस्ट किया जायगा कि जब उनके तीन साल होंगे तब उनके लिए सोचा जायगा। तो यह दरवाजा उनके लिए शुरू शुरू में खुला रखा गया है किन्तु बाद में जब बोर्ड कान्स्टीट्यूट हो जायगा उसके बाद जो भी रजिस्टर होना चाहेगा, वह बोर्ड द्वारा जो भी तरीका अपनाया जायगा, किसी भी शिक्षण संस्थाओं द्वारा या बोर्ड के द्वारा निर्धारित ऐसी परीक्षा देकर रजिस्टर हो सकेगा। इसलिए आगे के लिए हमने कोई दरवाजा नहीं खुला रखा है कि प्रेक्टिस के आधार पर या अनुभव के आधार पर हमेशा के लिए होमियोपैथी के अन्दर रजिस्टर हो सकें। इसलिए एक बार सरलीकरण पर ज्यादा से ज्यादा होमियोपैथी के चिकित्सकों को हम जो सुविधायें दे सकते थे, वह देना हमने अपना कर्त्तव्य समझा, होमियोपैथी के हित में। इसी दृष्टिकोण से तीन साल माना है।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें होमियोपैथी का ही हित है। जो होमियोपैथी प्रेमी हैं, उसके प्रचार व प्रसार में लगे हैं, जो होमियोपैथी की प्रेक्टिस करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही मत है। दोनों तरह के लोग मुझसे मिले हैं। दूसरी तरह के लोगों का मत है कि सात साल किया जाय। उनका कहना है कि पार्ट-टाइम होमियोपैथी प्रेक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया जाय। आज जिस गरीब की यह जीवन निर्वाह करने वाली प्रेक्टिस हो उसके अन्दर पार्ट-टाइम में कुछ लोग काम करते हैं तो हम उनको रोकें यह भी न्यायसंगत नहीं है। जैसे कि माननीय सदस्यों ने कहा यह बहुत ही सस्ती पद्धति है लोगों को बड़ी सुविधा देती है तो हमने पार्ट-टाइम करने वालों को भी मान्यता दी है और उसको हम उचित मानते हैं। इसलिए जो लोगों का ख्याल है जो सोचते हैं कि हमने इसके अन्दर प्रतिबन्ध लगाया है वह इस पद्धति के लिए हानिकारक है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है।

जहां तक सवाल है फीज का और बोर्ड के गठन का, फीज के बारे में जैसा माननीय सदस्यों को पता है, राजस्थान में इण्डियन मेडिसिन्स बोर्ड आयुर्वेद का बना हुआ है। हमारे अनुभव के आधार पर वह बोर्ड, जिस तरह से वह बोर्ड चल रहा है, उसकी भी मैंने माननीय सदस्यों के सामने अपनी विचारधारायें रखी और माननीय सदस्य भी मुझसे सहमत हुए कि कोई ऐसी ऑटोनोमस बोडी बने जो अपने पैरों पर अच्छी प्रकार खड़ी रहती है तो अच्छा है और ऐसे बोर्ड का भी इस विधेयक में उल्लेख है वह होमियोपैथ चिकित्सकों के लिए शिक्षण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करेगा तो आखिर कहां से करेगा? हमेशा राज्य सरकार के सहारे जिंदा रहेगा तो वह नाम मात्र ही रहेगा।

इसलिए हमने उस बोर्ड को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसकी सुचारु व्यवस्था के लिए तीन साल की फीस पचास रुपया रखी है और हर तीसरे साल रिन्यूअल होता है तो 25 रु० रखा है यह बोर्ड का.

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
निजी द्रव्य बनाया है कि बोर्ड अच्छी प्रकार से होमियोपैथिक सुख सुविधाओं के लिए कार्य करे। राज्य सरकार के पास पैसा आने वाला हो ऐसी बात नहीं। बोर्ड सुचारु रूप से चले उसके लिये यह सोचा है।

जहां तक बोर्ड के कोन्स्टीट्यूशन का सवाल है 6 सदस्य होमियोपैथी के होंगे, 1 शिक्षण संथाओं की ओर से होगा, चार प्रतिनिधि सरकार के होंगे। 11 सदस्यों का बोर्ड होगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और हिन्दुस्तान के अन्य हिस्सों में देखें तो यही व्यवस्था है। हमने होमियोपैथी की बहबूदी के लिए, उसकी तरक्की के लिए व्यवस्था की है। 9 सदस्य उसमें होंगे जो होमियोपैथी के ही होंगे। मेजोरिटी होमियोपैथी के लोगों को होगी। जो भी निर्णय होगा मेजोरिटी से होगा। दो राज्य सरकार के नॉमिनेटेड सदस्य होंगे। राज्य सरकार पर उसकी देख रेख का ज़िम्मा है इसलिए राज्य सरकार ने दो प्रतिनिधि उसमें रखने का निर्णय किया। बोर्ड के गठन का जहां तक सवाल है वह प्रोग्रेसिव गठन है। एक प्रकार का गठन है होमियोपैथी की तरक्की और उन्नति के लिए। और भी माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं उनको कह देना चाहता हूं कि किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। कहा यह गया कि 'ए' क्लास और 'बी' क्लास दें। यह रूल्स में प्रेस्क्राइब किया जावेगा। डॉ० हनीमैन ने होमियोपैथी की इस प्रकार की पद्धति लागू की कि यह हिन्दुस्तान के ही लिये नही है बल्कि सारे संसार के लिये है, जिससे आज सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें रखी जो विधेयक से मतभेद नहीं रखती। सब कुछ बातें इसमें अपने तरीके से हैं। कुछ भ्रम हो सकता है। कुछ लोग धर्मार्थ के लिए कहते हैं। उसमें प्रॉविजन है धर्मार्थ के लिए। सब पहलुओं पर विचार से वह किया गया है और बहुत समय से राजस्थान सरकार के विचाराधीन था और यह भी था कि इसको लागू करने से गांव में चिकित्सा सुविधायें अधिक से अधिक उपलब्ध होंगी और होमियोपैथी के डॉक्टरों को भी मान सम्मान राज्य सरकार और लोगों से मिलेगा कि यह सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, इसका भी एक कानून है और यह पद्धति भी राजस्थान में चलती है। इस पद्धति को अच्छी तरह से चलाने के लिये इस विधेयक में सब बातों का समावेश किया गया है। कोई बात ऐसी नहीं है जो छोड़ी गई हो। सस्पेन्शन का सवाल है तो कोई बोर्ड को चलाने में गलती करता है तो उसको सस्पेन्ड किया जाता है। यदि गलती नहीं है तो दुबारा बहाल होता है। आप कहते हैं कि एकदम हटा दें कान्स्टिट्यूशनल अधिकार देना चाहिये हर एक आदमी को अपनी बात कहने का, हर एक विधेयक में इस प्रकार के क्लॉजेज रहते हैं इसलिये ये सब बातें हमारे ढंग की हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि भविष्य की उन्नति के लिये तरक्की के लिये इस विधेयक में अधिक से अधिक समावेश किया गया है।

आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत छः डिस्पेन्सरीज चलाते हैं। उनमें कोई डाक्टर रखने से पहले यह सोचना पड़ता है कि कौनसी संस्था है जिसको मान्यता दें। उसका तरीका

Page No 89

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

होना चाहिये। उसको हम देखेंगे। यह विधेयक पारित हो जावेगा तो राजस्थान सरकार के सामने सवाल आवेगा कि यह पद्धति है उसकी तरक्की की जाये, उसका प्रसार किया जाय। पहले इसको मान्यता दी जानी चाहिये बाकी बातें बाद में होंगी। माननीय सदस्यों ने बहुतसी बातें रखीं और वे सब ऐसी हैं कि जो विधेयक में समाविष्ट हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सब दलों के माननीय सदस्यों ने एक मत से इसकी सराहना की है और माना है कि होमियोपैथी पद्धति एक ऐसी पद्धति है कि जिसको शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाय और पास किया जाय माननीय सदस्यों ने छोटे मोटे सुझाव रखे हैं और मैंने उनसे जो निवेदन किया है उससे वे सहमत होंगे और अपने सुझावों को सोचते हुए कि जो सुझाव पहले से ही उसमें समाविष्ट हैं किसी प्रकार की गलतफहमी में नहीं आवेंगे और इस बिल को शीघ्रातिशीघ्र पारित करेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : सभापति महोदय, मेरे कुछ प्रश्न हैं। आपने जो यह फरमाया कि रूल्स और रेगूलेशन्स के मातहत हम विचार करके कानून बनायेंगे मैंने साफ कहा था कि सार्वजनिक जनता का बोर्ड की मीटिंग में बुलाने के बारे में किसी भी बोर्ड में इस प्रकार के रूल्स नहीं हैं, आपको किसी विशेष अतिथि को सलाह मशविरे के लिये किसी विद्वान को बुलाना है तो बुला सकते हैं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट थी कि एम. बी. बी. एस. पढ़ने के इच्छुक होते हुए भी पढ़ नहीं पाते उनके लिये पढाई की क्या व्यवस्था है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : बोर्ड के दायित्व में हमने रखा है। बोर्ड जिन संस्थाओं को मान्यता देगा वह चलेंगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : शिक्षण संस्थाओं को एड भी देंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : राजस्थान सरकार मान्यता देगी तब ही तो सोचने की बात है।

श्री दिग्विजयसिंह : चार नॉमिनेटेड सदस्य रखेंगे। दो रजिस्टर्ड और दो सरकारी प्रतिनिधि रखेंगे क्या निर्णय है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : निर्णय तो कुछ भी हुआ नहीं है। सरकार के द्वारा एडेड होंगे तो सरकार के दो प्रतिनिधि बैठें, उसके कार्य को देखते तो आपके दिमाग में इतनी घबराहट क्यों पैदा होती है ?

श्री दिग्विजयसिंह : गुमराह इसलिये हो रहे हैं कि फिर मन्त्री महोदय किसी और को नामीनेट कर दें। इसलिये नॉमीनेशन का प्रश्न चलता है। क्या आप नॉमीनेट करेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अच्छा है वह भी होमियोपैथी में एक्सपर्ट हो जायगा ?

श्री भगवानदास शास्त्री : जो छः महीने की अवधि रजिस्ट्रेशन के लिये ट्रेनिंग की इसमें रखी है, उसका सर्टिफिकेट एम. एल. ए. को ही देना पड़ेगा फिर किस आधार पर होमियोपैथ सबूत दे सकेंगे इस पर गौर करना चाहिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसमें प्रमाण-पत्र देने का एक तरीका लिखा है जिसके अन्दर मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, उनसे वे प्रमाण-पत्र

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लायेंगे तो वह तीन साल का माना जायगा। और जो प्रोवेशन पर चाहेंगे, एक साल, डेढ़ साल का वह उनको मिल जायगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ पर साइड बिजनिस के बारे में कहा है। इससे हर व्यक्ति जेब में छोटी छोटी शीशी लेकर डाक्टर बन जायगा साइड बिजनिस का मतलब प्राइवेट बिजनेस करना है। अगर यह नहीं है तो इससे लोगों की पीस ऑफ माइन्ड डिस्टर्ब हो जावेगी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनके लिये यह है। वे अगर करते हैं तो यह साइड़ बिजनैस है। उनके लिये सरकारी आदेश हैं। दूसरे आदमी अगर पार्ट-टाइम हों, थोड़े समय के लिए काम करने वाले हों या और कोई उनका बिजनैस हो, उसका खास धन्धा यह होना चाहिये कि उसका मेन ऑकूपेशन होमियोपैथी होना चाहिये। मेन ऑकूपेशन दूसरा हो, किराये की आमद हो और कोई दूसरी एग्रीकलचर की आमद हो सकती है। यह बात सोचने की है कि उस वजह से मेन ऑकूपेशन दूसरा भी हो सकता है। तो वे पार्ट-टाइम होमियोपैथ का काम कर सकते हैं। तो उससे कोई नुकसान नहीं है। लोग अच्छे होमियोपैथी के डॉक्टर के पास ही जायेंगे। लोगों का जिनमें विश्वास जम जायेगा, उसी के पास जायेंगे। पार्ट-टाइम होमियोपैथ भी धीरे धीरे अच्छे बन सकते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : आप चेयरमैन को नोमीनेट करेंगे। इसका क्या तरीका है ? क्या वह इलेक्टेड होगा ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह बता दिया है कि जो 11 मेम्बर्स हैं उनमें से ही वह होगा। जो बोर्ड बने हैं, हिन्दुस्तान भर में जो बोर्ड बने हैं, उनमें चेअरमैन नोमीनेट होता है। हमारा इण्डियन मैडिसन बोर्ड है, उसका चेयरमैन भी नॉमीनेट होता है। और जो नोमीनेशन हम कर रहे हैं, वह उन 11 मेम्बर्स में से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें शंका की बात नहीं है। केवल आप यह शंका पैदा न करें कि चुनाव हो और उस चुनाव की रस्सा कस्सी में चेयरमैन और बोर्ड का काम सुचारू रूप से नहीं चले।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने जानकारी दे दी। मेरे दिमाग में यह बात नहीं है। मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इलेक्शन के द्वारा चेअरमैन नियुक्त हो। आखिर चेअरमैन तो गवर्नमैन्ट का ही होगा। परन्तु मेरा निवेदन तो यह है कि वह एक रजिस्टर्ड होमियोपैथ हो। जो रजिस्टर्ड होमियोपैथ हैं, उनमें से ही आप किसी को नोमीनेट करें बजाय इसके कि आप किसी और को करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमेशा से ऐसे बोर्ड के चेअरमैन के लिये यही ख्याल रखा जाता है कि उनमें एक्सपर्ट हों ताकि वह बोर्ड का काम सुचारू रूप से चला सकें। इण्डियन मैडिसन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वे वैद्य हैं। राजस्थान सरकार ऐसा सोचती है और यह एक्ट में इम्पलाइड है कि हर बोर्ड का गठन इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें ऐसे लोग हों जिससे बोर्ड का काम सुचारू रूप से चले।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, 1968 को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही दिनांक 16 अगस्त, 69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 2 बजकर 45 मिनिट पर दिनांक 16 अगस्त, 69 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 67 की सूची)

राजस्थान की मण्डियां

मुख्य मण्डी यार्ड	गौण मण्डी यार्ड
1	2
जिला अलवर	
1. अलवर	1. रामगढ़ 2. मालाखेड़ा
2. खैरथल	
3. खेड़ली	
भरतपुर जिला	
4. भरतपुर	3. अटलबंद मण्डी
5. कामां	4. गोविन्दगंज मण्डी
6. डीग	
7. नदबई	
8. धौलपुर	5. मनिया 6. राजाखेडा
9. बाड़ी	7. बसेड़ी 8. सर मथुरा
10. बयाना	
जिला जयपुर	
11. जयपुर (खाद्यान्न)	9. चांदपोल बाजार 10 जौहरी बाजार
	11. किशनपोल बाजार
12. जयपुर (फल व सब्जी)	12. अजमेरी गेट 13. मोती डूंगरी रोड़
13. दौसा	14. लालसोट
14. कोटपूतली	
15. बांदीकुई	
16. चाकसू	15. शिवदासपुरा
17. नरेना	
18. चौमू	16. फ्रूट मारकेट बस स्टैण्ड

Page No 93

1	2
जिला अजमेर	
19. अजमेर	17. नयी धान मण्डी
20. मदनगंज किशनगढ़	
21. ब्यावर	
22. विजयनगर	
23. केकड़ी	
जिला सीकर	
24. नीम का थाना	
25. सीकर	
26. श्री माधोपुर	18. अजीतगढ़ 19. कांवट
	20. रींगस
27. फतहगढ़	21. रामगढ़ 22. लक्ष्मणगढ़
जिला झुन्झुनु	
28. सूरतगढ़	23. पिलानी
29. चिड़ावा	24. झुन्झुनू 25. खेतड़ी
जिला सवाई माधोपुर	
30. सवाई माधोपुर	26. सिवाड़ 27. चौथ का बरवाड़ा
31. गंगापुर	
32. हिन्डौन	28. पुरानी मण्डी
33. महवा मंडावर रोड़	
जिला टौंक	
34. टौंक	
35. मालपुरा	29. टोडारायसिंह
36. निवाई	

1	2
37. देवली	30. दूनी
जिला कोटा	
38. कोटा	
39. बारां	
40. रामगंज मंडी	31. सांगोद
41. सुमेरगंज	32. इन्दरगढ़
42. अन्ता	33. सुलतानपुर 34. सोसवाली
जिला बूंदी	
43. बूंदी	35. केशोरायपाटन
जिला झालावाड़	
44. भवानी मण्डी	
45. चौमेला	
जिला उदयपुर	
46. उदयपुर	
47. नाथद्वारा	
48. भिन्डर	
49. फतहनगर	
जिला चित्तौडगढ़	
50. कपासन	
51. निम्बाहेड़ा	
52. प्रतापगढ़	
जिला भीलवाड़ा	
53. गुलाबपुरा	36. आसिन्द 37. रायला
54. भीलवाड़ा	
जिला बांसवाड़ा	
55. बांसवाड़ा	38. खादू

Page No 95

1	2	
जिला डूंगरपुर		
56. डूंगरपुर		
जिला पाली		
57. पाली		
58. सोजत	39. सोजतसिटी	
59. जैतारण	40. रायपुर	
60. रानी		
61. सुमेरपुर		
जिला सिरोही		
62. शिवगंज		
63. आबूरोड़		
जिला जोधपुर		
64. जोधपुर	41. सिवाची रोड़	
65. विलाड़ा		
66. पीपाड़ सिटी	42. कोसाना	
जिला नागौर		
67. नागौर	43. कुचेरा	44. मुंडवा
68. मेड़ता सिटी	45. ड़ेगाना	
69. कुचामन सिटी		
जिला जालौर		
70. भीनमाल	46. रानीवाड़ा	
जिला बाड़मेर		
71. बाड़मेर		
72. बालोतरा		
जिला चुरू		
73. सरदारशहर		
74. सादूलशहर		

Page No 96

1	2	
जिला श्री गंगानगर		
75. श्री गंगानगर		
76. रायसिंहनगर		
77. श्रीकरनपुर		
78. श्रीविजयनगर	47. जैतसर	48. अनूपगढ
79. नौहर	49. गोगामण्डी, 50. पिपरना, 51. रावतसर	
80. मादरा	52. अनूपशहर	
81. हनुमानगढ़	53. हनुमानगढ़ टाउन	54. डाबनबास
	55. तिब्बी	
82. सांगरिया	56. रिडमलसर	
83. पदमपुर	57. इविजवायला	
84. गजसिंहपुर		
85. केसरीसिंहपुर		
86. सादूलशहर	58. थेलीपील	
87. पीलीबंगा	59. सूरतगढ़	60. गोलूवाली
जिला बीकानेर		
88. बीकानेर	61. रानीबाजार	62. फड बाजार
89. नोखा		

कुल : 151 मण्डियां

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित-प्रश्नोत्तर

केशोरायपाटन शुगर फैक्टरी

68. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सहकारिता मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के केशोरायपाटन में स्थापित शुगर फैक्ट्री अभी तक चालू नहीं हुई ? अगर हां, तो कब तक चालू हो जावेगी ?

(2) उक्त फैक्ट्री में कुल कितना रुपया लगेगा उसमें से कितना शेयर्स द्वारा कितना ऋण व कितना अनुदान आदि के रूप में प्राप्त हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष गन्ना उत्पादकों को अग्रिम रूप में राशि दी गई है ? अगर हाँ, तो कितनी व क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। नवम्बर, 1969 तक चालू कर देने के पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) फैक्टरी में लगभग कुल 228 लाख रुपया लगेगा। इसमें अभी तक निम्न धन राशि प्राप्त हुई है :—

	रु० लाखों में
हिस्सा पूँजी	51.25
ऋण	133.00
अनुदान	निल
योग	184.25 लाख

(3) जी नहीं। इस वर्ष गन्ना उत्पादकों को अग्रिम रूप में कोई राशि नहीं दी गई।

घंटाघर की घड़ी

69. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेरी दरवाजा के पास घंटाघर की घड़ी अभी तक खराब है जब कि प्रश्न संख्या 623, दिनांक 6-4-66 के उत्तर में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सम्बन्धित कमेटी इसे शीघ्र ठीक कराने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो अब उस घड़ी को सफेदी पोत कर क्यों मिटा दिया गया है ?

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि घड़ी के मिट जाने से इतने बड़े घन्टाघर की शोभा खराब हो गई है ? क्या सरकार इस घड़ी की मरम्मत करा कर चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हाँ। सन् 1966 में यह जानकारी थी कि सम्बन्धित ट्रस्ट इस घड़ी को ठीक कराने का विचार कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट ने इसको अभी तक ठीक नहीं कराया है।

(2) जी हाँ। सरकार ट्रस्ट को फिर से घड़ी ठीक कराने के लिए अनुरोध करेगी कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाय।

ट्रैक्टरों का वितरण

71. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : **क्या** कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर किसी प्राथमिकता के आधार पर दिये जाते हैं ? यदि हाँ, तो यह निर्णय कब लिया गया ? और वर्ष 64-65, 65-66, 66-67 व 67-68 में ट्रैक्टर कितने और किन किन को दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्राथमिकता पर देने के क्या आधार हैं ? क्या कोई नियम हैं ? यदि हाँ, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि विभाग में करीब 19,000 प्रार्थना-पत्र अब भी विचाराधीन हैं ?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 69-70 के लिए 750 ट्रैक्टर वितरण करने का लक्ष्य है और आज की स्थिति में केवल करीब 70 ट्रैक्टर स्टॉक में उपलब्ध हैं ?

(5) क्या यह सही है कि जो ट्रैक्टर दिये गये हैं वे सब व्यक्ति भूमिधारी हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि नहीं होते हुए भी ट्रैक्टर एलॉट कर दिये हैं ?

उत्तर

(1) जी हाँ, यह निर्णय 27 फरवरी, 1969 को लिया गया था। ट्रैक्टर वितरण का कार्य 27-2-69 से ही आरम्भ किया गया।

(2) ट्रैक्टर प्राथमिकता पर देने के नियमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सन् 1969-70 में अब तक विभाग में 2700 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं जो विचाराधीन हैं।

(4) सन् 1969-70 में इस विभाग में लगभग 950 आयातित ट्रैक्टर कृषकों को वितरण हेतु दिए जाने का केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य है। अब तक 75 ट्रैक्टरों का आवंटन किया जा चुका है। रशियन बी० टी०–14 ट्रैक्टर–125 तथा बैलगर 60 ट्रैक्टरों के वितरण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हाँ। प्रश्न ही नहीं उठता।

आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन का आधार

(1) सन् 1965-66 से 1967-68 तक के अन्न उत्पादन के वार्षिक औसत आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रतिशत से जिलेवार ट्रैक्टर वितरित किये जायेंगे:—

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रतिशत
1.	अजमेर	3 प्रतिशत
2.	अलवर	6 "
3.	बांसवाड़ा	2 "
4.	बाड़मेर	3 "
5.	भरतपुर	7 "
6.	भीलवाड़ा	4 "
7.	बीकानेर	1 "
8,	बूंदी	2 "
9.	चित्तौड़गढ़	4 "
10.	चूरू	2 "
11.	दुर्गापुरा	2 "
12.	गंगानगर	9 "
13.	जयपुर	9 "
14.	जैसलमेर	0
15.	जालौर	3 "
16.	झालावाड़	3 "
17.	झुंझुनूं	3 "
18.	जोधपुर	3 "
19.	कोटा	5 "
20.	नागौर	5 "
21.	पाली	3 "
22.	सवाई माधोपुर	3 "
23.	सीकर	4 "
24.	सिरोही	2 "
25.	टोंक	4 "
26.	उदयपुर	6 "

(2) जिसके आवेदन-पत्र का पंजीकरण पहिले हुआ है उसे ट्रैक्टर उस जिले में पहिले दिया जायेगा। (फर्स्ट रजिस्टर्ड फस्ट सर्वड)

(3) विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के लिये आवेदक के पास भूमि निम्न प्रकार होनी चाहिये:—

क्रम संख्या	ट्रैक्टर की अश्वशक्ति	भूमि का क्षेत्रफल
1.	24 अश्वशक्ति तक	15 से 25 एकड़ तक
2.	25 से 39 अश्वशक्ति तक	26 से 39 एकड़ तक
3.	40 अश्वशक्ति या उससे ऊपर	40 एकड़ या उससे अधिक

(4) जिन्होंने गत तीन वर्षों में ट्रैक्टर खरीद रखा है उन्हें ट्रैक्टर नहीं दिया जायेगा।

(5) 15 प्रतिशत (Discretionary quota) में रखे जायेंगे।

(6) 5 प्रतिशत सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिये सुरक्षित रहेंगे।

(7) विभाग या राजकीय उपक्रमों, नियमों एवं खण्डों की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी।

ग्राम उदरासर के राजनैतिक पीड़ित को सहायता

72. श्री रावतराम (छापर सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जीवन पुत्र ताजा राम जाट तद्द ग्राम उदरासर, तहसील डूंगरगढ़ (जिला चूरू) को राजनैतिक पीड़ितों की श्रेणी में मान लिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में, उप शासन सचिव, सामान्य प्रसाशन (क) विभाग, जयपुर को उनके दिनांक 31-10-66 के पत्र के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने पोलीटिकल डायरी फाइल नं. सी. वी. 1937 (गृह विभाग), बीकानेर गुप्त बाबत जीवन जाट प्रस्तुत की गई? यदि हां, तो उक्त कागजात की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त व्यक्ति के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है और उसे क्या सहायता की गई है।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। डायरी की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना उचित नहीं है।

(3) नियमों के अन्तर्गत गठित समिति ने प्रार्थी का मामला अस्वीकृत कर दिया।

बोंली-निवाई सड़क निर्माण कार्य

73. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बोंली से निवाई सड़क के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा किस तारीख को दी गई और यह सड़क कितने मील बनानी थी।

(2) सन् 68–69 के वित्तीय वर्ष तक इस सड़क का कितने माइल का निर्माण कार्य पूरा हुआ ?

(3) गत वित्तीय वर्ष में इस सड़क हेतु कितना रुपया स्वीकृत किया गया, कितना व्यय हुआ और इसमें कितना काम पूरा किया गया ?

(4) वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस सड़क के लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 25-9-56 को 22 माइल रोड़ निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

(2) जिला सवाई माधोपुर में 7 मील तथा टोंक में 5 मील सड़क निर्माण हुआ है।

(3) वर्ष 68–69 में 12 हजार रु. का प्रावधान था जिसमें 11,846 रु. खर्चा हुआ है 2 मील के अधूरे कार्य को पूरा कराया गया है।

(4) वर्ष 69–70 में कोई बजट प्रावधान नहीं है। अर्थाभाव के कारण।

भाखरा एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में राजनैतिक पीड़ितों को भूमि का आवंटन

74. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भाखरा एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में किस किस राजनैतिक पीड़ित को कब कब, कहाँ कहाँ और कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई है?

(ख) इस भूमि में कितनी सिंचित और कितनी असिंचित है ?

(ग) इन व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ित किस आधार पर माना गया है ? इनको प्रत्येक को कितनी कितनी शारीरिक एवं आर्थिक हानि उठानी पड़ी है और उसका अनुमान किस प्रकार लगाया गया ?

उत्तर

(क) भाखरा और राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में जिन जिन राजनैतिक पीड़ितों को जहाँ 2 व जितनी 2 भूमि आवंटित की गई है उसकी सूचि परिशिष्ट अ और ब पर संलग्न है।

(ख) भाखरा योजना क्षेत्र में कुल 17 राजनैतिक पीड़ितों को 381 बीघा 15 बिस्वा एवं राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 11 राजनैतिक पीड़ितों को 293 बीघा 16 बिस्वा सिंचित भूमि अलॉट की गई है।

(ग) इस प्रश्न का सम्बन्ध सामान्य प्रशासन विभाग से है।

परिशिष्ट–ए

फहरिश्त रकबा जो राजनैतिक पीड़ितों को आवंटन हुआ जिला गंगानगर

नं० शुमार	नाम प्रार्थी मय पूर्ण विवरण	तादाद रकबा जो आवंटन किया गया	नाम चक
(1)	मु.भुछीबाई बेवा बीरबल हरिजन गंगानगर।	25) बीघा	3 एच बड़ा गंगानगर
(2)	मथाराम वल्द चुनीराम वैद बीकानेर।	21।।।)	10 एल एल गंगानगर
(3)	परमानन्द वल्द हीराराम गंगानगर।	25)	,, ,,
(4)	अमरकिशन व्यास जोधपुर।	20)	5 जी जी एम नोहर
(5)	घासीराम जोशी सीकर।	25)	5-6 ,, ,, ,,
(6)	साधुराम जोशी ,,	25)	5-6 ,, ,, ,,
(7)	शिव कंवरसिंह पुत्र चैनासिंह	28)	3 आर बी रायसिंह नगर।
(8)	,, ,, ,,	22)	5 आर बी रायसिंह नगर
(9)	सोहनसिंह पुत्र धन्नासिंह डी डी।	12।।)	6-7 डी डी पदमपुरा
(10)	श्रीमती फुलादेवी बेवा रामदेवसिंह	25)	5 एच एम एच हनुमानगढ़
(11)	श्रीमती चावली देवी बेवा करनीराम	25)	
(12)	श्री भुमरमल	12।।)	30 एस टी सी सूरतगढ़
13)	हंसराज वल्द मोतीराम	25)	31 ,, ,,
(14)	पन्नालाल बारूपाल बीकानेर	25)	34 ,, ,,
(15)	नेतरामसिंह ग्राम नोरोर तह.खेतड़ी	20)	7 बी आर पी ,,
(16)	अमरकिशन व्यास जोधपुर	20)	22 डी पी एन ,,
(17)	करतारसिंह वल्द कालासिंह करनपुर	25)	3 के एन जे हनुमानगढ़
		381।।।)	

परिशिष्ट—ब

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में राजनैतिक पीड़ितों को आवंटित भूमि का विवरण

नं० क्र०	नाम राजनैतिक पीड़ित मय पता	आवंटन का दिनांक	आवंटित भूमि का स्थान मय मात्रा	सिंचित व असिंचित भूमि का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती कृष्णादेवी धर्म पत्नि श्री जीवनदत्त शास्त्री सा. गंगानगर के ब्लॉक गंगानगर ।	10-6-64	चक नं. 26 एम. डी. आर. 25) बीघा मु. नं. 115/351 (तहसील हनुमानगढ़)	25) बीघा सिंचित	
2.	श्री गोपाल सैन चौधरी, जोधपुर	13-3-64	चक नं. 6 एम. डब्लू मु. नं. 146/347, 147/3+0, 146/339,50 बीघा तहसील हनुमानगढ़ ।	50) बीघा सिंचित	
3.	श्री अम्बालाल पुत्र श्री रावतराम छायण वाया पौकरण जिला जोधपुर ।	10-6-65	चक नं. 23 ए. पी. डी. मु. नं. 290/409 तहसील अतूण्गढ़ ।	25) बाघा सिंचित	
4.	श्री पूरणचन्द पुत्र श्री रेखाराम सा. सरेका, तहसील हनुमानगढ़	6-3-65	चक नं. 24 एन. डी. आर. मु. नं. 118/346, तहसील हनुमानगढ़ ।	25 बीघा सिंचित	
5.	श्री किशनाराम पुत्र श्री बनाराम पोस्ट थाना तहसील लक्ष्मणगढ़ ।	10-6-65	चक नं. 2 बी. पी. एम. मु. नं. 201/391, तहसील हनुमानगढ़ ।	23।।।)1 बीघा सिंचित	

1	2	3	4	5	6
6.	श्रीमती सिरे कंवर धर्म पत्नी श्री गंगादास निवासी अमरनाथ भवन, हॉस्पिटल रोड़, जोधपुर ।	3-9-68	चक नं. 8 एन डी. आर. मु. नं. 171/347, तहसील हनुमानगढ़ ।	20) बीघा सिंचित	
7.	श्रीमती फूलीदेवी धर्म पत्नी श्री रामदेवसिंह जाति जाट सा. धामौरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं ।	6-5-69	चक नं. 4 ए. एस. मु. नं. 178/433, तहसील अनूपगढ़ ।	25) बीघा सिंचित	
8.	श्रीमती चावलीदेवी धर्म पत्नी श्री करणी-राम जाट सा. धामौरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं ।	6-5-69	चक नं. 4 ए. एस. मु. नं. 178/432, 179/432 तहसील अनूपगढ़ ।	25) बीघा सिंचित	
9.	श्री घासीराम पुत्र श्री गोविन्दराम जोशी, बजाज स्मृती भवन, सीकर ।	12-5-69	चक नं. 2 बी. डब्लू. एम. मु. नं. 213/379, तहसील हनुमानगढ़ ।	25) बीघा सिंचित	
10.	श्री लाबुराम पुत्र श्री गोविन्दराम जोशी, बजाज स्मृती भवन, सीकर ।	12-5-69	चक नं. 2 बी. डब्लू. एम. मु. नं. 214/379, तहसील हनुमानगढ़ ।	25) बीघा सिंचित	
11.	श्री जामुनसिंह पुत्र श्री खांगसिंह निवासी जांसल, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं	11-6-69	चक नं. 4 ए. एस. मु. नं. 179/432, 8॥) बीघा, 179/433,12॥) बीघा 179/343, 4) बीघा ।	25) बीघा सिंचित	
	योग :	11 अलाटी		293॥)1 सिंचित बीघा	

झालावाड़ जिले में अपराधों की संख्या

75. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में गत वर्ष सन् 1967-68 में हत्याएं, शीलभंग एवं अपहरण की कुल कितनी वारदातें हुई ? इन घटनाओं का विवरण मय स्थान, तारीख सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) खानपुर तहसील के लीमी ग्राम में बन्दूक से घायल होने की घटना की सूचना से वर्तमान स्थिति तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त अवधि में हुई इन घटनाओं पर कितनों को दण्डित किया व कितने केस अभी चल रहे हैं।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मार्केटिंग सोसायटी गच्छीपुरा

76. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.): क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गच्छीपुरा ग्राम परबतसर, तहसील जिला नागौर की गच्छीपुरा मार्केटिंग सोसायटी को 1967-68 व 68-69 में शक्कर का कितना कोटा मिला और किस किस को कितना मुनाफा हुआ ?

(2) इस सोसायटी के कितने सदस्य हैं और शेयर मनी कितनी है ?

उत्तर

(1) गच्छीपुरा को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. को वर्ष 1967-68 में 102 क्विण्टल 60 किलोग्राम शक्कर का कोटा मिला, जिसमें समिति को 480)01 पैसा का ग्रॉस प्रॉफिट रहा तथा वर्ष 68-69 में 61 क्विण्टल 50 किलोग्राम शक्कर का कोटा मिला, जिसमें समिति को 860)39 पैसे का ग्रॉस प्रोफिट हुआ।

(2) समिति के 103 सदस्य हैं जिनकी हिस्सा राशि कुल 21,560) रुपये है।

हिरणमंगरी उदयपुर के प्लाट

77. देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि हिरणमंगरी की तरफ प्लाट बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उस स्थान पर प्लाट लेने हेतु उदयपुर के अन्दर सरकारी कार्य करने वाले कितने आदिवासी व्यक्तियों ने नियमानुसार फार्म भरे तथा कब भरे ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1969 में इन व्यक्तियों को प्लाट देने का इरादा सरकार रखती है ? यदि हां, तो कब तक दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) जी हां। नियमानुसार 29 सरकारी कार्य करने वाले आदिवासी व्यक्तियों ने फार्म भरे हैं। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इस वर्ष इन व्यक्तियों को नियमानुसार प्लाट आवंटन करने की सम्भावना है।

Page No 106

आदिवासियों द्वारा प्लाट एलॉटमेन्ट हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की सूची

क्र० सं०	आवेदन-पत्र प्राप्ति की तिथि	फार्म नं०	नाम	सरकारी कर्मचारी	मासिक वेतन
1	2	3	4	5	6
1.	14-7-69	1722	श्री पुनाराम आत्मज श्री शिवराम जी मीना	—	160.00
2.	26-6-69	1607	श्री आनन्दीलाल आत्मज श्री कन्हैयालाल डोमी	—	145.00
3.	10-6-69	1610	श्री कुशाल आत्मज श्री काना जी मीणा	—	127.00
4.	6-5-69	1463	श्री सवा जी आत्मज श्री सोमा जी मीणा	—	159.00
5.	21-6-68	8527	श्री दीनबन्धु आत्मज श्री जगन्नाथ जी भील	—	100.00
6.	24-8-68	9038	श्री साकतबाई पत्नी श्री कादर जी भील	—	100.00
7.	4-3-68	6680	श्री भगवती प्रसाद आत्मज श्री हुन्जा भील	—	120.00
8.	15-2-68	6070	श्री भेरूराम आत्मज श्री कुका जी गमेती	—	162.00
9.	7-2-69	316	श्री बन्शीलाल आत्मज श्री कादर जी गमेती	—	153.00
10.	8-11-67	5637	श्री चेनराम बोड आत्मज श्री मोती जी मीणा	—	200.00
11.	2-7-69	364	श्री हरनारायण डोमी आत्मज श्री राजिगज जी भील	—	136.00
12.	7-2-69	779	श्री कान जी आत्मज श्री धीरा जी मीणा	—	170.00
13.	24-8-68	9035	श्री लालशंकर आत्मज श्री खेदा जी भील	—	140.00

1	2	3	4	5	6
14.	24-6-68	8636	श्री लक्ष्मण आत्मज श्री उदा जी भील	—	382.00
15.	21-6-68	8482	श्री माधवलाल आत्मज श्री हुरमा जी भील	—	382.00
16.	21-6-65	8745	श्री रामचन्द्र आत्मज श्री फुला जी भील	—	382.00
17.	15-3-67	4574	श्री वीरेन्द्रकुमार आत्मज श्री हूकसी भील	—	350.00
18.	26-9-68	9663	श्री वीरेन्द्रकुमार आत्मज श्री हूकसी भील	—	255.00
19.	26-9-67	5593	श्री गोविन्द आलिया आत्मज श्री कादर जी भील	—	362.00
20.	21-6-68	7442	श्री हरिराम आत्मज श्री उदा जी गमेती	—	262.00
21.	21-6-68	8744	श्री हरिशचन्द्र आत्मज श्री खेतराज जी	—	422.00
22.	20-10-68	9667	श्री करणसिंह आत्मज श्री जवार जी भील	—	498.00
23.	20-6-68	8528	श्री रूपसिंह आत्मज श्री खेम जी भील	—	560.00
24.	15-12-67	5980	श्री मोतीलाल आत्मज श्री माना जी मीणा	—	104.00
25.	25-11-67	5639	श्री माना आत्मज श्री मोती जी मीणा	—	105.00
26.	7-2-69	362	श्री नानालाल आत्मज श्री पन्ना जी भील	—	149.00
27.	7-2-69	80	श्री नाथा आत्मज श्री वेस्ता जी मीणा	—	164.00
28.	7-2-69	385	श्री ओंकार प्रसाद आत्मज श्री कादर जी भील	—	130.00
29.	15-2-68	6736	श्री पन्ना जी आत्मज श्री रत्ताजी गमेती	—	115.00

भूतपूर्व राजस्व मन्त्री द्वारा किये गये दौरे

78. श्री केशरसिंह हाड़ा (हिंडोली): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व राजस्व मन्त्री, श्री बृजसुन्दर शर्मा ने वर्ष 1966-67 व 67-68 में किस किस जिले व तहसीलों में दौरा किया था ?

(2) इन दौरों के फलस्वरूप उस वर्ष उन्होंने कितनी धनराशि भत्तों के रूप में प्राप्त की ?

(3) एक माह में मन्त्री को कितने दिनों के लिए दौरा करना अनिवार्य होता है ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व राजस्व मन्त्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने वर्ष 1966-67 व 67-68 में जिन जिन स्थानों का दौरा किया था उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) इन दौरों के फलस्वरूप उन्होंने निम्नलिखित धनराशि भत्तों के रूप में प्राप्त की:—

1966-67	रु० 7,983.79 पै०
1967-68	रु० 7,271.99 पै०

(3) मन्त्रियों के लिए एक माह में दौरे के दिनों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गोगामेड़ी में भूमि की नीलामी

79. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गोगामेड़ी में पिछले सितम्बर में कुल कितने एकड़ सरकारी भूमि को नीलाम किया गया था और उससे सरकार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई।

(2) अधिकतम बोली कितने रुपये बीघा थी और कम से कम कितने रुपया प्रति बीघा थी ?

(3) अब कितनी एकड़ सरकारी भूमि गोगामेड़ी में नीलामी से बाकी बची हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि 11 व्यक्तियों की नीलामशुदा भूमि को नामंजूर कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूरे पते सहित उन 11 व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखी जाय और नीलामी के नामन्जूर का कारण बताया जावे।

उत्तर

(1) दिनांक 21-9-68 व 22-9-68 को 463 एकड़ सरकारी भूमि पुख्ता नीलाम की गई थी जिससे सरकार को 8,34,347) रुपये की आमदनी हुई।

(2) अधिकतम बोली 1220) रुपये प्रति बीघा व कम से कम 480) रुपया प्रति बीघा थी अब गोगामेड़ी क्षेत्र में 450 एकड़ भूमि शेष है। इस भूमि को पिछले साल पुख्ता नीलाम नहीं किया गया।

(3) जी हां। उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के आदेश संख्या बी-8526, दिनांक 6-6-69 के द्वारा नीलामी नामन्जूर की जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

निम्नलिखित व्यक्तियों की बोली नामंजूर की।

नाम व्यक्ति	चक नं०	मु० नं०	रकबा
1. श्री राजाराम पुत्र उदाराम सा० नेठराना, त० भादरा	10 डी. पी. एन.	402/438	25)
2. श्री चंदराम पुत्र शिवराम सा० कुम्हारिया, त० सरसा	2 जी. जी. एम.	413/455	25)
3. श्रीमती तुलसी पत्नि चन्दराम सा० कुम्हारिया, त० सरसा	,,	412/455	25)
4. श्री रामनारायण पुत्र नानकराम सा० चुटाला, त० सरसा	,,	414/455	25)
5. उमेद कंवर पुत्री भानीसिंह सा० बालासर, त० नोहर	,,	416/456	20॥)3
6. मंगेजकंवर पुत्र भानीसिंह सा० बालासर, त० नोहर	,,	415/457	23)2
7. श्री भूपसिंह पुत्र प्रेमसिंह सा० गोगामेड़ी	5 ,,	409/466	25)
8. श्री शामलाल पुत्र रामजीलाल व रामधारी पुत्र बनवारीलाल सा० गोगामेड़ी	,,	409/467	25)
9. श्री भूपसिंह पुत्र मनफूल सा० सादूलपुर, त० फतहबाद	,,	411/466	25)
10. श्री हुक्म चंद पुत्र लूनकरण सा० भादरा	2 जी.जी.एम.	412/456	17॥)4
11. रामचन्द्र पुत्र धराराम सा० रासरा ताल, त० राजगढ़।	6 ,,	407/469	24)

ग्राम असनावर की नल योजना

80. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर, जिला झालावाड़ में नल लगाये जाने के लिये पहले सर्वे किया गया था और ग्राम पंचायत द्वारा नल योजना हेतु रकम जमा करा दी गई थी ?

(2) रकम कब और कितनी जमा हुई है ?

(3) नल योजना की स्वीकृति हुई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो किस कारण ?

(4) क्या इसके बाद रकम जमा कराई जाने वाली जगहों में नल योजना चालू कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जी नहीं ।

(2) रकम जमा नहीं हुई ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम खेड़ली रेल में पुलिस द्वारा औरतों के साथ छेड़-छाड़

81. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.) : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 4-3-69 की रात्रि को कुछ पुलिसमैन थाना खेड़ली मंडी से ग्राम खेड़ली रेल में शराब पीकर गये और कोलियों के घरों में घुसकर औरतों से छेड़छाड़ की ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस छेड़छाड़ के कारण मारपीट हुई ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिसमैन एक बार पिट कर आ गये और दुबारा कुछ अन्य साथियों को लेकर गये और पुनः मारपीट हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि दूसरी बार पिटकर आने पर पुलिसमैन थानेदार को 8 पुलिसमैन को साथ लेकर राइफिलें लेकर गये और वहां से औरतों व बच्चों को घसीट कर लाये और गोलियां चलाई तथा झोपड़ियों में आग लगा दी ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि जनता की भीड़ को देखकर पुलिस डर गई और वापिस आ गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि 5, 6, 7-3-1969 को जो भी कोली किसी भी गांव का सामने आया उसी को पकड़ कर थाने ले गये और पिटाई की गई ?

(7) क्या यह भी सही है कि खेड़ली रेल के 14 कोलियों को एक एक करके थाने में ले जाकर बन्द कर दिया और उनकी पिटाई की गई जिसकी मार के निशान शरीर पर 16-3-69 तक भी मौजूद थे ?

(8) क्या यह भी सही है कि नायब थानेदार ने हर एक थाने में बन्द व्यक्ति को कहा कि एक एक हजार रुपये देते जाओ और छूटते जाओ ? क्या यह भी सत्य है

(श्री गंगासहाय कोली) कि बाद में प्रत्येक से दो दो सौ रुपये लिये गये हैं और छोड़ा गया है ?

(9) क्या यह भी सही है कि जिस परिवार के लोगों के यहां सबसे पहले पुलिस मैन शराब पीकर घुसे थे वह परिवार पुलिस के डर से गांव छोड़कर भाग गया था जिसका पता 16-3-69 तक कहीं भी नहीं लगा था ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

प्रतापगढ़ वाटर वर्क्स के कुए

82. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिविजन प्रतापगढ़ में वाटर वर्क्स विभाग द्वारा चनियाखेड़ी में जो कुए खोदे हैं उनमें से केवल एक ही कुआ प्रतापगढ़ शहर को पानी दे रहा है ? बाकी कुए वैसे ही भरे रहते हैं उनका पानी उपयोग में लाने के लिये विभाग क्या विचार रखता है ?

(2) क्या यह सच है कि उन कुओं का पानी आसपास के किसान सिंचाई करने बाबत पिवल लगान पर लेना चाहते हैं ? क्या विभाग इस सम्बन्ध में पानी देने को तैयार है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि प्रतापगढ़ शहर में जो पुरानी पानी की टंकी बनी हुई है वह बहुत छोटी पड़ती है जिससे पानी समय पर एवं जितना लोग चाहते हैं, नहीं मिल पाता ? बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए नल कनेक्शन और पानी की कैपेसिटी को देखते हुए क्या विभाग नई टंकी बनाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक बना दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां, मौजूदा हालत में शहर की पानी की आवश्यकता की पूर्ति एक ही कुए से की जाती है। लेकिन भविष्य में शहर की बढ़ती हुई पानी कि मांग को ध्यान में रखते हुए दो कुओं से पानी वितरण करना आवश्यक हो जायेगा। तीसरे कुए को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण करने के लिये पत्र व्यवहार जारी है।

(2) इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से पत्र व्यवहार हो रहा है। कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, नई टंकी का बनाया जाना वित्त व्यवस्था पर निर्भर करता है।

ग्राम बड़वा में चन्दन के पेड़ों को अवैध कटाई की जांच

83. श्री देवोदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील मांगरोल के ग्राम बड़वा में स्थित चन्दन के पेड़ राजकीय कर्मचारी व एक अधिकारी के इशारे पर चोरी से काट दिए जाने का मामला पुलिस अन्ता में अंकित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले की जांच बारां डी. वाई. एस. पी. ने की थी ? यदि हां, तो डी. वाई. एस. पी. की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

किशनगढ़ रेनवाल में फ्लेट रेट से वसूली

84 श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत किशनगढ़ रेनवाल में जल प्रदाय विभाग द्वारा फ्लेट रेट का 10।) रु० वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह दर नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो नियमों के विरुद्ध अधिक दर क्यों वसूल की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सत्य है। दिनांक 19-7-1960 से ही जब से योजना चालू हुई है।

(2) जी हां, इसके लिए पंचायत ने प्रस्ताव पास किया था।

देसूली जवालो एवं सांडेराव के ग्रामों को जल प्रदाय योजनाएं

85. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या देसूरी (जिला पाली), जवाली (जिला पाली) एवं सांडेराव (जिला पाली) की ग्राम पंचायतों ने उनके अपने अपने हिस्से के रुपये जमा करा दिये हैं ? यदि हां, तो किस किस पंचायत ने कौन कौन सी तारीख को जमा कराया ?

(2) उपर्युक्त योजनाओं का कार्य कब प्रारम्भ होगा व कब सम्पन्न होगा ? इनके हिस्से की रकमें लेने का क्या यह तात्पर्य नहीं रहा था कि अपने अपने हिस्से की रकमें जमा कराते ही कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

(3) पाली जिले में उन किन किन ग्राम पंचायतों के जल-प्रदाय योजनाओं के कार्यारम्भ नहीं किए गए हैं जिनके हिस्से की रकमें सरकार में जमा हो चुकी हैं ? इनमें से प्रत्येक का कार्य कब प्रारम्भ होगा व कब सम्पन्न होगा ? यदि कार्यों को प्रारम्भ करने की स्थिति नहीं थी तो, इन पंचायतों से उनके हिस्से की रकम लेने के क्या कारण हैं ?

(4) अब भी जो पंचायतें अपने पांच प्रतिशत हिस्से की रकम जमा करावें, तो उस पंचायत क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम में जल-प्रदाय योजना प्रारम्भ की जायगी क्या ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, निम्न प्रकार:—

क्रमांक	गांव का नाम	अनुदान की रकम	व जमा होने की तारीख।
1.	देसूरी	रु० 9,500	मई 67
2.	सांडेराव	रु० 15,000	नवम्बर 66
3.	जवाली	रु० 15,300–6000	सितम्बर 66
		और 9300	दिसम्बर 66

(जन-स्वास्थ्य मन्त्री)

(1) देसूरी और सांडेराव योजना का कार्य फरवरी, 67 में चालू कर दिया गया था व आशा है धन की उपलब्धि पर अगले वर्ष तक पूर्ण कर दिया जावेगा।

(2) जवाली ग्राम की योजना की स्वीकृति सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका पंचायत अनुदान जमा होने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि अनुदान जमा कराते ही कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

(3) पाली जिले में निम्नलिखित ग्रामों की योजना स्वीकृति के अभाव में प्रारम्भ नहीं की जा सकी, यद्यपि इनका अनुदान प्राप्त हो चुका है।

क्र०सं०	गांव का नाम	5% अनुदान	
1.	अटपुडा	7,000 रु०	फरवरी, 68
2.	देवली	8,000 रु०	दिसम्बर, 66
3.	बर	5,500 रु०	जुलाई, 67
4.	जोजावर	12,000 रु०	नवम्बर, 66

पंचायतें अपने ग्राम में जल-वितरण योजना लागू करने के लिये आग्रह करके पैसे जमा कराती है ना कि विभाग उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। विभाग पंचायत का प्रस्ताव जिलाधीश का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तथा जन-सहयोग की धनराशि प्राप्त होने पर योजना बनाने के लिये सर्वे कार्य हाथ में लेती है, योजना बनाती है, और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है, और सरकार अपने सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए योजनाएं मंजूर करती है। अतः यह सम्भव नहीं है कि सभी योजनाएं एक साथ स्वीकृत की जा सकें।

(4) यह वित्तीय साधनों पर निर्भर करता है। यद्यपि जन-सहयोग जमा होने तथा पंचायत का प्रस्ताव एवं जिलाधीश का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर संबन्धित ग्राम की योजना बनाने का कार्य हाथ में ले लिया जाता है। योजना पर निर्माण कार्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति एवं वित्त की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

सरपंच चांडी के विरुद्ध जांच

86. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मोहनाराम सरपंच तहसील परबतसर के विरुद्ध ऑडिट में गबन पाये जाने पर थाना परबतसर में मुकदमा सं०32/61, तारीख 27-5-61 दर्ज किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस की तफतीश से 535) रु० का गबन साबित हो गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गबन की राशि को पंचायत में जमा कराने के आदेश होने पर मोहनाराम ने उस राशि को पंचायत कोष में जमा भी करा दिया ?

(4) क्या यह भी सही है कि गबन साबित हो जाने पर व गबन की राशि जमा हो जाने के बाद भी मुजरिम का आज तक चालान पेश नहीं हुआ ?

Page No 114

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

(5) यदि हां, तो सरकार के सामने चालान पेश करने में क्या अड़चन है? चालान कब तक पेश किया जायगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) हिसाब की गलती डिटेक्ट होते ही श्री मोहनाराम ने उनके जिम्मे निकलने वाली राशि जमा करादी।

(4) गबन साबित नहीं हुआ अतः चालान पेश करने की आवश्यकता नहीं थी।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट 3

(अ. प्र. सं. 86 की सूची)

दिनांक 3-9-68 से 3-11-68 के बीच जिन जिन मंत्रियों आदि द्वारा जालौर जिले का दौरा किया गया उसको सूची

क्रम संख्या	मंत्री का नाम	दिनांक से तक	टी. ए. व डी. ए. सरकार से लिया — टी. ए.	डी. ए.	कारण	अभिव्यक्ति
1	2	3	4		5	6
1.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री	1-11-68 —	—	—	निजी यात्रा	
2.	श्री मथुरादास माथुर, वित्त मन्त्री	18-10-68 से 19-10	—	21/-	राजकीय यात्रा	
		26-10-68 से 3-11	—	—	निजी यात्रा	
3.	श्री परसराम मदेरणा, खाद्य मन्त्री	18-10-68 से 20-10	—	63/-	राजकीय यात्रा	
		23-10-68 से 4-11	—	—	निजी यात्रा	
4.	श्री अमृतलाल यादव, सहकारिता मन्त्री	27-10-68 से 30-10	—	—	निजी यात्रा	
5.	श्री गंगाराम चौधरी, उप मन्त्री	27-10-68 से 29-10	—	—	निजी यात्रा	

1	2	3	4	5	6
6.	श्री माधोसिंह, उप-मन्त्री	24-9-68 से 25-9 4-10-68 से 8-10 10-10-68 व 25-10-68	— 189/-	राजकीय यात्रा	
		9-10-68 — 15-10-68 से 19-10 28-10-68 से 4-11	— —	निजी यात्रा	
7.	श्री खेतसिंह, उप मन्त्री	18-10-68 से 19-10 27-10-68 से 2-11	— —	निजी यात्रा	
		3-11-68 —	— 21/-	राजकीय यात्रा	
8.	श्री जसराज, उप मन्त्री	15-10-68 से 16-10 28-10-68 से 29-10	— 42/-	राजकीय यात्रा	
		31-10-68 से 1-11	— —	निजी यात्रा	
9.	श्री प्रद्युम्नसिंह, उप मन्त्री	30-10-68 से 31-10	— —	निजी यात्रा	

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 89 की सूची)

माह मार्च सन् 1969 से 1 अगस्त सन् 1969 तक नक्शा डकैती जिला वाइज

नं० शुमार	नाम जिला	कुल डकैतियां	अपहरण आदमी	अपहरण बच्चे	अपहरण किये हुये को वापिस छुड़ाये गये। आदमी	अपहरण किये हुये को वापिस छुड़ाये गये। बच्चे	सम्पत्ति जो लूटी गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भरतपुर	7	—	1	—	—	रु० 7400/- जेवर, सोना चाँदी
2.	जयपुर	5	—	—	—	—	रु० 800/- व लठा, मोटर बीजली वगैरा
3.	सवाई माधोपुर	4	6	1	6	1	रु० 2200/-
4.	अलवर	1	—	—	—	—	गेहूं 10 हजार रुपये का खेत से ले गये।
5.	अजमेर	—	—	—	—	—	—
6.	सीकर	1	—	—	—	—	2000/- रु०
7.	झुंझुनू	4	—	—	—	—	1000/- रु० व घड़ी
8.	टौंक	—	—	—	—	—	—
9.	रेल्वेज (अजमेर)	2	—	—	—	—	50/- रु०

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	उदयपुर	4	—	—	—	—	515/- रु० 1 घड़ी टैक्नीकल डकैती
11.	भीलवाड़ा	2	—	—	—	—	730/- रु० सोना
12.	चित्तौड़गढ़	2	—	—	—	—	आर्मंड डकैती 1000) रु० तलवार, बन्दूक टैक्नीकल डकैती 500) रु० लोकल डकैती चाँदी
13.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—
14.	बांसवाड़ा	1	—	—	—	—	सोना चांदी कपड़ा वगैहरा टै० डकैती सोना का बोरला कड़ा चाँदी।
15.	कोटा	16	1	4	+	+	122087) रु० बन्दूक गन-वगैरा
16.	बूंदी	1	—	—	—	—	पुलिस वालों के डन्डे व वर्दी छीन ली
17.	झालावाड़	3	—	—	—	—	1000/- रु० माल बन्दूक आर्मंड डकैती
18.	जोधपुर	6	—	—	—	—	2473/- रु० व 1 घड़ी
19.	बाड़मेर	1	—	—	—	—	मुर्की जोड़ी सोना
20.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—
21.	सिरोही	—	—	—	—	—	—
22.	नागौर	1	—	—	—	—	100) नकद टैक्नीकल डकैती
23.	पाली	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	जालौर	1	—	—	—	—	50) रु० टैक्नीकल डकैती
25.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—
26.	गंगानगर	1	—	—	—	—	600) रु०
27.	चूरू	—	—	—	—	—	—
		63	7	6	6	1	रु० 152505/-

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं० 92 की सूची)

सूची जब्त किये गये सामान की

1.	कुर्सियाँ फोल्डिंग लोहे की	......	57 (सहकारी विभाग की)
2.	,, ,, ,, ,,	......	24 (को-ऑपरेटिव बैंक की)
3.	टैन्ट दो	......	2
4.	दरियां	......	2

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 97 की सूची)

सूची (अ)

नाम कार्य	बजट एस्टीमेट 68-69	रिवाइजड एस्टीमेट	व्यय 68-69
1. कैथून से गहनेरा तक आना जोड़ने वाली सड़क	1,00,000)	—	—
2. पीपलीया से सुकेत तक पक्की सड़क	45,000	45,000	40,349
3. मोराना से राजगढ़ होती हुई सांगोद रोड़	1,00,000	74,500	67,625

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 98 की सूची)

प्रतिलिपि टेन्डर दिनांक 31-5-69 जो 6-6-69 को काल किये गये

कार्यालय नगरपालिका पाली

दिनांक 31-5-69

टेन्डर सूचना

यह नगरपालिका पाली अपने पुरुषार्थी नगर गार्डन के लिये नीचे लिखी साइज अनुसार बच्चों के झूले बनवाना चाहती है। अतः जो व्यक्ति इस हेतु टेन्डर देना चाहे वो दिनांक 6-6-69 को सायं 4 बजे तक कार्यालय में पेश कर सकता है।

1. झूले दो इंच साइज पाईप का चार बच्चों के झूलने के लिये ... ... एक
2. झूला दो इंच साइज पाईप का दो बच्चों के झूलने के लिये ... ... एक

शर्तें:—

1. पाईप अच्छी किस्म का बिल्कुल नया होना चाहिये।
2. झूले बगीचे में फिक्स करने होंगे।
3. पाईप के रंग आदि कर झूले फिक्स करने होंगे।
4. झूलों का नमूना नेहरू पार्क से देखा जा सकता है।
5. आदेश मिलने के 5 दिन के अन्दर अन्दर झूले तैयार करके बगीचे में फिक्स करने होंगे।

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 106 की सूची)

परिशिष्ट (क)

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की सूची

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	बैंक में ज्वॉइन करने की तिथि
(1)	श्री श्रीकृष्ण माथुर	16-3-68
(2)	,, रूपचन्द लुहाडिया	7-3-64
(3)	,, बंशीलाल पारीक	1-12-65
(4)	,, पूर्णचन्द्र जैन	13-2-65
(5)	,, रामसिंह गोपालिया	22-8-64
(6)	,, जोगीलाल मुणोयत	18-9-68
(7)	,, रघुवीरसिंह	4-9-68
(8)	,, रामबल्लभ शर्मा	5-10-68
(9)	,, रामचरण शर्मा	14-9-68
(10)	,, छगनलाल शर्मा	27-3-67
(11)	,, मोहनप्रसाद शर्मा	8-3-69
(12)	,, महेन्द्रप्रकाश काला	10-3-69
(13)	,, बद्रीनारायण शर्मा	24-3-69
(14)	,, प्रकाशनारायण शर्मा	7-4-69
(15)	,, रूपनारायण पुरोहित	12-4-69
(16)	,, शिवरतन शर्मा	19-5-69

परिशिष्ट (ख)

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि० में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की सूची

क्रम सं०	नाम अधिकारी	बैंक में ज्वॉइन करने की तिथि
(1)	श्री आई. एन. पाण्डेय	12-10-64
(2)	श्री देवीसहाय शर्मा	9-6-64

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची)

Copy of the Notification No. F. 10 (26) Agr./V/64, dated 24-6-1964 published in the Rajasthan Gazette, dated 6th August, 1964.

No. F. 10 (26) Agr./V/64:—Whereas by its Notification No. F. 10 (30) Agr./V/63, dated the 22nd November, 1963, issued in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 9 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961, the Government of Rajasthan was pleased to require the Krishi Upaj Mandi Samiti Pali to establish a market for the market area declared vide the aforesaid notification and, therefore, as the Krishi Upaj Mandi Samiti, Pali has established a market for the said market area for the purpose of the said Act in respect of cotton (Ginned and unginned) wheat, barley, jowar, maize. bajra, gram, urad, moong, til, sarson, cotton seed, gur, sugar, dhania, chillies and wool. The market so established shall be deemed to have been established from the date of this notification.

Now, accordingly, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Government of Rajasthan is pleased to declare the Principal Market yard as the existing grain market, situated (i) from Somnath Temple to the furniture shop of Shri Abdul Gani Bashir Ahmad in Royee-ka-Katla including the Jagdish Mandir and Srimaliyan-ki-Fali (ii) from the shop of Ganga Vishan Shyam Sunder, Hardware Merchants upto the shop of Shri Abar Ali Choorigar including post office and Nagar-ki-Gali (iii) from the furniture shop of Shri Abdul Gani Bashir Ahmad upto the shop of Shri Abas Ali Asgar Ali, Churigar (iv) from Somnath Mandir upto the shop of of Ganga Vishan Shyam Sunder

Hardware Merchant and (v) the new market yard when laid out on a new site.

Again in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Government of Rajasthan is pleased to notify that within the market area from the limits of aforesaid Principal Market yard, upto the extent of the municipal limits of the Municipal Board, Pali including all lands, buildings thereon and the godowns the State Warehousing Corporation no local authority, notwithstanding anything contained in any law and no other person, shall on and after the date of this notification set up, establish, or continue or allow to be set up, established or continued any place for the purchase or sale of any agricultural produce notified for the said market area.

Further, the Government of Rajasthan is pleased to declare that the area as mentioned above under sub-section (3) of section 4 in the notification shall be the Market Proper as defined under clause (x) of sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Agricultural Produce Market Act, 1961.

परिशिष्ट 10

(अ. प्र. सं. 111 की सूची)

Area under cuminseed and its percentage to total irrigated area

(Unit of area figures=Hactares)

S. No.	District	1967—68 Area	%	1966—67 Area	%	1963—64 Area	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ajmer	2723	3.188	2073	1.996	2503	2.633
2	Alwar	390	9.4[redacted]	[redacted]4	0.559	801	1.082
3	Banswara	2	0.822	6	0.084	5	0.066
4	Barmer	2014	15.400	1936	13.029	1066	9.434
5	Bharatpur	160	0.107	850	0.667	807	0.670
6	Bhilwara	453	0.368	672	0.446	796	0.592
7	Bikaner	—	—	—	—	—	—
8	Bundi	366	0.456	284	0.409	325	0.555
9	Chittor	96	0.122	91	0.108	26	0.028
10	Churu	—	—	—	—	—	—
11	Dungarpur	1	—	4	0.031	9	0.102
12	Ganganagar	181	0.632	96	0.018	267	0.059
13	Jaipur	6258	3.188	5143	2.522	6856	3.668
14	Jaisalmer	—	—	—	—	—	—
15	Jalore	7128	11.165	6158	8.679	6021	10.898
16	Jhalawar	42	0.144	25	0.094	26	0.096
17	Jhunjhunu	3	0.019	4	0.027	14	0.135
18	Jodhpur	569	2.030	532	1.980	911	3.858

Page No 128

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kota	77	0.072	76	0.075	70	0.111
20	Nagaur	387	1.902	632	3.032	523	2.636
21	Pali	2135	1.666	2086	1.828	1554	1.423
22	S. Madhopur	2076	2.432	2248	2.661	2874	4.026
23	Sikar	105	0.304	129	0.332	267	0.852
24	Sirohi	798	1.545	629	1.337	1536	3.714
25	Tonk	4721	7.468	3554	5.742	3139	5.301
26	Udaipur	33	0.029	74	0.071	32	0.030
	Raj. State	30715	1.435	28126	1.326	30448	1.635

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 113 की सूची)

सन् 1968–69 में जिन ग्रामों में बन्धों की मरम्मत का कार्य हुआ है उसकी सूची

क्रमांक	गांव का नाम	पंचायत समिति
1	बिनोद कलां	सांगोद
2	अतारलिया	सांगोद
3	भीका बन्धा (जालिमपुरा)	सुलतानपुर
4	खलियानी का-बन्धा	सुलतानपुर
5	काली सिन्ध का बन्धा	सुलतानपुर

बन्धों की सूची जिनका सर्वेक्षण कराया गया व मरम्मत कराने का कार्य-क्रम है :

प्रश्न संख्या 3

क्रमांक	गांव का नाम	पंचायत समिति	वर्ष
1	बिनोदकलां	सांगोद	1968-69
2	अतालिया	,,	,,
3	भीका बन्धा	सुलतानपुर	,,
4	खलियानी का बन्धा	,,	,,
5	काली सिन्ध का बन्धा	,,	,,
6	मोई कलां	सांगोद	1969-70
7	धुलेट	,,	,,
8	दोबडा	,,	,,
9	बांरिना कलां	,,	,,

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 14 अगस्त, 1969)

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
5	अन्तिम से 5	व गींकरण	वर्गीकरण
14	,, ,, 6	f सान	किसान
15	,, ,, 18	कुषि मंत्री	कृषि मंत्री
29	11	ी उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
29	अन्तिम से 12	का न	कानून
30	,, ,, 9	राज थान	राजस्थान
42	,, ,, 13	मंडी	मंडी
46	,, ,, 3	वि ।	बिल
63	,, ,, 1	कोय	कार्य
70	7	श्री स शचन्द	श्री सतीशचन्द्र
70	12	न्द्रीय	केन्द्रीय
71	अन्तिम से 7	मदन	सदन
73	अन्तिम	वह	यह
75	अन्तिम से 10	महकारी	सहकारी
86	9	ग ।	गये
86	19	बन्धा	बन्धों
87	15	वन्ध ।	बंधों
89	3	क्षत्र	क्षेत्र
105	अन्तिम से 7	(हंसी)	विलोपित समझा जाय
107	4, 9 व अ	प्रेजीडेन्ट	प्रेसीडेन्ट
109	अन्तिम से 11	ए	ऐक
113	अन्तिम से 7	कतंव्य	कर्तव्य
115	,, ,, 9	श्री मुकुटहारी लाल	श्री मुकुटबिहारी लाल
122	,, ,, 7	पर	पर
127	9	घोघली	धांधली
128	अन्तिम से 2	हीस इक्लोस्टाइल	साइक्लोस्टाइल
129	5	लिम्ट	लिस्ट
129	अन्तिम से 15	निणय	निर्णय
132	18	शक स्टरेन्टस	सब स्टूडेन्ट्स
132	अन्तिम से 12	ण्डता	पडता

1	2	3	4
137	अंतिम से 7	सत्त्र	सत्र
142	,, ,, 12	बुलई	बुलाई
142	अन्तिम	बॉयोकमिक	बॉयोकेमिक
146	अन्तिम से 2	ड क्टर	डाक्टर
150	13	म	मैं
151 व	अन्तिम से 10	मेडीशन्स	मैंडीसन्सं
153	,, 6 व 2		
155	14	ि स्पेन्सरीज	डिस्पेन्सरीज
168	7	श्री दिग्विज्यसिह	श्री दिग्विजयसिह
174	अन्तिम से 10	होमियोपैथ	होमियोपैथिक
178	,, ,, 8	रजिस्ट्रेशन	रंजिस्ट्रेशन
180	4	उसमें	उंसमें
189	अन्तिम से 3	ट्रेक्टर	ट्रेक्टर
201		ग्वीकृति	स्वीकृति
202	1	श्रा गंगासहाय	श्री गंगासहाय
203	अन्तिम से 9	गजकीय	राजकीय